राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 4] पंचम विधान सभा के चतुर्थ सत्र का प्रथम दिवस [संख्या 1

बुधवार,

दिनांक 3 अक्टूबर, 1973

विधान सभा की बैठक म. पू. 11 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(कृषि, वित्त, श्रम, अकाल सहायता, उद्योग, समाज कल्याण, स्वायत्त शासन, जन-सम्पर्क, नगर आयोजना एवं जन-स्वास्थ्य विभाग)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न ! श्री पूनमचन्द विश्नोई !

टांकों पर व्यय की गई राशि

श्री पूनमचन्द विश्नोई (भीनमाल) : क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 68-69 तथा 69-70 के अकाल में जोधपुर तहसील में अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत कितने पीने के पानी के टांके विभाग द्वारा स्वीकृत किये गये ? कृपया नामवार सूची दें।

(2) ऐसे हर एक टांके पर कितनी लागत लगी ?

(3) इनमें से कितने टांके ऐसे हैं जिनमें पानी भरने पर पानी लीक हो गया ? कृपया नामवार सूची दें।

अकाल सहायता मन्त्री (श्री परसराम मदेरणा) : (1) वर्ष 68-69 तथा 69-70 के अकाल में जोधपुर तहसील में अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत पीने के पानी के जिन टांकों की स्वीकृति दी गई उनकी सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) प्रत्येक टांके पर जो राशि खर्च हुई उसका विवरण सूची में दिया गया है।

(3) ग्राम सूरजासणी व डिगाड़ी के टांकों में पानी लीकेज होने की सूचना प्राप्त हुई है।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री पूनमचन्द विश्नोई : जोधपुर के पास सूरपुर गांव है, वहां पर आपने टांका बनाया था ?

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में जो सूचना प्राप्त हुई है वह टेलीफोन पर हुई है, इसलिए सूरपुर का, मैंने जो सूची दी है उसमें नाम नहीं देकर ओसियां तहसील के सूरपुर की बात कही है, यह बना होगा। दूसरे जो सूची में हैं, जो अकाल राहत कार्य में बने हैं, जोधपुर में 15 और हैं, हो सकता है, सूरपुर का नाम गलत लिख गया हो। यह जोधपुर वाला है, ओसियां वाला हो सकता है, विलाड़ा भी हो सकता है।

Page No 2

श्री पूनमचन्द विश्नोई : क्या यह सही है कि कालीजाण में टांका स्वीकृत हुआ था ?

श्री परसराम मदेरणा : इसका नाम नहीं है। इन्फॉर्मेशन यह है कि यह दो तीन साल पहले बने थे, और इन टांकों को बनाने की एजेन्सी पी. डब्ल्यू. डी. था। उसके इंजिनियर बदल गये हैं। इसलिए जो सूचना है, वह अपूर्ण रह सकती है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को पोस्टपोन कर दीजिये ताकि पूरी सूचना आ जाय। इसमें सूरपुर का नाम नहीं है, दूसरे और का नाम नहीं है, टांके बहुत बड़ी संख्या में बने हैं।

श्री मोहनलाल छंगाणी (फलौदी) : और करीब करीब सब टांके टूट गये हैं।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : अस्सी पर्सेन्ट टांके टूट गये हैं, उनमें लाखों रुपया लगा हुआ था। स्थाई हल के लिए यह टांके बनाये हुए थे राख के।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर) : जो जवाब दिया है उसमें बताया हुआ है कि दो टांके टूटे हैं। आप बता रहे हैं कि सब टूट गये हैं।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : अस्सी पर्सेंट टूटे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : आपका प्रश्न क्या है ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : इसकी जानकारी आप मंगवाइये।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (सूरतगढ़) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न 2 का उत्तर ही नहीं दिया है कि हर टांके पर कितनी कीमत लगी ?

श्री परसराम मदेरणा : यह राज्य सरकार को टेलीफोन पर सूचना मिली है जिलाधीश के द्वारा, उन्होंने बताया कि दो टांकों में लीकेज हुआ है। अब फरदर माननीय सदस्य कह रहे हैं कि दूसरे टांके टूटने की बात है तो एक्सेस रैन से क्या नुकसान हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है क्योंकि यह सार्वजनिक टांके हैं...

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : यह ब्यूरोक्रेसी की दी हुई इन्फॉर्मेशन है।

श्री अध्यक्ष : बीच में क्यों बोलते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : सुनिये मेरी बात। मैं निवेदन कर रहा था कि यह सार्वजनिक टांके हैं। यदि ज्यादा पानी आजाता है और व्यक्तिगत टांके होते हैं तो टांके फोड़ कर पानी निकालते हैं। इन सार्वजनिक टांकों को कोई नहीं देखता है। एक्सेस रेन हुआ है उससे डैमेज हो सकता है। इसकी सूचना नहीं है। कलेक्टर से पूछने के बाद में सूचना मिली है। पहले तो कहा था कि टांके टूटने की कोई सूचना नहीं है। मैंने फिर कहा कि सूचना प्राप्त करनी चाहिए, यह प्रश्न आया है इसमें टांके टूटने की बात है, तो उन्होंने कहा कि दो टांके टूटने की सूचना मिली है। अब मैं जानकारी ले लूंगा कि और कितने टांके डैमेज हुए हैं, लीक हुए हैं।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : ऐसा है, इस साल के रेन्स से नहीं टूटे हैं। यह बने उसके बाद दूसरी साल बरसात हुई उसमें

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)
ही इनमें लीकेज हो गया था। आप जानते हैं कि यह पी. डब्ल्यू. डी. के बनाये हुए हैं टांके। आमतौर पर पहले राख से टांके बनते थे वह तीन साल तक चलते थे। अब पी. डब्ल्यू. डी. के द्वारा सीमेन्ट से बने हैं तो इसमें क्या कला है, यह क्यों टूट गये ?

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न पोस्टपोन किया जा रहा है, इसलिये मैं भी एक प्रश्न पूछूंगा कि वे कौन से टांके हैं···

श्री अध्यक्ष : पोस्टपोन किया जा रहा है क्या ?

श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) : ऐसी सम्भावना है।

श्री अध्यक्ष : पोस्टपोन किया जा रहा है क्या ?

श्री शंकरलाल (पाली) : पोस्टपोन करने का सुझाव आया था, यह आपके निर्णय करने की बात है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : गुमानमलजी कह रहे हैं इसलिए आप मानेंगे।

श्री गुमानमल लोढ़ा : यह पोस्टपोन करा जाय और बाद में इसका उत्तर दिया जाय तो इस सप्लीमेन्ट्री का भी उत्तर दिया जाय कि वह कौनसे टांके हैं जो विभागीय स्तर पर, जिला स्तर पर बिना मंत्री मण्डल स्तर पर तय किये आपने अपनी ओर से बनवा लिये और लीक हुए ? और इसका क्या कारण है ?

श्री मोहनलाल छंगाणी : इसको पोस्टपोन किया जाय। इसमें बहुत बड़ी जानकारी करनी है ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : पोस्टपोन किया जाय।

श्री शंकरलाल : पोस्टपोन किया जाय।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया।

श्री परसराम मदेरणा : जो यह टांके····

श्री श्रीराम गोटेवाला : सवाल को स्थगित कर दिया गया है।

श्री परसराम मदेरणा : यह जो टांकों के टूटने के बारे में कहा, मैं फरदर जानकारी कर लूंगा।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : स्थगित कर दिया गया है। यह निर्णय हो गया है।

श्री शंकरलाल : जब जानकारी अपूर्ण है। मंत्री महोदय मानते हैं कि अपूर्ण जानकारी है तो यह स्थगित होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : Postponed. Second question ! श्री चिम्मनसिंह भाटी !

कर्मचारियों को हड़ताल के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पर व्यय की गई राशि

2. **श्री चिम्मनसिंह भाटी** (भीम) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में 15 जुलाई, 1973 से 15 अगस्त, 1973 तक कर्मचारियों द्वारा की गई हड़ताल पर सुरक्षा व्यवस्था करने के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने कुल कितना व्यय किया व स्थानीय पुलिस, सीमा सुरक्षा पुलिस व केन्द्रीय रिजर्व पुलिस को यात्रा

Page No 4

श्री चिम्मनसिंह भाटी)

भत्ता व दैनिक भत्ता व पैट्रोल इत्यादि सब पर कितनी राशि खर्च हुई ?

(2) क्या यह सही है कि हड़ताल से उत्पन्न स्थिति पर यदि पूर्व में ही कर्मचारी नेताओं को बन्द नहीं किया गया होता और उनसे सद्भावनापूर्ण वार्ता कर ली होती तो यह गतिरोध उत्पन्न ही नहीं होता।

राज्य मंत्री, सामान्य प्रशासन (श्रीमती कमला बेनीवाल) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न की सूचना आने के लिए सात दिन का टाइम चाहिए। इसलिए पोस्टपोनमेंट मांगती हूँ।

श्री अध्यक्ष : कितने दिन का ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : Seven days.

श्री अध्यक्ष : Seven days.

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : इसी सैशन में इस सवाल का जवाब आ जायेगा ?

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : यह प्रश्न बहुत इम्पॉर्टेन्ट है।

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर) : यह प्रश्न अत्यन्त महत्त्व का है।

श्रीमती कमला बेनीवाल : इस सवाल का जवाब अभी है नहीं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : हमारी प्रार्थना है कि 8 तारीख को रख दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : मैं मंत्री महोदया से जानकारी चाहूँगा कि इस सदन के सत्र के अन्दर ही इसका उत्तर आ जायेगा ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : जी हां।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : यह सत्र कब तक चलेगा, यह बात ही निश्चित नहीं है। डेट मुकर्रर होनी चाहिए—यह मेरा निवेदन है।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : 8 तारीख को।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह प्रश्न एक बड़े आन्दोलन से सम्बन्धित है, जिससे ढ़ाई लाख कर्मचारी अफेक्टेड रहे हैं। इसमें जो भी सूचना पूछी गई है या सप्लीमेन्ट्री करने के बाद प्राप्त होगी, वह सैंतीस दिन हड़ताल चली उसके बाद आज जो कार्यवाही की जा रही है उससे सम्बन्धित है। मैं समझता हूं, गवर्नमैंट इसको जान-बूझ कर अवॉइड करने की कोशिश कर रही है।

श्रीमती कमला बेनीवाल : गवर्नमैंट इसको अवॉइड नहीं करना चाहती है। चूंकि इसका ताल्लुक बी. एस. एफ. और सी. आर. पी. से है, वहां से भी सूचना मंगाई गई है। सूचना आते ही जवाब दे दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : यह निर्णय कर दिया गया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : एक सप्ताह का कर दीजिये।

श्री अध्यक्ष : मैंने निर्णय कर दिया है, इसी सत्र के अन्दर उत्तर दे दिया जाय। डेट मुकर्रर नहीं है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवामहल जयपुर) : यह सत्र कब तक चलेगा ?

Page No 5

श्री अध्यक्ष : कभी तक चले, आपका उत्तर आ जायेगा ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव ; कार्यक्रम तीन दिन का दिया गया है ।

श्री अध्यक्ष : यह सत्र तीन दिन, सात दिन या पन्द्रह दिन चले, उत्तर आ जायगा ।

श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) ; अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत अदब से ......

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, हम राज्य कर्मचारियों की हड़ताल पर डिबेट डिमाण्ड करेंगे, उसके सम्बन्ध में यह सूचना बहुत महत्वपूर्ण है । इसके आधार पर बहस में ज्यादा हिस्सा ले सकेंगे । मेरा निवेदन है कि हड़ताल को समाप्त हुये एक महीने से अधिक, डेढ महीना हो गया है । इस चीज की जानकारी गवर्नमेंट के पास में कन्सोलिडेटेड रूप में रहनी चाहिये । गवर्नमेंट को एन्टीसिपेट करना चाहिये, असेम्बली लास्ट फेज एण्ड के दिन बुला रहे हैं, कान्स्टीट्यूशन में जो कहा है, उसके अनुसार आखिरी दिन बुला रहे हैं फिर भी यह समझ कर नहीं चलें कि इस सम्बन्ध में क्वेश्चन पूछा जायगा । अब इसको अवोइड करने की कोशिश करें—यह अनुचित है । अभी 8 तारीख तक प्रोग्राम है, 9 तारीख को विधान सभा चलेगी या नहीं इस बात की जानकारी नहीं है ।

श्री शंकरलाल : कार्य सलाहकार समिति की मीटिंग में प्रोग्राम तय कर लें । अपन चाहेंगे तो चलेगी आगे ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं चाहूंगा कि डेट फिक्स हो जाय, एक सप्ताह ले लीजिये । एक सप्ताह में सूचना दे दीजिये, आज तीन है, दस तक ।

श्रीमती कमला बेनीवाल : एक सप्ताह मांगा है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : ठीक है ।

एक माननीय सदस्य ; असेम्बली के खत्म होने के दो तीन दिन पहले मिलनी चाहिये ।

श्री अध्यक्ष : Next question.

श्री लक्ष्मणसिंह : यह प्रश्न ऐसा है कि इसका तुरन्त उत्तर दिया जाना चाहिये । सरकार से जो बात पूछी गई हैं, वे घटनायें घटित हो चुकी हैं । अब इस सम्बन्ध में सरकार को और जानकारी क्या प्राप्त करनी है, मेरी समझ में नहीं आता । यह उत्तर सरकार के द्वारा दिया गया है, यह भी सदन की अवहेलना है । आपके द्वारा जो निर्णय दिया गया है कि इस प्रश्न को स्थगित किया जाए और इसका उत्तर इसी सत्र में आए, वह एक हद तक संतोषजनक है, लेकिन जो उत्तर सरकार द्वारा दिया गया है वह घोर असंतोष जनक है, समझ के बाहर है ।

श्री गुमानमल लोढ़ा : प्रश्न यह है कि क्या यह सही है कि हड़ताल से उत्पन्न स्थिति पर यदि पूर्व में ही कर्मचारी नेताओं को बन्द नहीं किया गया होता और उनसे सद्भावनापूर्ण वार्ता करली होती तो यह गतिरोध उत्पन्न ही नहीं होता ? इसमें कौनसी सूचना आएगी, कौनसा विभाग सूचना देगा ? यह प्रश्न ऐसा है कि राज्य सरकार ने स्वयं घोषणा की कि हम अन्तरिम सहायता देना चाहते हैं, इक-

(श्री गुमानमल लोढ़ा)
तरफा कार्यवाही की लेकिन कर्मचारी नेताओं ने नहीं माना, इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण होना चाहिए ।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर) : और भी महत्त्वपूर्ण प्रश्न हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : इससे महत्त्वपूर्ण कोई प्रश्न नहीं है।

श्री श्रीराम गोटेवाला ; हमारे लिए और भी महत्त्वपूर्ण प्रश्न हैं। अध्यक्ष महोदय व्यवस्था दे चुके हैं ।

श्री शंकरलाल (पाली) : इस प्रश्न को स्थगित किया जा चुका है । इस पर बहस नहीं होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष ; मैंने कह दिया है कि इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से जल्दी दिया जाएगा।

श्री गुमानमल लोढ़ा : इसको स्थगित किया जाए, आपत्ति नहीं है लेकिन तारीख निश्चित की जाए। यह अत्यन्त लोकमहत्त्व का प्रश्न है । सारा राजस्थान अफेक्टेड है कहीं दफा 32 लागू है कहीं और कोई दफा लागू है, महिलाओं पर भी ऐसे ऐसे आरोप लगाए गए हैं, इसलिए इस प्रश्न को 8 तारीख को ले लिया जाए ।

श्री अध्यक्ष : श्री निरंजननाथ आचार्य !

अपंग एवं वृद्धों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता के नियम

3. श्री **निरंजननाथ आचार्य** (मावली): क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने अपंग एव वृद्धों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता के नियमों को सरल करने का आश्वासन सदन के प्रांगण पर दिया था ? यदि हां, तो नियमों का सरलीकरण करने में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

मंत्री समाज कल्याण (श्री ऑकारलाल चौहान) : जी हां। राजस्थान वृद्धावस्था पेन्शन नियमों में सरलीकरण करने के संबंध में विभिन्न विभागों द्वारा जांच के पश्चात नियमों को अंतिम रूप देने हेतु मामला राज्य सरकार के विचारार्थ है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आश्वासन दिए हुए कितने महीने हो गए सरलीकरण के प्रश्न पर ?

श्री ऑकारलाल चौहान : करीब करीब 5-6 महीने हो गए। कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है ......

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं समझ गया, आप आगे क्या कहने वाले हैं। किसी समिति का गठन हुआ है सरलीकरण के प्रश्न पर ?

श्री ऑकारलाल चौहान : वित्त विभाग से परामर्श हुआ है, बातचीत हुई है, कुछ नियमों का सरलीकरण किया गया है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : ऊपर व्यक्ति बैठे होंगे, समिति बनी होगी; वह चिंतन कर रही होगी। कौनसी समिति के माध्यम से किया जा रहा है, नाम बता दें।

श्री ऑकारलाल चौहान : पहले फाइनेन्स ने देखा, उसके बाद समाज कल्याण विभाग में आया, वहां इसको देखा गया, मैंने स्वयं ने देखा है और कुछ मुद्दों पर मतभेद था सरलीकरण के सम्बन्ध में उनको

Page No 7

(श्री ओंकारलाल चौहान)
क्लेरीफाई करने के लिए पुनः वित्त विभाग को....

श्री **निरंजननाथ आचार्य** : आपने उसमें क्या देखा है समिति में ? जो विधायक सबसे अधिक चिंतित हैं उनसे आपने सलाह ली ? दूसरी बात है, फोटो के संबंध में, अटेस्टेशन के संबंध में उसके लिए आपकी क्या राय है ?

श्री **अध्यक्ष** : आप पोजीशन क्लीयर कर रहे हैं या जवाब दे रहे हैं ?

श्री **निरंजननाथ आचार्य** : 1967 में नियम बने हैं ...

श्री **अध्यक्ष** : क्या आप उत्तर दे रहे हैं ?

श्री **ओंकारलाल चौहान** : जी हां।

श्री **अध्यक्ष** : मेरे पास उत्तर नहीं आया है।

श्री **निरंजननाथ आचार्य** : मेरी किस्मत है कि मुझे जवाब दे दिया।

मुख्यमन्त्री (श्री बरकतुल्ला खां) : मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि तीन महीने के अन्दर इन नियमों का सरलीकरण किया जाएगा।

श्री **शंकरलाल** (पाली) : फंड्स की कमी के कारण बहुत मसले पड़े हैं।

श्री **निरंजननाथ आचार्य** : जैसा आपने तीन महीने में सरलीकरण करने का आश्वासन दिया है, मैं यह भी विश्वास चाहता हूं कि सरलीकरण करके सदन की मेज पर रखा जाय तो माननीय सदस्यों के सुझाव उसमें मिल सकेंगे।

श्री **बरकतुल्ला खां** : जहां तक वित्त का सम्बन्ध हैं आप सब परिचित हैं कि राजस्थान की वित्तीय स्थिति कैसी है। उसके बावजूद भी जो अच्छे काम हाथ में लिए गये हैं उनको हम रोकना नहीं चाहते चाहे हमको तकलीफ भी उठानी पड़े। मैं माननीय सदस्य का सुझाव मानता हूं, हम अगले सत्र में इन नियमों को यहां रख देंगे।

श्री **रामानन्द अग्रवाल** : नियम में यह चेंज किया गया था कि जिस तारीख से एप्लीकेंट दरख्वास्त देगा, चाहे दरख्वास्त मंजूर होने में 6 महीने लग जायें, इफेक्टिव उसी तारीख से होगा। लेकिन इसकी कम्पलायंस न की जाकर जो लास्ट डेट होती है, जब कलेक्टर ऑर्डर देता है उस तारीख से पेन्शन मिलती है। यह कानून की अवहेलना है। क्या मन्त्रीजी आश्वासन देंगे कि आप इस तरह का इन्सट्रक्शन्स जारी करके फौरन इस नियम को लागू करा देंगे ?

श्री **ओंकारलाल चौहान** : ऐसा मामला मेरे विचार में आया था और मैंने उसी समय निर्णय दिया था कि जिस दिन से दरख्वास्त प्राप्त हुई और वह दरख्वास्त सब तरह से ठीक मानी जाती है तो उसी तारीख से पेन्शन दी जाएगी और दी गई है और भविष्य के लिए जब तक नियमों के सरलीकरण की कोई बात पैदा नहीं होती है तब तक यह नियम जारी रहेगा।

श्री **शंकरलाल** (पाली) : कितने समय में दरख्वास्त पर निर्णय हो जाता है ?

श्री **ओंकारलाल चौहान** : दो महीने लग जाते हैं।

Page No 8

श्री शंकरलाल : साल भर लग जाता है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़) : जिन लोगों ने नियमों का कठनीकरण किया है, उन्हीं से सरलीकरण मत करवाना।

श्री बरकतुल्ला खां : उनसे नहीं करायेगें लेकिन इस बात का जरूर खयाल रखेंगे कि जो हकदार हैं उनको हक मिले।

श्री अध्यक्ष : श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता !

नगरपालिका अलवर के सदस्यों को सदस्यता से अयोग्य घोषित करने की सिफारिश

4. श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि करीब एक साल पहले अलवर म्युनिसिपैलिटी के अध्यक्ष ने नगरपालिका के दो सदस्यों को गैरहाजिरी के कारण सदस्यता से अयोग्य घोषित किए जाने की डाइरेक्टर, स्वायत्त शासन विभाग को सिफारिश की थी ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

(2) उक्त पत्रावली पर किस किस तारीख को क्या क्या आज्ञा प्रदान की गई ? कृपया आज्ञाओं की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या सरकार अब इस सम्बन्ध में शीघ्र कार्यवाही करने की आज्ञा प्रदान करेगी ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री परसराम मदेरणा) : (1) जी नहीं। प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(2) प्रश्न के भाग 1 में दिए उत्तर के अनुसार प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

(3) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह तो मेरी जानकारी में है, पिछले सत्र में उत्तर दिया गया है। डाइरेक्टर के पास शिकायत आई।

श्री परसराम मदेरणा : अलवर नगरपालिका के अध्यक्ष ने कोई सिफारिश किन्हीं सदस्यों, जो अनुपस्थित रहे हैं, के बारे में नहीं की है और इस प्रकार का प्रस्ताव पेंडिग नहीं है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं चाहता हूं कि जल्दी फैसला हो जाए। कई समस्यायें पेंडिग हैं।

श्री परसराम मदेरणा : सेक्शन 63 ए. के अन्तर्गत राज्य सरकार ने पावर्स डाइरेक्टर लोकल बॉडीज को दे दी हैं और वह फाइनल अथोरिटी है, सक्षम है, निर्णय लेने में। अब उनके सामने मामला पेंडिग है, इसकी पेशी 18-10-73 को है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि जिस सदस्य ने शिकायत की थी, वह खुद ही अनाचार के कारण मुअत्तिल कर दिया गया है ?

श्री परसराम मदेरणा : यह अलग से प्रश्न है। लेकिन जो शिकायत आई है उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स में जाने में मैं सक्षम नहीं हूं, कानूनी अधिकार डाइरेक्टर लोकल बोडीज को दिया है।

Page No 9

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जो कुछ फैसला हो जल्दी होना चाहिये ।

श्री परसराम मदेरणा : जल्दी हो जायगा ।

श्री अध्यक्ष : श्री भंवरलाल भदादा !

पावर लूम टैक्स मार्का कोटा

5. श्री भंवरलाल भदादा (भीलवाड़ा): क्या उद्योग मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे:—

(1) राज्य में सन् 1967 में कितने पावर लूम का कोटा आया था और उसमें से कहां कहां और कितने कितने पावर लूम अलॉट हुए और कितने कितने कहां कहां चालू हुए हैं ?

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार उन लोगों के अलॉटमेंट को कैंसिल करने जा रही है जिन्होंने अब तक पावर लूम नहीं लगाए हैं यानी ट्रेड टैक्स मार्का का उपयोग नहीं किया ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) राज्य सरकार उक्त कैंसिल शुदा पावर लूम टैक्स मार्का का अलॉटमेंट किस प्रकार और कब पुनः कर रही है ?

(4) राज्य सरकार द्वारा सन् 1967 के बाद भारत सरकार से पावर लूम टैक्स मार्का लेने का कब कब प्रयत्न किया गया है और उसका क्या परिणाम आया है तथा कितने पावर लूम टैक्स मार्का का कोटा मिला है और उनका वितरण किस प्रकार कहां कहां हुआ है और इनमें से कितने चालू हो गये हैं ?

(5) राज्य सरकार द्वारा यदि सन् 1967 के बाद पावर लूम टैक्स मार्का का कोटा लाने का प्रयत्न नहीं किया गया तो क्यों नहीं किया गया और अब कब पावर लूम टैक्स मार्का का नया कोटा लाया जा रहा है ?

राज्य मन्त्री, उद्योग (श्रीमती कमला बेनीवाल) : (1) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल में 3100 पावर लूम का कोटा आया। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) अलॉटेड पावर लूम को निरस्त करना राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र के बाहर है । यह कार्य क्षेत्रीय टेक्सटाइल कमिश्नर, अहमदाबाद; भारत सरकार करते हैं । इस प्रकार के 64 लूम कैंसिल होकर पुनः वितरण हो चुके हैं ।

(3) अभी कोई कैन्सलशुदा पावर लूम टैक्स मार्का उपलब्ध नहीं है ।

(4) 7000 शक्ति चलित कर्घों (पावर लूम्स) के लिए सरकार प्रयत्नशील है परन्तु कोटा अभी नहीं मिला है । वितरण का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(5) प्रयत्न किया जा रहा है ।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

श्री भंवरलाल भदादा : 1967 से अभी तक एक कोटा भी नहीं मिला है, आश्चर्य की बात है, सरकार के लिए विचारणीय प्रश्न है । आज 1973 चल रहा है । सब जानते हैं कि राजस्थान पावर लूम का अपना महत्त्व है क्यों कि हमारे यहां स्पिनिंग मिल्स हैं और उनसे उत्पादन में यहां पर लोगों को रोजगार देने के लिए अधिक से अधिक

(श्री भंवरलाल भदादा)
पावर लूम्स लेने कि आवश्यकता है। इसलिए सरकार गंभीरता से विचार करें और शीघ्रातिशीघ्र इस बारे में प्रयत्न करे तो अच्छा होगा। जहां तक मेरी जानकारी है, महाराष्ट्र और दूसरे राज्यों में काफी पावर लूम्स इन सालों में एलॉट हुई हैं लेकिन राजस्थान का दुर्भाग्य है कि 1967 के बाद भी पावर लूम्स का एलॉटमेंट नहीं हुआ। इस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तो अच्छा होगा और भविष्य में प्रयत्न करें तो उत्तम होगा।

श्री पी. के. चौधरी : इन सालों में दूसरे राज्यों को कितने पावर लूम्स एलॉट हुए हैं और आपने इस बारे में क्या क्या कदम उठाए ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न मैं भी पूछना चाहूंगा। दूसरी स्टेट्स में कई लोगों ने अन-ऑथोराइज्ड पावरलूम लगा लिये और उन्होंने वहां पर ट्रेड टैक्स मार्का का उपयोग नहीं किया और बाद में उन लोगों के पावर लूम्स को उन स्टेट्स ने रेग्युलराइज कर दिया। महाराष्ट्र, गुजरात वगैरह में ऐसे हजारों केसेज हुए हैं। ज्योंही उन स्टेट्स को कोटा मिला या उन स्टेट्स को कोटा बढ़ाया गया उनके जो अन-ऑथोराइज्ड पावर लूम्स थे उनको वहां की राज्य सरकारों ने पावर लूम्स को रेग्युलराइज कर दिया। तो इस प्रकार की कार्यवाही अपने राजस्थान में भी क्यों नहीं की जाये ? क्या राज्य सरकार इस विषय में पहल करके ऐसा कोई इनीशियेटिव लेगी कि वहां पर पहले अन-ऑथोराइज्ड पावर लूम्स लगा दिये जावें और उन्हें बाद में कोटा मिलने पर अन-ऑथोराइज्ड पावर लूम्स को रेग्युलराइज कर दिया जावे ?

राज्य मन्त्री, उद्योग (श्रीमती कमला बेनीवाल) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में भी इस प्रकार के 697 पावर लूम्स, जो कि अन-ऑथोराइज्ड थे, लगे हुए थे। उन्हें राज्य सरकार ने रेग्युलराइज कर दिया है। इसके अलावा यहां पर अन-ऑथोराइज्ड पावर लूम्स अवेलेबल नहीं थे इसलिये दूसरों को रेग्युलराइज करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर यहां पर अन-ऑथोराइज्ड पावर लूम्स होते तो हम भी भारत सरकार को लिखते। राज्य सरकार इस बारे में हमेशा से ही प्रयत्नशील है कि राज्य सरकार को भारत सरकार से पावर लूम्स का कोटा ज्यादा से ज्यादा मिले। इसके लिये हमारे राजस्थान के भूतपूर्व मुख्य मन्त्रीजी ने भी भारत सरकार को लिखा और अभी जो वर्तमान मुख्य मन्त्रीजी हैं उन्होंने भी इस बारे में भारत सरकार को लिखा है और कोटा बढ़ाने के लिये आश्वासन चाहा है। उन्होंने भी हमें बराबर आश्वासन दिया है कि हम इस बारे में विचार कर रहे हैं। अभी पांच जुलाई को माननीय मुख्य मन्त्री महोदय ने श्री चट्टोपाध्याय को लिखा है कि राजस्थान में सात हजार पावर लूम्स लगाने की आवश्यकता है। भारत सरकार से यह भी कहा कि जल्दी ही आप इस संबंध में कार्यवाही करके स्थिति से हमें अवगत करावें।

श्री मोहनलाल छंगाणी (फलौदी) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय को यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज हम लगातार छः साल से कोशिश कर रहे हैं लेकिन हमारे यहां पर पावर लूम्स का कोटा नहीं बढ़ रहा है जबकि दूसरी स्टेट्स में जैसे पन्जाब, हरियाणा महाराष्ट्र आदि प्रदेशों में जिन लोगों ने अन-ऑथोराइज्ड

(श्री मोहनलाल छंगाणी)
पावर लूम्स लगा रखे थे उन्हें कोटा मिल गया और उन स्टेट्स ने उन अन-ऑथोराइज्ड पावर लूम्स को रेग्युलराइज कर दिया है तो इस संबंध में हमारे यहां भी ऐसा क्यों नहीं किया जाय कि पहले यहां पर अन-ऑथोराइज्ड पावर लूम्स लगा लिये जायं और बाद में कोटा आने पर उन्हें रेग्युलराइज कर दिया जाये।

मुख्य मन्त्री (श्री बरकतुल्ला खां) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस मत से सहमत नहीं हूं और न ही मुझे इस उत्तर से सन्तोष है। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि कानून को तोड़ना उचित नहीं होगा और न मैं कोई कानून को तोड़ने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना ही उचित मानता हूं। मैं यह मानने को तैयार हूं कि हमारा जो सही हक है वह हमें मिलना चाहिये। और अपने सही हक को लेने के लिये हमें सही रास्ते अपनाने चाहियें। इसके लिये कई रास्ते और भी हो सकते हैं। अगर हम अन-ऑथोराइज्ड तरीके से पावर लूम्स लगा लेते हैं तो इसके बाद में कई लीगल कॉम्प्लीकेशन्स भी हो सकते हैं। इससे उन लोगों को आगे जाकर तकलीफ हो सकती है। इसलिये कानून को तोड़ने के पक्ष में मैं नहीं हूं।

श्री मोहनलाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, बहुत ही खेद की बात है कि एक स्टेट ने अपने यहां पर सात हजार अन-ऑथोराइज्ड पावर लूम्स को रेग्युलराइज कर दिया तो इसमें हमें क्या दिक्कत हो सकती है। हम भी अन-ऑथोराइज्ड पावर लूम्स लगा लें और हो सकता है हमें भी बाद में कोटा मिल जाय और आगे चल कर हम उन्हें रेग्युलराइज कर दें। यह भी तो एक तरीका हो सकता है जिससे हमें पावर लूम्स का कोटा अधिक मिल जाय। हम ही इसमें पहल क्यों नहीं करें ? एक स्टेट ने सात हजार अन-ऑथोराइज्ड पावर लूम्स को रेग्युलराइज कर दिया। दूसरी स्टेट ने तीन हजार पावर लूम्स को रेग्युलराइज्ड कर दिया। इस प्रकार और भी स्टेट्स हो सकती हैं। अभी मेरे पास दूसरी स्टेट्स की इनफार्मेशन हैं नहीं वरना मैं आपके सामने पेश कर देता कि किन किन स्टेट्स ने कितने कितने अन-ऑथोराइज्ड पावर लूम्स को रेग्युलराइज किया है। हम भी ऐसा क्यों नहीं करें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि हमारे यहां पर अन-ऑथोराइज्ड पावर लूम्स लगाने में राज्य सरकार बढ़ावा क्यों नहीं देना चाहती है ? इसमें राज्य सरकार को क्या आपत्ति है ? हमारे यहां भी अन-ऑथोराइज्ड पावर लूम्स लगाकर बाद में उन्हें रेग्युलराइज कर दिया जावे।

श्री बरकतुल्ला खां : अध्यक्ष महोदय पहले अन-ऑथोराइज्ड तरीके से पावर लूम लगा कर बाद में उन्हें रेग्युलेराइज करने के पक्ष में मैं नहीं हूं। यह एक अच्छी बात नहीं है। इससे लोगों को तकलीफ हो सकती है। लेकिन मैं सदन में इतना जरूर कह सकता हूं कि इसके लिये राज्य सरकार व मैं बराबर प्रयत्नशील हैं कि पावर लूम का कोटा बढ़ाया जावे। इसके लिये बराबर पत्र व्यवहार चल रहा है और इसके लिये मैंने बात चीत भी की है। और वहां पर मुझे ऐसा आश्वासन भी मिला है कि पावर लूम्स का कोटा जल्दीसे जल्दी और ज्यादा से ज्यादा हमें मिलने वाला है। लेकिन मैं इतना जरूर निवेदन करूंगा कि

Page No 12

(श्री बरकतुल्ला खां)
मैं कानून को नहीं तोड़ूंगा और न ही कानून को ब्रेक करने के पक्ष में ही कोई कार्यवाही करूंगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : तो दूसरी स्टेट्स में जो किया है उसके लिये....

(कई सदस्य एक साथ बोलने खड़े होने पर अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : One at a time. श्री पी. के. चौधरी !

श्री पी. के. चौधरी : अध्यक्ष महोदय, आज छः साल हो गये हैं राज्य सरकार को पावर का कोटा वही का वही है। कोटा भारत सरकार ने बढाया नहीं है जबकि दूसरी स्टेट्स ने अन-आँथोराइज्ड पावर लूम्स लगाकर अपने कोटे को बढ़ा लिया है तो फिर क्या कारण है कि हमारे यहां पर पावर लूम्स का कोटा अधिक नहीं मिल रहा है।

श्री बरकतुल्ला खां : अध्यक्ष महोदय, अभी पूरी जानकारी मेरे पास नहीं है कि भारत सरकार ने कितना कोटा दिया है इसके लिए मैं भारत सरकार से जानकारी करूंगा।

श्री दिनेशराय डांगी (देसूरी) : अध्यक्ष महोदय, बहुत ही खेद की बात है कि आज हमारे यहां पर पावर लूम्स कम होने के कारण हमारे यहां के काफी मजदूर अहमदाबाद में और दूसरी जगह पर काम करने जाते हैं अगर हमारे यहां पर पावर लूम्स का कोटा अधिक मिल जाय तो वह लोग यहां पर अपने प्रान्त में आ सकते हैं। इसलिए मैं राज्य सरकार से अनुरोध करूंगा कि ऐसे उपाय करें जिससे कि हमारे यहां के लोग दूसरी स्टेट्स से यहां पर आ जावे।

श्री हीरालाल देवपुरा (कुम्भलगढ़) : अध्यक्ष महोदय, अभी मुख्य मन्त्री जी ने यह कहा कि मैं राज्य में अन-ऑथोराइज्ड पावर लूम लगाने की प्रवृति को प्रोत्साहन देना नहीं चाहता और दूसरी बात यह कि हमारे स्टेट को पावर लूम का कोटा नहीं मिल रहा है तो फिर इसके लिए राज्य सरकार ऐसी क्या व्यवस्था हमारे यहां के लोगों के लिए करने जा रही है जिससे कि इसका विकास हमारे यहां हो सके। ऐसे कौनसे तरीके अपनाये जावें कि जिससे ज्यादा से ज्यादा पावर लूम हमारे यहां पर खुले जिससे यहां के लोगों को काम मिले व यहां का विकास भी हो सके।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, मैं भी एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि अभी तक राज्य सरकार को यह भी पता नहीं है कि हमारे यहां पर कितना कोटा अलॉट भारत सरकार द्वारा पावर लूम के लिये किया गया है और जैसा कि मुख्य मंत्री महोदय ने अभी बताया कि इसके लिये मैं पत्र व्यवहार करूंगा तो इसके राज्य सरकार ऐसा क्यों नहीं करती कि एक राज्य के उच्च अधिकारी को इसके लिये वहां पर लगा दिया जावें ताकि हमें अधिक कोटा मिल सके।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मन्त्री महोदय से एक प्रश्न पूछना चहता हूं कि जब दूसरी स्टेट्स ने अपने यहां पर जो अन-ऑथोराइज्ड पावर लूम्स थे उन्हें अन-अथोराइज्ड को रेग्यूलराइज कर दिया तो अपने यहां पर इस

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
प्रकार की कार्यवाही करने में राज्य सरकार को क्या आपत्ति है। दूसरी अभी जो मुख्य मन्त्रियों की जो कॉन्फ्रेन्स हुई थी उसमें क्या इस प्रश्न को लेकर हमारे यहां के मुख्य मन्त्री जी ने इन प्रश्न को वहां के ऐजेन्डा में रखा क्या? क्या इस बारे में मुख्य मंत्री जी ने कोई इनिशियेटिव लिया क्या? क्या उन्होंने इस बारे में कोई जरूरत नहीं समझी? या क्या अब आगे अभी कोई मुख्य मन्त्रियों की कांफ्रेन्स होगी उसमें इस मामले को हमारे मुख्य मन्त्री महोदय टेक-अप करेंगे?

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा): अध्यक्ष महोदय, यह तो बहुत ही खेद की बात है कि हमारे मुख्य मन्त्री जी को यह पता नहीं है कि हमें कितना कोटा मिला जैसा कि उन्होंने सदन में कहा कि मेरे पास अभी पूरी जानकारी नहीं है। कम से कम उनके पास हर स्टेट्स का कम्परेटिव स्टेटमेंट तो होना चाहिये था। हमें इतना तो पता होना चाहिये कि कितना कोटा हमें मिला हैं। इसकी जानकारी तो होनी चाहिये।

श्री बरकतुल्ला खां: अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न काफी लम्बा हो गया है। मैं अभी सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि जहां तक मुख्य मन्त्रियों के कांफ्रेन्स के अन्दर इस प्रश्न को उठाने का सवाल है यह प्रश्न उस एजेण्डा में नहीं था इसलिये वहां नहीं उठ सका वहां पर तो ऐजेण्डा में अभी जो पब्लिक इन्टरेस्ट की ज्यादा इम्पोर्टेन्ट मुद्दे थे उन्हें उठाया गया था। जिसमें खासतौर से अनाज व सिविल सप्लाइज व आम जरूरतों की चीजों की कीमतों के बढ़ने के बारे में हुई थी। लेकिन अगर माननीय सदस्य इस बारे में यह चाहें कि मैं कोई अनलाफुल काम के लिए प्रोत्साहन दूं वह नहीं होगा। हां यह बात जरूर है कि मैं इसके लिए भारत सरकार को बार बार परश्यू करता रहूंगा। और कर भी रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष: काफी बहस हो चुकी है अब समाप्त करें। नेक्स्ट।

श्री भंवरलाल भदादा: अध्यक्ष महोदय, आज पावर लूम के कोटा नहीं मिलने से बराबर बेकारी बढ़ रही है उसके लिए हमारे राजस्थान में और भी कई ऐसे उद्योग है स्पिनिंग और सिन्थेटिक वगैरहा अगर उसको प्रोत्साहन दिया जावे तो काफी लोगों को काम मिल सकता है।

श्री अध्यक्ष: कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री भंवरलाल भदादा: अध्यक्ष महोदय, सिन्थेटिक को भी प्रोत्साहन देना चाहिये।

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट क्वेश्चन।

श्री अध्यक्ष: श्री रघुनाथ विश्नोई!

एक माननीय सदस्य: महिलाओं को एक भी प्रश्न नहीं पूछने दिया गया है।

श्री अध्यक्ष: काफी प्रश्न पूछे जा चुके हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई!

जालोर में पी. आर. ओ. का कार्यालय

6. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर): क्या जन सम्पर्क मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे?

(1) क्या यह सही है कि जिला जालोर के पी. आर. ओ. का दफ्तर पहले

(श्री रघुनाथ विश्नोई)
जालोर में स्थित था जो बाद में सिरोही हस्तान्तरित कर दिया गया है ? अगर हां, तो कब ?

(2) क्या इतना बड़ा जिला होने की दृष्टि से जालोर में पी. आर. ओ. का दफ्तर शीघ्र खोलना सरकार उचित समझती है ? अगर हां, तो कब तक ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

राज्य मन्त्री गृह (श्रीमती कमला बेनीवाल) : (1) जी नहीं, 1966 में।

(2) वित्तीय कठिनाई के कारण से यह अभी सम्भव नहीं होगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई : बजट सत्र में पहले भी आश्वासन दिया था। चूरू एक छोटा सा जिला है जालोर जिले के मुकाबले में। वहां पर एक हैडक्वार्टर दे दीजिये जिससे काम सफर न करे। पहले नागौर था। जब इन्टीग्रेशन किया तो वहां से हटा कर सिरोही भेज दिया। फिर जालोर भेज दिया। अलग से नहीं खोल रहे हैं तो क्या सरकार यह उचित समझेगी कि 15-15 दिन दोनों जगह कर दें ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : पन्द्रह-पन्द्रह दिन के लिये इस प्रकार उचित नहीं होगा। उसके मुकाबले में जो अभी व्यवस्था की हुई है वह उचित है और दोनों ही जगह का वे काम सम्भालते हैं। पहले जो आश्वासन दिया था। उसको रिव्यू किया गया और अब यह निर्णय लिया गया कि कोई नयी पोस्ट क्रियेट करना सम्भव नहीं है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : पी. आर. ओ. जालोर में नहीं आया। हमें बता दीजिये कि किस तारीख से काम हो रहा है ? इसके बिना जालोर जिले में बहुत नुक्सान हो रहा है। दस-दस, दिन बीस-बीस दिन जालोर जिले में हैडक्वार्टर पर रख कर काम करायेंगे तो काम होगा। बाढ़ से बहुत नुक्सान हुआ है।

श्रीमती कमला बेनीवाल : जो व्यवस्था की गयी है उसके अन्तर्गत निश्चित रूप से उन्होंने जिम्मेदारी निभायी है। यदि फ्लड के दौरान में काम नहीं किया है तो उसकी जांच करा ली जावेगी।

श्री अध्यक्ष : श्री अमृतलाल !

गन्दी बस्तियों के उन्मूलन एवं सुधार पर व्यय की गई राशि

7. **श्री अमृतलाल गहलोत** (सरदारपुरा, जोधपुर) : क्या नगर आयोजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) चौथी पंचवर्षीय योजना में राजस्थान के विभिन्न नगरों में गन्दी बस्तियों के उन्मूलन एवं सुधार के लिये कितनी धनराशि का प्रावधान था और वास्तव में इस योजना काल में कितनी राशि किन-किन नगरों में व्यय की जायेगी ?

(2) क्या यह सही है कि भारत सरकार ने जयपुर नगर में उपरोक्त कार्यों के लिये इस वर्ष अलग से 50 लाख रुपये स्वीकृत किये हैं ? यदि हां, तो यह राशि किस प्रकार व्यय की जायेगी ?

(3) प्रदेश की पाचवीं पंचवर्षीय योजना में मूलभूत न्यूनतम आवश्यकताओं के अन्तर्गत और अन्य मद में किन-किन नगरों में कितनी कितनी धनराशि उपरोक्त कार्य के लिये व्यय करने का प्रावधान रखा गया है ?

Page No 15

(श्री अमृतलाल गहलोत)

(4) क्या यह सही है कि अरबन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट, जोधपुर ने राज्य सरकार को जोधपुर नगर की गन्दी बस्तियों के उन्मूलन एवं सुधार का एक मास्टर प्लान प्रेषित किया है जिसमें 56 गन्दी बस्तियों में निवास करने वाले 38,394 व्यक्तियों के निवारण के लिये 88.23 लाख रुपये के कार्यक्रम हैं ?

(5) क्या यह सही है कि चारों पंचवर्षीय योजनाओं में उपरोक्त कार्य के लिये धनराशि व्यय करने में राज्य सरकार द्वारा जोधपुर की घोर अवहेलना रही और जयपुर के साथ घोर पक्षपात किया है जिससे जोधपुर की गन्दी बस्तियां, विशेष कर अनुसूचित जाति एवं जनजाति और अल्प संख्यकों के मोहल्ले एक प्रकार से सड़ रहे हैं? यदि हां, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में जोधपुर नगर को कितनी धनराशि का आवंटन कर उसके साथ न्याय किया जावेगा ?

नगर आयोजना मन्त्री (श्री परसराम मदेरणा) : (1) चौथी पंचवर्षीय योजना काल में गन्दी बस्तियों के उन्मूलन के लिये 40 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया जिसमें से बजट प्रावधान सन् 1969-70 से 1972-73 तक 18 लाख रुपये का था जिसमें से 1972-73 तक 8.82 लाख रुपये का व्यय निम्नलिखित नगरों में हो चुका है:—

उदयपुर	4.79 लाख
जोधपुर	2.05 लाख
अजमेर	1.98 लाख

वित्तीय वर्ष 1973-74 में 10 लाख रुपये का प्रावधान है जो वित्तीय वर्ष में व्यय होने की सम्भावना है।

(2) जी हां। भारत सरकार द्वारा जयपुर को एन्वायर्नमैंटल इम्प्रूवमेन्ट इन स्लम एरियाज स्कीम में शामिल कर लिया गया है व 50 लाख रुपये तक की प्रोजेक्ट्स स्वीकृत करने का प्रस्ताव है। यह राशि नगर विकास न्यास द्वारा स्लम इम्प्रूवमेंट कार्यों पर व्यय की जावेगी।

(3) प्रदेश की पांचवी पंचवर्षीय योजना को अभी भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। अतः इस विषय पर अभी कुछ भी कहना उपयुक्त नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा किये गये प्रावधानों को वैधानिक मान्यता तभी प्राप्त होगी जब कि भारत सरकार द्वारा उन पर स्वीकृति दे दी जावेगी।

(4) जी हां। नगर सुधार न्यास, जोधपुर से एक योजना प्राप्त हुई थी किन्तु उसमें कुछ खामियां थीं जिसके लिये अध्यक्ष, नगर विकास न्यास, जोधपुर की योजना को दुबारा बनाने (रिकास्ट) के लिये लिखा गया है।

(5) जी नहीं। पांचवी पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में स्थिति प्रश्न संख्या 3 में स्पष्ट कर दी गयी है।

श्री अमृतलाल गहलोत : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि 40 लाख रुपये का प्रावधान था तो जोधपुर में केवल दो लाख रुपये ही कैसे रखे ? एन्वायर्नमेन्टल इम्प्रूमेन्ट इन स्लम एरियाज स्कीम के अन्तर्गत कितना रुपया जोधपुर को दिया गया और कितना रुपया जयपुर को दिया गया ?

श्री परसराम मदेरणा : भारत सरकार की जो स्वीकृति है वह सात आठ लाख से ऊपर के नगरों के लिये है और उसके लिये जयपुर को ही चुना गया। 50 लाख की जो स्कीम है वह केवल जयपुर जिले के लिये है। सड़कों के लिये स्पेशल हैड है। उसके अन्तर्गत जयपुर को 5 लाख, जोधपुर को पांच लाख और एक्स्लेटरी प्रोग्राम बतौर अजमेर को दो लाख। इस प्रकार स्पेशल योजना इसके लिये बनायी। जोधपुर को 3 लाख रुपया दिया और भी खर्चा हुआ है। अजमेर में दस लाख रुपया दिया। सब ही काम प्रगति कर रहे हैं। स्पेशल स्कीम है एन्वायर्नमैन्टल इम्प्रूवमैन्ट इन स्लम एरियाज उसके अन्तर्गत 1.30 करोड़ रुपया है जिसके अन्तर्गत जयपुर को 2 साल में 38 लाख रुपया दिया है।

श्री अमृतलाल गहलोत : मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जोधपुर में गंदी बस्तियों की स्थिति बड़ी दर्दनाक है। हालत यहाँ तक पहुंच चुकी है अनुसूचित जाति और जन जाति के मौहल्ले और मुसलमानों के मौहल्ले सड़ रहे हैं। मुख्य मंत्री के मकान के पास ही मुस्लिम लीग पार्टी ने जन्म लिया है·······

श्री निरंजननाथ आचार्य : किस लड़के का या किस लड़की का जन्म हुआ ?

श्री अमृतलाल गहलोत : जयपुर को इतना रुपया दिया और जोधपुर को केवल दो तीन लाख रुपया ही दिया यह अन्याय आप कब तक जोधपुर के साथ करते जावेंगे ?

श्री परसराम मदेरणा : जोधपुर की अपनी अहमियत है। राजस्थान और राजस्थान के शहरों में जयपुर के बाद जोधपुर ही बड़ा शहर है। जयपुर की आबादी 8 लाख के आस पास है और इसकी स्वयम् की अपनी स्लम समस्यायें हैं। गंदी बस्तियों की संख्या भी जयपुर शहर में ज्यादा है। स्पेशल एनवायर्नमैन्टल स्कीम जयपुर के लिये है। 50 लाख का प्रावधान हुआ तो 24 लाख रुपया पिछले साल स्वीकृत कर दिये गये। अब कितना दे सकेंगे इसकी अभी तक कोई सूचना नहीं आयी है। यह योजना केवल जयपुर के लिये ही है। चीफ मिनिस्टर्स कान्फ्रेन्स में यह प्रश्न उठाया गया। हर राज्य में एक जिला होना चाहिये। जयपुर में ही यह खर्च किया जा रहा है और किसी पर्टीकुलर सैक्टर में पैसा नहीं आया। जो कुछ भी निर्णय लिया गया रोड सैक्टर में प्रावधान किये गये उसके लिये शहर और रूरल एरिया में स्पेसिफाई होकर नहीं आया। प्लानिंग डिपार्टमैन्ट की राय से कुछ योजनायें दी गई उसमें जयपुर में सड़कों की योजना नहीं·······

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आबादी बढ़ने के ऊपर तुले हुए हैं।

श्री शंकरलाल : प्रश्न संख्या 4 के अन्तर्गत आपने उत्तर में बताया कि नगर सुधार न्यास, जोधपुर से एक योजना प्राप्त हुई थी किन्तु उसमें कुछ खामियां थीं जिसके लिये अध्यक्ष नगर विकास न्यास, जोधपुर को योजना को दुबारा बनाने के लिये लिखा गया। इसलिये आपने स्वीकृति भी नहीं दी।

श्री अमृतलाल गहलोत : प्लान तो मेरे पास मौजूद है।

श्री शंकरलाल : क्या कमियां थी यह आपने नहीं बतायीं।

Page No 17

श्री मोहनलाल छंगाणी (फलौदी) : यह सारे राजस्थान के शहरों का सवाल है केवल जयपुर या जोधपुर शहरों का ही सवाल नहीं है।

श्री राजेन्द्र भारतीया (बूंदी) : छोटे शहरों में भी स्लम्स की प्रोबलेम्स हैं और उस ओर भी योजना बनाने की आवश्यकता है। इसलिये राजस्थान के सब ही नगरों के लिये इस प्रकार का प्रावधान किया जाना चाहिये।

श्री मोहनलाल छंगाणी (फलौदी) : अध्यक्ष महोदय, महत्वपूर्ण प्रश्न भी कभी कभी जयपुर, जोधपुर और अजमेर शहरों में आकर अटक जाते हैं। आप एक जयपुर को सुधारने की बात करते हैं तो आसपास के दस छोटे मोटे शहर और गांव के लोग उसे और खराब कर देते हैं वहां से माइग्रेट कर करके। तो इस तरह से तो न आप जयपुर शहर सुधार पावेंगे और न दूसरे शहर ही सुधार पावेंगे। यहां आपके एक लाख और दो दो लाख रुपयों का क्या पता लगेगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि जयपुर के लिये अगर पूरा पैसा नहीं है और जोधपुर के लिये भी पूरा पैसा नहीं है तो इस छोटी छोटी रकम से आप छोटे छोटे शहरों की समस्या तो हल कर सकते हैं। उनकी हालत भी खराब है और इस छोटी रकम से लाख लाख दो दो लाख से उनकी समस्याएं अच्छी तरह से हल हो सकती हैं। तो आपके पास अगर अर्थाभाव है तो इन छोटे छोटे शहरों और नगरों की तरफ ध्यान दीजिये। जब अर्थभाव मिट जावे और पूरा पैसा आवे तो बड़े बड़े शहरों को पूरी तरह से ठीक कर दें। तो मेरा निवेदन करना है कि छोटे छोटे शहरों को आज की आपकी अर्थाभाव की स्थिति में प्राथमिकता दें ताकि जिन छोटे नगरों के कारण बड़े बड़े शहर खराब होते हैं तो उनकी हालत अगर सुधर जावेगी छोटी छोटी रकम से तो उनके कारण होने वाली खराबी से बड़े शहर वैसे ही सुधरते जावेंगे थोड़े बहुत तो। तो प्रकारान्तर से इसका असर बड़े शहरों की खराबी को दूर करने पर भी पड़ेगा। तो आपका यह थोड़ा थोड़ा पैसा छोटे शहरों को दे दिया जावे। यह क्या तरीका है कि छोटों को एक पैसा भी नहीं मिलता और लाख लाख दो दो लाख से बड़े शहरों की भी हालत नहीं सुधरती।

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर) : मैं निवेदन करना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, 72 के बजट सत्र में मुख्य मन्त्री जी ने घोषणा की थी कि एक नगर के पश्चात् दूसरे नगर को लेकर वहां की गन्दगी को हटाने और वहां का विकास करने के लिये वे अपनी योजना लेकर प्रयास कर रहे हैं। इसके लिये उन्होंने अपने प्रयास जयपुर से शुरू किये थे।

मैं जानना चाहूंगा कि जयपुर में तो आपकी योजना पिछले साल से प्रारम्भ हो गई। इसके बाद जोधपुर का नम्बर आना चाहिये था हालांकि मैं जयपुर, जोधपुर अलवर, कोटा के विवाद में नहीं जाना चाहता। पर यह निवेदन अवश्य करूंगा कि अब जयपुर के बाद किस शहर की गन्दगी हटाने की आप की योजना है ?

जैसा मेरे से पूर्व सरदारपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है कि जोधपुर के साथ हर कदम पर सौतेली मां सा व्यवहार किया जा रहा है। वहां के लिये जब भी प्रश्न किया जाता है फण्ड्स कहां से लाये जावें यह प्रश्न खड़ा कर दिया जाता है।

(श्री गुमानमल लोढ़ा)
आप अपने सोर्सेज से निकालें या सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट से लावें पर जोधपुर के साथ इस तरह का खिलवाड़ तो नहीं करें।

एक माननीय सदस्य : यह सप्लीमेन्टरी प्रश्न है या सरमन है ?

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर) : यह तो अपनी पब्लिसिटी कराने के लिये कह रहे हैं। वह तो हो गई। अब असल मुद्दे पर आवें।

श्री गुमानमल लोढ़ा : पांचवी योजना के आंकड़े तो आप नहीं बताना चाहते पर यह आश्वासन तो दें कि केन्द्र से सहायता लेकर भी जोधपुर नगर की गन्दगी दूर करने की जो आपकी योजना है उसे पूरा किया जावेगा और इस तरह से इस नगर के साथ भी न्याय किया जावेगा।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मेरा भी एक प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न तो बहुत हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : गन्दी बस्तियों को सुधारने के लिये जयपुर में चालीस लाख का प्रावधान था। इसमें से 8 लाख 72 हजार ही अब तक खर्च किये गये हैं। मैं जानना चाहता हूं कि बाकी की जो राशि है क्या वह इस वित्तीय वर्ष में खर्च करने की आपकी योजना है या नहीं ?

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव (आमेर) : मेरा निवेदन यह है कि सरकार जयपुर, जोधपुर आदि नगरों के नामों के चक्कर में न पड़ कर इस समस्या को कॉमन ढंग से हल करने की योजना बनावें। यह कहना और बताना गलत है कि जयपुर में इतना खर्च कर दिया, जोधपुर में इतना किया, जयपुर में इतना काम हो गया और जोधपुर में नहीं हुआ ज्यादा उचित तो यह होगा कि सब शहरों की जहां यह समस्या है कॉमन रूप से योजना बना कर उस पर अमल किया जाय।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवामहल, जयपुर) : जयपुर की सड़कों का काम मार्च, 74 तक पूरा कर दिया जावेगा, क्या यह आश्वासन आप सदन को देंगे ?

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय !

अकाल राहत मन्त्री : (श्री परसराम मदेरणा) माननीय अध्यक्ष जी, राजस्थान के किसी भी शहर के साथ अन्याय करने की राजस्थान सरकार की मंशा नहीं है। बल्कि तत्परता के साथ सभी जगह से गन्दगी हटाने के लिये काम करना चाहती है। इसके लिये परटीकूलर कहां के लिये क्या योजना है इसके तो रेकार्ड मेरे पास इस समय नहीं है इसलिये नहीं कह सकता।

जहां तक जोधपुर का प्रश्न है वहां की स्कीम हमारे पास आई थी, अब उसमें परटीकूलर खामी कहां क्या थी यह तो मैं अर्ज नहीं कर सकता क्योंकि कागज मेरे सामने नहीं हैं, पर इतना कह सकता हूं कि उसे रिकास्ट करने के लिये हमने वापिस भेजा है। पांचवीं योजना में जो प्रावधान अन्तिम रूप से रहेंगे वे इसी के आधार पर रहेंगे।

यह प्रश्न भी उठाया गया कि बड़े शहरों में माइग्रेशन हो रहा है उसको चैक किया जावे। इसके कारण अरबनाइजेशन की समस्या खड़ी हो गई है। अब इसके लिये

(अकाल राहत मंत्री)
में निवेदन करूं कि इसके लिये अभी तक केवल सारे देश में दिल्ली के लिये योजना बनी है और किसी शहर के लिये नहीं है। उत्तर प्रदेश और राजस्थान की भी कुछ तहसीलें इस योजना में आई हैं। वहां इन्फ्रा स्ट्रक्चर और एम्पलॉयमेन्ट के चान्सेज के आधार पर इकोनोमी बिल्ड करना चाहते हैं जिस अनुरूप में यह सब करना चाहते हैं उतना प्रावधान रखने की क्षमता वहां भी नहीं दिखती है।

अब इसके लिये राजस्थान सरकार ने जो प्रावधान दिया है वह 80-90 करोड़ के आस पास है। भारत सरकार ने इसके लिये एक बोर्ड भी बनाया है। इस बोर्ड की मीटिंग में जाने का अवसर हमें भी मिला है। 20 करोड़ का प्रावधान अभी रख रहे हैं। काफी नगरों को डवलप करने की यह योजना है। अब इतनी रकम से सब नगरों में इन्फ्रा स्ट्रक्चर, सोशल फेसीलिटी आदि उपलब्ध कराकर इस समस्या को हल करने की सम्भावना कम नजर आ रही हैं। इस लिये अभी इस सम्बन्ध में मैं कोई आश्वासन नहीं दे सकता हूं।

यह जरूर है कि जैसा माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने जयपुर के लिये बात कही यहां कच्ची बस्तियों की संख्या सबसे अधिक है। एनविरनमेन्टल सोशल एरिया को डवलप करने की जो भारत सरकार की स्कीम है उसमें केवल जयपुर शहर को ही सम्मिलित किया जा सका है। पांचवीं योजना में निश्चय ही कुछ और शहरों को सम्मिलित किया जावेगा, उसमें इनको इगनोर नहीं किया जावेगा। अब इसमें जहां तक खर्चे का सवाल है आंकड़े इस समय मेरे पास नहीं हैं इसलिये वह बताने में असमर्थ हूं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : हम दस लाख ही खर्च नहीं कर पावें और अधिक की उम्मीद किस आशा पर करें।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

सेवा नियम

श्री मोहनलाल छंगाणी (फलौदी) एवं **श्री श्रीराम गोटेवाला** (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे;—

(1) क्या यह सही है कि राजकीय कर्मचारियों व अधिकारियों से सम्बन्धित जो भी सेवा नियम बने हैं, वे राज्य सरकार ने ही बनाये हैं और अब तक सेवा सम्बन्धी कोई भी अधिनियम विधान सभा द्वारा पारित नहीं करवाया गया है ?

(2) क्या यह सही है कि संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत सेवा सम्बन्धित अधिनियम बनाये जाने का प्रावधान है और राज्य सरकार को केवल प्रोविजनल अधिकार ऐसे नियम बनाने हेतु प्रदत्त हैं ?

(3) क्या राज्य सरकार संविधान की धारा 309 के अन्तर्गत सेवा सम्बन्धित कोई विधेयक विधान सभा में पारित कराने हेतु प्रस्तुत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

राज्य मन्त्री गृह (श्रीमती कमला बेनीवाल) :........

श्री अध्यक्ष ; मैं इस बीच में थोड़ा निवेदन कर दूं। पन्द्रह सोलह सवाल कुल हैं। अभी तक हम पांच छः तक ही पहुंच पाये हैं। मैं चाहता था कि अधिक से

(श्री अध्यक्ष)

अधिक लोगों को सवाल पूछने का अवसर मिले इसलिए नियन्त्रित रूप से सप्लीमेन्टरी प्रश्नों को चलाया जाय, यह मैं चाहता हूं। एक ही प्रश्न पर अधिक समय लगने से ज्यादा लोगों को लाभ नहीं मिलेगा और समय समाप्त हो जावेगा। वैसे सदन अगर यही चाहे, तो मुझे ऐतराज नहीं है। पर मैं चाहता हूं कि अधिक से अधिक प्रश्न पूछे जावें और उनके अधिक से अधिक उत्तर मिलें इसलिए यह सख्ती थोड़ी बहुत करता हूं।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार, जयपुर) : जवाव भी संक्षिप्त होने चाहिये।

राज्य मन्त्री गृह (श्रीमती कमला बेनीवाल) : (1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं। चूंकि संविधान की धारा 309 के परन्तुक के अन्तर्गत भारत सरकार एवं अन्य राज्य सरकारें भी नियम बनाती हैं और इस मामले में एक रूपता रखना अपेक्षित है, अतः इस सम्बन्ध में उनसे परामर्श किया गया था। भारत सरकार ने बताया है कि प्रशासनिक सुधार आयोग ने, संविधान की उक्त धारा के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये सेवा नियम बनाये जाने की वर्तमान प्रणाली को बनाये रखने का सुझाव दिया था और इसी प्रकार की प्रणाली राज्य सरकारों के लिए भी रखे जाने का सुझाव था, जिसे भारत सरकार ने मान लिया है। अतः राज्य सरकार ने राज्य सेवा सम्बन्धी नियमों के बनाये जाने की वर्तमान प्रणाली को ही बनाये रखने का निश्चय किया है।

श्री मोहनलाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सदन में सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि हमारे इस सम्बन्धी रूल्स बन रहे हैं, करीब करीब बन चुके हैं ? इस आर्टिकल्स के तहत सरकार रूल्स फ्रेम कर सकती थी और इसी के सन्दर्भ में आश्वासन दिया भी गया। डेट चाहिये तो वह भी मैं बता दूंगा कि कौनसी तारीख को दिया था।

श्रीमती कमला बेनीवाल : मैंने जैसा अपने उत्तर में निवेदन किया है कि हमने एक रूपता की दृष्टि से भारत सरकार को चिट्ठी लिखी। उनका जो जवाब आया उसका विवरण बता दिया। कहा गया कि जिस ढंग से राज्य सरकार बनाती रही है नियम उसी तरह से बनाती जावे। अगर पूर्व में इस प्रकार का कोई आश्वासन दिया भी गया हो तो इसको हम सदन में लाने में इसलिए समर्थ नहीं हैं कि वर्तमान में उसी पद्धति से नियम बनाने के लिए हम कटिबद्ध हैं।

श्री मोहनलाल छंगाणी : एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमेटी की रिपोर्ट को चूंकि आपने मान्य नहीं किया है, इसलिए उसका तो सवाल ही नहीं उठता।

309 के तहत माने या नहीं माने ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : मैं भारत सरकार की चिट्ठी आपको पढ़कर सुना सकती हूं......

श्री मोहनलाल छंगाणी : आर्टिकल 309 के तहत मैन्टिनेन्स आॅफ सिक्योरिटी एक्ट चाहेंगे, फ्रीडम आॅफ एक्सप्रेसन चाहेंगे, फ्रीडम आॅफ असोसियेशन चाहेंगे—जो कुछ

(श्री मोहनलाल छंगाणी)
भी है इनको किसी तरह कायम करने के लिए और अच्छी तरह रेगूलेट करने के लिए इस आर्टिकल का जन्म हुआ था इसलिए मैं चाहूंगा कि इस आर्टिकल के तहत कोई न कोई रूल बनाया जाय। 25-3-68 को माननीय मुख्य मन्त्री सुखाड़िया साहब ने यह आश्वासन दिया था कि हम बहुत जल्दी रूल्स बना रहे हैं और करीब करीब बन चुके है। 25-3-68 को आश्वासन दिया था।

श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) : क्या यह आश्वासन हाउस में दे दिया गया था ? अगर यह आश्वासन दे दिया गया तो यह हाउस की प्रापर्टी हो गई इससे आप भी सहमत होंगे और हाउस भी सहमत है तो क्या आप यह समझते हैं कि इस सदन का अतिक्रमण नहीं है ? और जब आश्वासन दे दिया गया तो सारी स्थिति सामने है। हाउस के एश्योरेन्स के सम्बन्ध में ऐसा कहना और उस बात को यहां पर रखना—दोनों ही उचित नहीं है।

मुख्य मन्त्री (श्री बरकतुल्ला खां) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो सब जानते है कि हाउस के सामने जो आश्वासन दिया जाता है, उसकी इज्जत करना हमारा फर्ज है और जो मेजोरिटी में बैठे है उसको उससे ज्यादा है लेकिन इससे पूर्व मेरा एक निवेदन है। बार बार मैंने यह कहा है और कहता रहा हूं कि हम लोग ऑल इंडिया पेटर्न पर फिट होना चाहते हैं और ऑल इंडिया पेटर्न से अलग होना भी नहीं चाहते है। हम यह चाहते है कि भारत एक है और उसकी एकता रखने के लिये कोई भी कन्डीशन्स अलग अलग नहीं हो सकती है लेकिन मूल मुद्दों पर हमारा एक विचार रहना चाहिये और इसीलिये उस समय यह रिकमन्डेशन आई। उस समय हमारे जो मुख्य मंत्री महोदय सुखाड़िया साहब थे उन्होंने यह कहा था और उस पर चलना चाहिये था लेकिन आज पूरे भारत में न तो किसी स्टेट ने और न भारत सरकार ने इस चीज को माना है। मैं यह सोचता हूं भारत की किसी स्टेट ने नहीं माना, सेन्ट्रल सरकार ने नहीं माना। उसके बाद हम अपने आपको किसी तरह आगे, बढ़ाये, मैं समझता हूं ज्याद अच्छा नहीं लगेगा। मैं यह निवेदन कर दूं भारत सरकार ने और, और स्टेट्स ने इसको नहीं माना है····

श्री अध्यक्ष : श्री सुख लाल !

पाली जिले में बाढ़ से क्षति

9. **श्री सुखलाल सेंणचा** (जैतारण) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) पाली जिले में बाढ़ से कितने गांव प्रभावित हुए, कितने व्यक्ति मरे व कितने मकान गिरे एवं कितना नुकसान हुआ ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) उक्त क्षेत्र के कितने मकानो को बनाने हेतु अनुदान के प्रार्थना-पत्र जिलाधीश के पास पहुँचे तथा उनमें से कितनों पर विचार कर मुआवजा दिया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

अकाल सहायता मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : पाली जिले में इस वर्ष 445

(अकाल सहायता मंत्री)
गांव बाढ़ से प्रभावित हुये हैं। बाढ़ के कारण मरने वाले व्यक्तियों की संख्या 38 है तथा बाढ़ से 9649 मकान पूर्णयता नष्ट हो गये हैं एवं 10483 मकान आंशिक रूप से नष्ट हुये हैं। इनकी अनुमानित लागत क्रमशः 96,49,000) रु. एवं 31,44,900) रु. हैं।

(2) जिलाधीश कार्यालय में आवेदन-पत्र बहुत कम आये हैं, परन्तु जिन लोगों के मकानों की क्षति हुई है उनको नकद सहायता देने के लिये तहसीलवार समितियों का गठन कर दिया गया है। समिति के संयोजक तहसीलदार हैं तथा विधान सभा सदस्य, प्रधान या नगरपालिका के चेयरमैन तथा विकास अधिकारी इसके सदस्य हैं। यह समितियां 16 सितम्बर को गठित की गई थीं। समितियां मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लेकर वहीं पर सहायता के आवेदन-पत्र प्राप्त कर सहायता की धनराशि उपलब्ध कर देती है। इस कारण पूरी जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है कि सहायता के लिये सारे जिले में कितने आवेदन-पत्र आये एवं उनमें से कितनों को अनुदान का चुकारा हो चुका है।

श्री रोशनलाल शर्मा (सलूम्बर) : यह जो आपने आदेश प्रसारित किये हैं यह आदेश आपके सेक्रेटेरियट से प्रसारित हुये हैं। जहां जहां बाढ़ आई है। हमें पता नहीं है, हम उसके मेम्बर हुये हैं।

श्री शंकरलाल (पाली) : प्रार्थना-पत्र देने की आवश्यकता नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : मौके पर प्रार्थना-पत्र देने की आवश्यकता नहीं है। यह जो कमेटी बनाई गई है, जिलाधीश की सहायता के लिये, जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उन्होंने समितियां बनाई हैं। यह मामला पाली जिले के सम्बन्ध में है राजस्थान के अन्य जिलों के सम्बन्ध में नहीं है।

श्री रोशनलाल शर्मा : पाली में तो है। पाली में बाढ़ आई है लेकिन पाली जिले में जिस तरह की बाढ़ आई और उसी तरह की बाढ़ अन्य जिलों में आई है तो गवर्नमेंट दूसरी डिस्ट्रिक्ट्स में क्यों नहीं बना रही है।

श्री परसराम मदेरणा : बाढ़ की चर्चा सदन में आ गई इसलिये मैं विस्तृत रूप से यह कहूंगा इस सम्बन्ध में राज्य सरकार क्या इरादा रखती है लेकिन यह फिलहाल इमरजेन्सी को मीट आउट करने के लिये 16 सितम्बर को जिलाधीश ने कमेटी बनाई है। भोजन और आवास की व्यवस्था तथा माइग्रेट करने की व्यवस्था तत्काल करनी थी इसलिये यह कमेटी बनाई है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर अश्रव्य)

नेक्स्ट क्वेश्चन।

श्री रोशनलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कलेक्टर, पाली ने कमेटी बनाई। राज्य सरकार ......

श्री अध्यक्ष : श्री सावरमल मोर !

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर अश्रव्य)

श्री सावरमल मोर !

श्री सज्जन सिंह (सुमेरपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं...

श्री रोशनलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, बहुत इम्पॉर्टेन्ट प्रश्न है। लोग भूखों मर रहे हैं। यह आप कैसे मानते हैं पाली में ही हुआ और दूसरी जगह कुछ नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष : इसको अलग बातचीत में करेंगे।

श्री रोशनलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है, कुछ सवाल हो जाय मैं यह चाहता हूं लेकिन फिर भी आपका कोई ध्यान नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री सावरमल मोर !

श्री मोहनलाल छंगाणी : क्या डिबेट होने वाली है सेपेरेटली ?

(अनुत्तरित)

श्री अध्यक्ष : श्री सावरमल मोर !

गाड़ोदा ग्राम के हरिजन मोहल्लों में पीने के पानी की व्यवस्था

10. श्री सावरमल मोर (श्री माधोपुर) : क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सीकर जिले के गाड़ोदा ग्राम के हरिजन मोहल्लों में पीने के पानी की सुविधा हेतु राज्य सरकार ने धनराशि स्वीकार की थी ? यदि हां, तो वहां काफी अर्सा बीत जाने के बाद भी पाइप लाइन क्यों नहीं लगाई गई ?

(2) अब उक्त मोहल्लों में पाइप लाइन कब तक लगा दी जावेगी ? तथा विलम्ब से कार्य करने वाले अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही की जावेगी।

जन स्वास्थ्य मन्त्री (श्री चन्दनमल बैद) : (1) जी हां, ग्राम गाड़ोदा के हरिजन मोहल्लों में पानी की सुविधा हेतु 16,200) रु. की राशि दिनांक 27-3-73 को स्वीकृत की गई थी। पाइप लाइन डालने के कार्य को पूरा करने हेतु 2 इन्च के पाइप तथा उनसे सम्बन्धित दूसरा सामान न मिलने के कारण कार्य पूरा नहीं किया जा सका।

(2) उक्त मोहल्लों में पाइप लाइन डालने की कार्यवाही इस वित्तीय वर्ष में ही पूरी कर ली जाने की आशा है। सामान उपलब्ध न होने के कारण कार्य नहीं किया जा सका।

श्री सावरमल मोर : पाइप लाइन होने के लिये ... (अश्रव्य)

श्री चन्दनमल बैद : हर जगह के लिए अलग अलग आॅर्डर्स दिये जाते हैं। हो सकता है किसी जगह के आॅर्डर पूरे हो गये हैं और सम्भव है किसी जगह पाइप नहीं है ...

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन।

अकाल सहायता कार्य खोलने का आधार

11. श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर) : क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अकाल सहायता कार्य खोलने के लिये क्या राज्य सरकार की ओर से फेमिन

Page No 24

(श्री श्रीराम गोटेवाला)
कोड बना हुआ है ? यदि हां, तो यह कोड किस वर्ष बना था ?

(2) क्या फेमिन कोड में बतलाये गये नियमों के अनुसार ही वर्ष 68-69, 69-70 एवं 72-73 में जब राजस्थान में अकाल था, तब पूर्ण पालना की गई ? यदि हां, तो किन किन जिलों में ? यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

(3) फेमिन कोड में बतलाये गये नियमों का उल्लंघन सबसे अधिक किस व्यक्ति ने किया ? और उसके खिलाफ राज्य सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

अकाल सहायता मन्त्री (श्री परसराम मदेरणा) : (1) वर्तमान में जो फेमिन कोड चालू है वह 30 अप्रेल, 1962 को प्रकाशित किया गया था।

(2) यद्यपि 1962 में बना यह कोड अब तक लागू है, परन्तु इसका आशय यह नहीं है कि जो प्रावधान वर्ष 1962 में कोड में रखे गये थे उन्ही से बाधित होकर सहायता विभाग अब तक कार्य करता रहा है। वस्तु स्थिति यह है कि जैसे जैसे भिन्न भिन्न प्रकार की समस्यायें उत्पन्न हुई हैं, वैसे वैसे उन पर विचार करके आवश्यकतानुसार राज्य सरकार ने यथा समय निर्णय लिया और उन निर्णयों के अनुसार कार्यवाही की गई है। फेमिन कोड विधान सभा के द्वारा पारित किया गया कोई अधिनियम नहीं है। यह इन्डियन पैनल कोड या क्रिमीनल प्रोसीजर कोड की प्रकृति का कोई कानून नहीं है। यह कोड राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गये निर्देशों का एक संकलन मात्र ही है। ऐसी दशा में जितने भी निर्देश राज्य सरकार ने इस कोड को जारी करने के बाद दिये उन सबका प्रभाव फेमिन कोड के तत्सम्बन्धी प्रावधानों पर हुआ है एवं उस सीमा तक इस कोड के प्रावधान संशोधित हो गये हैं। जो निर्देश फेमिन कोड में दिये गये हैं जो बाद में समय समय पर जारी किए गये उन्हीं के अनुसार वर्ष 68-69, 69-70 एवं 72-73 में कार्यवाही की गई है। जहां तक कोड में दिये प्रावधानों एवं बाद में समय समय पर जारी किए गये निर्देशों की पालना करने का सम्बन्ध है पूछा गया प्रश्न बहुत ही व्यापक प्रकृति का है। यदि किसी विशेष मामले के बाबत पूछा जावे तो उसके बाबत सूचना एकत्रित कर प्रस्तुत की जा सकती है।

(3) फेमिन कोड के प्रावधानों एवं सहायता व्यवस्था के बाबत समय समय पर जारी किए गये निर्देशों का सबसे अधिक उल्लंघन किसी व्यक्ति विशेष द्वारा किये जाने का कोई भी मामला राज्य सरकार के सामने नहीं आया है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। पिछले अकाल हुए उनके अनुभवों के आधार पर जो प्रशासक हैं उनकी गाइडेन्स के लिए फेमिन कोड, एक संहिता बनाई गई थी जिससे कि कोई मनमानी नहीं हो सके और फेमिन फण्ड्स का सब को बराबर लाभ मिल सके। क्या आपके स्वयं के गांव को दूसरे गांवों से जोड़ने के लिए एक साल और दो महीने के अर्से में 25-26 के साल में एक करोड़ रुपया खर्च किया गया और

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)
उसमें से 90 लाख रुपये का गबन हुआ है ?

श्री परसराम मदेरणा : जो भी कार्य मेरे गांव को जोड़ने के लिए किया गया....

श्री पूनमचन्द विश्नोई : 1 करोड़ का काम किया गया या नहीं ?

श्री परसराम मदेरणा : मुझे पता नहीं । 1 करोड़ का तो हो ही नहीं सकता ।

श्री शंकरलाल (पाली) : फैमिन कोड के मुताबिक हुआ क्या ?

श्री परसराम मदेरणा : यह कहा गया है कि जो कुछ भी खर्चा राहत कार्यों में खर्च हुआ है....

श्री पूनमचन्द विश्नोई : जोड़ने में ।

श्री परसराम मदेरणा : मेरे गांव चांडी में 90 लाख रुपयों का गबन हो गया है—यह बात निराधार भी नहीं है लेकिन अत्यन्त धूर्ततापूर्ण भी है । ...

श्री रामानन्द अग्रवाल : खर्चा हुआ या नहीं ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर अश्रव्य) मैं चेलेन्ज करता हूं कि यह कोई कस्बा नहीं है, यह कोई मण्डी नहीं है, तहसील का हैडक्वार्टर भी नहीं है । सिर्फ अपनी जन्म-भूमि के प्रति प्रेम रखने के लिए और अपनी ख्याति को अमर करने के लिए धन का दुरुपयोग किया है और जिस गांव के आप रहने वाले हैं, आप वहां पर हुए कार्यों को असेस करवा लीजिए । यह गबन का, भ्रष्टाचार का और चोरी का सबसे बड़ा केन्द्र है और राजस्थान में फेमिन का जो काम है इस शताब्दी का सबसे बड़ा घोटाला है । जिस गांव के यह रहने वाले हैं, उसमें बिना किसी की सिफारिश के जिस व्यक्ति ने 1 करोड़ रुपया खर्च कर दिया, मैं चेलेन्ज देकर कहता हूं कि यह गबन हुआ है । और घोटाला हुआ है । अध्यक्ष महोदय, आप किसी से भी असेस करवा लीजिए, 15 लाख रुपये से ज्यादा का काम वह हो नहीं सकता । 53 लाख रुपया 43 मील के लिए लेवर चार्जेज और चापासर की एक मील की सड़क नहीं बनी और उसमें 11 लाख रुपया खर्च हुआ । 8 मील की सड़क नोखरा 4½ लाख रुपया खर्चा हुआ । 6 मील की सड़क—एक मील की सड़क भी बता दें तो मैं चेलेन्ज करता हूं । 28 मील की सड़क और इस पर 15 लाख रुपया खर्च हुआ और आपको एक मील भी काम नहीं मिलेगा । ओसियां की सड़क जो कई दफा बन चुकी है वह छोड़िये, 1 साल और दो महीने के अकाल में 19 लाख रुपया खर्च हुआ । उसमें से 8-10 लाख रुपये का मेटेरियल हो सकता है, बाकी कुछ नहीं है । माननीय अध्यक्ष महोदय, आप किसी से भी पूछ लीजिए वहां एक मील पर 7 हजार से ज्यादा खर्च नहीं हो सकता । इनकी नाक के नीचे हुआ है और इन्होंने खुद ने मन्जूर किया है ...

श्री गुमानमल लोढ़ा : इन्हें त्याग-पत्र देना चाहिए । He must resign.

श्री पूनमचन्द विश्नोई : और यह रुपया इनके गांव में खर्च हो जाये । औरंगजेब के प्रशासन की मान्यता थी कि वह टोपियां बना-बनाकर अपने जीवन को

Page No 26

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

चलाता था और यहां पर इस प्रकार से 1 करोड़ में से 90 लाख गबन हो जाये। इसकी सी. बी. आई. से जांच कराइये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जब मन्त्री महोदय ने कहा है कि यह निराधार नहीं है तो उनको त्याग-पत्र देना चाहिए और इसकी सी. बी. आई. से जांच होनी चाहिए। वह स्वयं जानते हैं कि निराधार नहीं है तो जब निराधार नहीं है और गम्भीर आरोप है तो उनको त्याग-पत्र देना चाहिए और इसकी सी. बी. आई. से जांच होनी चाहिए। माननीय मुख्य मन्त्री जी सदन में विराजमान हैं, मैं प्रार्थना करूंगा कि इसकी जांच सी. बी. आई. से कराई जाय।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न मेरा है और मुझे सप्लीमेन्ट्री करने का अधिकार है।

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न फेमिन कोड के सम्बन्ध में पूछा है। इन्होंने कोड के सम्बन्ध में प्रश्न न पूछकर मेरे गांव में राहत कार्यों के सम्बन्ध में प्रश्न पूछ लिया। मेरे गांव में चले या नहीं चले लेकिन राजस्थान में इस प्रकार के बड़े गांव हैं, जिनकी जोग्राफिकल और फिज़िकल पोज़ीशन इस तरह की है कि बड़े गांव हैं और बीच में आये हुए हैं—मेरा गांव ही केवल सड़कों से जुड़ा हुआ नहीं है। मैं बीसियों गांवों की ऐसी एग्ज़ाम्पल दे सकता हूं कि जो 8-8 और 10-10 सड़कों से जुड़े हुए हैं और वहां इतना जबर्दस्त फेमिन है। यह बात भी निवेदन करना चाहता हूं कि 1964 के बाद में 1970 में जरूर अकाल घोषित नहीं किया गया लेकिन 1970 के अन्दर भी आधे गांवों में खाने के लिए अनाज नहीं था। जहां तक प्रश्न मेरे त्याग-पत्र का है और सी. बी. आई. की बात कही गई है तो इस प्रश्न के पूछने में पॉलिटीकल ओवरटोन्स और अण्डरटोन्स भी हैं। ... ...

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर—अश्रव्य)

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह पूछा गया है....

श्री अध्यक्ष : जवाब तो सुन लीजिए।

श्री रामानन्द अग्रवाल : प्रश्न यह पूछा गया है कि क्या 1 करोड़ रुपया आपने सैंक्शन किया ? कितना रुपया सैंक्शन हुआ है ?...

श्री शंकरलाल : इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता कि पॉलिटिकली इस प्रश्न को लिया जा रहा है।

(कई माननीय सदस्यों के साथ बोलने पर अश्रव्य)

श्री श्रीराम गोटेवाला : राजस्थान के करोड़ों रुपयों का घोटाला हो जाए और जब नियमों की जानकारी चाहें, कोड की जानकारी चाहे तो उसको पॉलिटिकल रूप देने की बात कहें...

श्री अध्यक्ष : मैं समझता हूं कि यहां कोई प्लेटफार्म तकरीर नहीं हो सकती।

श्री गुमानमल लोढ़ा : उन्हें त्याग-पत्र देना चाहिए और सी. बी. आई. से जांच

(श्री गुमानमल लोढ़ा)
कराई जानी चाहिए। यह सरकार कहती है कि भ्रष्टाचार को समाप्त कर दिया तो क्या यह उचित है कि हमारे यहां इस प्रकार के घोटाले हों ?

श्री भानुकुमार शास्त्री : इसके बारे में सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि गबन को छिपाने के लिए पॉलिटिकल बात कहना चाहें तो यह निराधार है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मेरा ओरीजिनल प्रश्न है और मुझे सप्लीमेन्ट्री पूछने का अधिकार है।

श्री अध्यक्ष : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपके प्रश्न आ गए हैं और उन पर मन्त्री महोदय का उत्तर आने दें। इस प्रश्न का दायरा सीमित है और आप इस बारे में सप्लीमेंट्री पूछ सकते हैं और मन्त्री महोदय को उनका उत्तर देने का भी अधिकार है। हो सकता है कि आप उत्तर से खुदानखास्ता संतुष्ट न हों तो आपके पास दूसरी राह भी है जिसके आधार पर आप इसे दुबारा ला सकते हैं। मैं समझता हूं कि आप पहले मन्त्री महोदय का उत्तर सुन लें और उसके बाद भी संतुष्ट न हों तो आपके प्रोसीजर में और तरीके दिए हुए हैं जिसके आधार पर आप इसे उठा सकते हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : यह गबन घोटाले का मामला है और मुल्जिम स्वयं इकबाल कर रहा है। उसके बाद साइडट्रैक कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : जो आप बात कह रहे हैं पहले की बात दुहरा रहे ही हैं। यह पहले भी कह चुके हैं। यह मुद्दा पहले भी कह चुके हैं कि सी. बी. आई. से इन्क्वायरी कराई जाए। यह आप दुहरा ही रहे हैं, कोई नई बात तो नहीं कह रहे हैं।

(व्यवधान—अश्रव्य)

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर सम्वत 2025 और 26 में और सम्वत् 2029 के अन्दर राहत कार्यों की देखभाल मेरे पास में थी....

श्री अध्यक्ष : आप भी मुख्तसर में जवाब दें।

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे—अश्रव्य)

श्री रामानन्द अग्रवाल : रेलेवेन्ट उत्तर होना चाहिए अगर मन्त्री महोदय उत्तर देना चाहते हैं....

(व्यवधान—अश्रव्य)

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह स्पष्ट सप्लीमेंट्री किया गया है कि आपके उस एरिया में कितना पैसा खर्च किया गया है और क्या वह फेमिन कोड के तत्कालीन नियमों के अनुसार था या उसको चेंज किया गया ? यह सीधा क्वेश्चन है और उसका जवाब भी सीधा आना चाहिए। वे खुद ही सीधा जवाब न देकर पॉलिटिकल क्वेश्चन बना रहे हैं।

(व्यवधान—शोरगुल—अश्रव्य)

श्री गुमानमल लोढ़ा : यह एक करोड़ के घोटाले का मामला है...

श्री रामानन्द अग्रवाल : जो चाडी में सड़कों के निर्माण पर खर्चा किया गया वह

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
फेमिन कोड के नियमानुकूल था या नियमों की अवहेलना कर खर्चा किया गया ?

(अनवरत शोरगुल—अश्रव्य)

श्री **अध्यक्ष** : माननीय सदस्य आसन ग्रहण करें ।

श्री **मोहम्मद गफ्फार अली** : अध्यक्ष महोदय····

श्री **अध्यक्ष** : आपके नेता कह चुके हैं आप फिर उसे दुहरा रहे हैं ।

श्री **मोहम्मद गफ्फरअली** : प्रश्न यह है कि कितने रुपयों का गबन हुआ ?

श्री **अध्यक्ष** : स्थान ग्रहण करें । माननीय मन्त्री महोदय ।

श्री **परसराम मदेरणा** : मैंने कभी गबन की बात को स्वीकार नहीं किया है और न ही इसे स्वीकार करने को तैयार हूं । राजस्थान के अन्दर रिलीफ ऑपरेशन्स के अन्दर मेरे गांव में फेवर करना तो दूर रहा उल्टी स्ट्रीक्टनैस बरती गई है और किसी भी प्रकार का कोई मामला हुआ तो उसको पकड़ने की कोशिश की गई है । मैंने स्वयं ने अपने गांव में जाकर किसी भी प्रकार की गड़बड़ हुई हो तो उसको पकड़ने की कोशिश की कोई भी अपने गांव में जाकर इस प्रकार नहीं कह सकता है मेरे पास में कलेक्टर का टेलीफोन आया जब में उदयपुर में था और यह 69 की बात है ······

श्री **रामानन्द अग्रवाल** : इर्लेवेन्ट बात कह रहे हैं ।

श्री **परसराम मदेरणा** : यह तीन साल पहले की बात है सम्वत् 2025 और 26 की और इस बारे में सदन में कभी भी किसी, प्रकार की चर्चा नहीं उठी की मेरे द्वारा कोई गबन किया गया है । मैंने पूर्ण ईमानदारी से कार्य किया है और मैंने ईमानदारी से पब्लिक लाईफ का स्टेंडर्ड मेन्टेन किया है और उसको कहीं पर भी खण्डित नहीं होने दिया है········

(शोरगुल—अश्रव्य)

श्री **मोहनलाल छंगाणी** : फलौदी में गबन हुआ है········

(शोरगुल—अश्रव्य)

श्री **अध्यक्ष** : आप बैठिए, आसन ग्रहण करें ।

(शोरगुल—अश्रव्य)

श्री **रामानन्द अग्रवाल** : अध्यक्ष महोदय, उत्तर स्पष्ट आना चाहिए·······

श्री **अध्यक्ष** : मैं आपसे बहुत नम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं······

(शोरगुल-अश्रव्य)

श्री **पूनमचन्द विश्नोई** : मेरा सीधा साधा प्रश्न यह है कि सड़कों के नाम पर जो घोटाला हुआ है ·······

(शोरगुल-अश्रव्य)

श्री **बरकतुल्ला खां** (मुख्य मन्त्री) : मैं अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्यों को जो कुछ कहना था कह दिया, अब माननीय मन्त्री जी का जवाब भी सुन लें । उसके बाद छूट है कि सप्लीमेन्ट्री करना चाहें वह करलें वरना कोई भी बात नहीं चल सकती है । आपने

(श्री बरकतुल्ला खाँ)
पोइन्टेडली प्रश्न किया और उसका रिप्लाई मन्त्री महोदय दे रहे हैं।

(व्यवधान-अश्रव्य)

श्री रामानन्द अग्रवाल : ये तो जनरल भाषण दे रहे हैं। आपके पास इतना पुराना डिपार्टमेन्ट है और इतना जबर्दस्त अकाल पड़ने के बावजूद चूंकि पिछले सालों में इसका बड़ा भारी दुरुपयोग हुआ है इसलिए गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया ने जरूरत महसूस करते हुए भी राजस्थान गवर्नमेन्ट पर ट्रस्ट नहीं किया जिससे राजस्थान ने सफर किया है। Because you had been in the Department and because you are a corrupt Minister, Rajasthan has suffered on this account.

(शोरगुल-अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने निवेदन किया कि इस बारे में चर्चा पहले भी हो चुकी है। इस ओर बैठने वालों का इस बात को कहना कि इसकी ईमानदारी में सन्देह और डाउट है तो यह प्रश्न ही नहीं है। मैंने अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी से कार्य चलाया है और चला रहा हूं। उसके अन्दर अनियमिततायें हुई हैं उसको पहले भी मैं हाउस में स्वीकार कर चुका हूं लेकिन इन अनियमितताओं को कम करने में मैंने अपनी तरफ से कोई कसर उठा नहीं रखी गई है। अब जो इम्पीचमेंट करने की बात सोची गई है यह इम्पीचमेंट बिलकुल पोलिटिकली मोटिवेटेड है और फैमिन कोड का कोई वॉयलेशन नहीं किया गया है। एक भी उदाहरण दे दें जिसमें फैमिन कोड और किसी नियम का किसी भी एक काम को कराने के अन्दर वायलेशन किया गया हो। अगर एक भी स्थान बता दें या एक भी आदमी बता दें जिसको फैवर किया गया हो तो मैं अपने आपको हाउस के अन्दर गुनहगार मानने को तैयार हूं।

जहां तक इस बात का सम्बन्ध है कि रिलीफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर काम खोलेंगे और ऑन दी स्पॉट डिसिजन लेंगे तो यह भी केबिनेट का डिसिजन है। अगर एरियाज में अलग अलग मिनिस्टर काम खोलने के आदेश देंगे तो वह भी केबिनेट का डिसिजन है और इसके कारण वह फैमिन कोड का पार्ट है। राज्य सरकार ने इस बारे में जो भी डिसिजन लिए हैं उनके लिए बराबर सर्क्यूलर इश्यू किए हैं और वे सब फैमिन कोड के पार्ट हैं.......

श्री अध्यक्ष : थोड़े में ही समाप्त करने की कृपा करें मन्त्री महोदय।

(व्यवस्था-सूचक-घण्टी)

श्री परसराम मदेरणा : मैं निवेदन कर रहा था कि फैमिन कोड को तरमीम करने में और अकाल की समस्या को मीट आउट करने के लिए 1925-26 में जो इतना बड़ा अकाल पड़ा उसको मीट आउट करने के लिए जितने भी प्रपोजल बनाए गए और डिसिजन लिए गए, राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिए गए, वह सब निर्णय मन्त्री मण्डल के द्वारा लिए गए हैं और वे फैमिन कोड के पार्ट है। यह संशोधित कोड कोडिफाइड नहीं है। जो कुछ भी काम

(अकाल सहायता मन्त्री)
किए गए हैं वे राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार किए गए हैं और उनमें किसी प्रकार का वायलेशन नहीं हुआ है।

मैं यह भी निवेदन कर देना चाहता हूं कि जहां तक मेरा स्वयं का सम्बन्ध है मैंने आइडेन्टी कार्ड बांटने से लेकर दूसरे टेक्निकल तौर पर बंदिश लगाने के मामले हैं, उनमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सदन के एम. एल. एज. और जो सदन के एम. एल. ए. पहले भी थे उनसे बराबर सम्पर्क रख कर इस बात की पूरी चेष्टा की है कि उनका सहयोग लेकर किसी तरह का दुरुपयोग हो तो उसको रोकने में उनकी मदद मिले। इसलिए मेरे पर यह इल्जाम कि मैं इसके लिए रेस्पाँसिबल था और मैंने इस सदन की और राजस्थान की इमेज को बिगाड़ा है, यह बिल्कुल गलत है, निराधार है और झूंठ है। मैंने राजस्थान की इमेज को ऊंचा रखने का प्रयत्न किया है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मैंने जितना प्रयत्न किया है और उस प्रयत्न के अन्दर माननीय सदस्य जानते हैं कि कितना बड़ा फैमिन का काम था और इतने बड़े काम में पचासों तरह के लोग, हजारों राज्य-धिकारी हैं और दूसरे लोग हैं, वे अगर किसी प्रकार की अनियमितता करते हैं, वह बिल्कुल रुक जाय, यह सब देख लेना मेरे लिए संभव नहीं है। मैं जहां कहीं पर भी गया हूं पब्लिक वर्कर्स को, पब्लिक रिप्रजण्टेटिव्ज को कांफिडेन्स में लेता रहता हूं और उनसे रिक्वेस्ट करता रहा हूं कि अनियमितता अगर कहीं पर भी होती हैं तो उनको रोकने में मदद दें। इतने बड़े काम को राजस्थान का रिलीफ मिनिस्टर अकेला नहीं देख सकता है। बहुत से प्रकार की प्रॉब्लम्स रहती है पूरे राजस्थान की। इसके अलावा यहां पर भी, हैड क्वार्टर पर भी, बहुत से काम रहते हैं जिनको देखने के लिए मुझे यहां रहना पड़ता है। पहले 16-17 हजार काम चल रहे थे और उस समय के अन्दर काफी काम चल रहे थे। 32 हजार गांवों में 18 हजार, 16 हजार काम चल रहे थे। इस साल भी करीब 8 हजार, 7 हजार काम चल रहे हैं। यह ह्यूमनली इम्पॉसेबिल है कि हर काम को मैं स्वयं ही अटेन्ड करूं उसको देखता रहूं। जहां भी गवर्नमेन्ट ऑफिसर या गवर्नमेन्ट मशीनरी के जरिये काम हुआ है और उसकी कोई कम्पलेन्ट मेरे पास आई, मैंने उस पर एक्शन लिया है, पुलिस के जरिये या डिपार्टमेन्ट के जरिए एक्शन लिया है। तुरन्त एक्शन लेने की कार्यवाही मैंने की है....

श्री मूलचन्द सामरिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय लम्बा भाषण देकर सप्लीमेन्ट्री में उठाये गये मुद्दों पर लीपा-पोती कर रहे हैं। सवाल यह है कि जो प्रश्न उठाये गये हैं उनका ही जवाब दिया जाय ...

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिए।

श्री मूलचन्द सामरिया : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय जवाब नहीं देकर लीपा-पोती कर रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : मेरी लीपापोती करने की आदत नहीं है।

श्री मूलचन्द सामरिया : आप तो यह बता दें कि कितना नुकसान हुआ है।

Page No 31

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। माननीय सदस्य शांत रहे।

(शोरगुल)

श्री गुमानमल लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष, भीनमाल से आने वाले माननीय सदस्य ने मंत्री महोदय पर जो आरोप लगाए हैं, उनका ही जवाब यहां पर दिलाया जाए।

श्री परसराम मदेरणा : मैं साफ स्पष्टीकरण दे रहा हूं चाहे मेरा गांव हो या कुछ भी हो। मेरा वह गांव है और वहां काम मैंने कराया है यह बेबुनियाद है। इसका पोलिटिकल मोटिव है। भीनमाल से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है वह पॉलिटिक्स से, राजनीति से प्रेरित है।...

श्री पूनमचन्द विश्नोई : प्रशासन कितना करप्ट हो गया है...... मिनिस्टर के गांव के अन्दर इतना रिलीफ का काम हो और उसको पता नहीं है। यह करप्शन नहीं तो क्या है ? यह गलत नहीं है ?...

(शोरगुल)

श्री परसराम मदेरणा : यह गलत है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री परसराम मदेरणा : साफ गलत है।

श्री **निरंजननाथ आचार्य** ऑन ए पॉइंट ऑफ प्रिविलेज, सर।

श्री **अध्यक्ष** : माननीय सदस्य।

श्री **पूनमचन्द विश्नोई** : एक करोड़ रुपया और दस, पन्द्रह लाख रुपये का काम हुआ है वहां पर। अगर डूंगरपुर और बाड़मेर में हुआ होता तो हम यह मान जाते। परन्तु अपने खुद के गांव के अन्दर यह काम हुआ है तो यह कैसे माना जा सकता है कि गोलमाल नहीं हुआ है।

श्री **अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, आप बैठिये।

(व्यवस्था सूचक घण्टी)

(शोरगुल)

श्री **पूनमचन्द विश्नोई** : आपको एक हाई पावर कमेटी इसकी जांच के लिए बिठानी चाहिए।

श्री **अध्यक्ष** : आप विराजिए।

प्रश्न काल समाप्त हुआ।

श्री **निरंजननाथ आचार्य** : पॉइंट ऑफ प्रिविलेज, सर।

श्री **अध्यक्ष** : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

श्री **गुमानमल लोढ़ा** : मुख्य मन्त्री महोदय इसकी जांच क्यों नहीं करवाते हैं।

श्री **अध्यक्ष** : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

श्री **पूनमचन्द विश्नोई** : सदन के अन्दर तथ्य बताये गये हैं।........

श्री **परसराम मदेरणा** : आप यह जो बात कह रहे हैं......

श्री **पूनमचन्द विश्नोई** : मेरे गांव में भी सड़क बनी है...... आप वहां पर भी बता सकते हैं।

श्री **निरंजननाथ आचार्य** : पॉइंट ऑफ प्रिविलेज, सर।

Page No 32

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

मैं अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहता था कि यह जो आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है और हाउस में जो आरोप आते हैं, या लगाये जाते हैं वे हाउस की प्रोपर्टी हुआ करते हैं। कांग्रेस की वे बेन्चेज से आरोप लगाए गए हैं और उनके सम्बन्धी माननीय मन्त्री महोदय ने यहां पर यह कहा है कि जो भी निर्णय लिए गए हैं वे सब केबिनेट के द्वारा लिए गए हैं और जो भी काम हुए हैं वे ज्वॉइन्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी से हुए हैं। परन्तु यह एक गम्भीर आरोप है और जिस किस्म से इसका जवाब मिला है उसमें न तो आरोप को हम नहीं सुन पाए हैं अच्छी तरह से और न उत्तर ही। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह प्रिविलेज का प्रश्न बनता है और उस स्थिति में जब ज्वॉइन्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी केबिनेट की है तो मुख्य मंत्री महोदय इस सारी स्थिति का और दोनों तरफ की बातों का अध्ययन करके आप स्टेटमेन्ट दें तो इस हाउस को सन्तोष हो सकेगा।

श्री **बरकतुल्ला खां** (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यहां पर आज जो आरोप लगाए गए हैं यह पहले के फेमिन के बारे में हैं और इस पर असेम्बली में पहले भी काफी चर्चा के द्वारा इसका स्पष्टीकरण भी हो चुका है और माननीय मंत्री जी ने और माननीय सदस्यों ने अपने अपने सवाल रखे और उनका सरकार की ओर से जवाब दिया गया है। जहां तक मेरा ख्याल है यह पहले वाले फेमीन के बारे में........

श्री श्रीराम **गोटेवाला** : यह पहले वाले फेमीन का ही है। आपके जमाने में कोई गड़बड़ नहीं हुई है।

श्री **बरकतुल्ला खां** : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि मावली से आने वाले माननीय सदस्य ने यहां यह बताया है कि जो आरोप हाउस में लगाए जाते हैं वे हाउस की प्रोपर्टी बन जाते हैं और वह प्रिविलेज का प्रश्न बन जाता है मैं यह समझता हूं कि जो चार्जेज हाउस में लगाए जाते हैं— एक दफा मैंने भी प्रिविलेज मोशन मूव करके गलती की थी और वह प्रिविलेज मोशन तब ही समाप्त हुआ जब कि असेम्बली खतम हुई, उसके साथ साथ ही वह भी लेप्स हो गया। इसलिए मैं माननीय सदस्य को खुले तरीके से कहना चाहता हूं कि फिर इसका मतलब यह हुआ कि माननीय सदस्य चाहे इधर बैठे हैं चाहे उधर बैठे हैं वे कोई भी आरोप लगायेंगे तो फिर वे सब प्रिविलेज कमेटी में रेफर किए जाएंगे। इसलिए आप इसको सोच लीजिए। सदन के अन्दर माननीय सदस्यों को बोलने की आजादी मिली हुई है। तब यह आजादी जो बोलने की है वह किस हद तक रहेगी, वह करटेल होगी। आज सदन के अन्दर आप चार्ज लगा सकते हैं, वे सही भी हो सकते हैं और बगैर जानकारी के भी हो सकते हैं और कुछ चार्जेज मैलीसस भी हो सकते हैं। जब चार्जेज लगाएंगे तो उसका जवाब नहीं मिलेगा और हर चीज को प्रिविलेज कमेटी के अन्दर भेजना शुरू कर देंगे। इसका नतीजा यह निकलने वाला है कि आजादी बोलने की कम होगी और अपोजीशन भाषण में जो भी चार्जेज लगाएगा पहले वे प्रिविलेज कमेटी को रेफर किए जाएंगे और सरकार भी उन आरोपों का जवाब नहीं देगी। इस लिए इस पर निर्णय पहले आप कर लें। मैं समझता हूं कि इससे हम ज्यादा आजादी के साथ बात नहीं कर पाएंगे और हर मामले में हम यह कह देंगे कि प्रिविलेज

(मुख्य मन्त्री)
कमेटी में भेज दी। इसलिए मैं समझता हूं कि यह फैसला आपको करना है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी को आचार्य जी द्वारा जो प्रस्ताव किया गया है, उसके बारे में गलतफहमी रह गयी है। जो चार्जेज हैं, उसके बारे में आप जांच करके, क्योंकि दोनों ही सदस्य आपकी पार्टी के सदस्य हैं, इस हाउस को कॉन्फीडेन्स में लें, अपना एक स्टेटमेन्ट देकर। प्रिविलेज कमेटी को रेफर करने का माननीय सदस्य का, जहां तक मैं समझता हूं, कोई इरादा नहीं है। इसलिए यह अच्छा हो कि आप इस पर एक प्रीलिमिनरी इन्क्वायरी कर लें और उसके बाद अगर यह महसूस करें कि हाउस में स्टेटमेन्ट देना है तो वह दें और अगर आप यह महसूस करें कि चार्जेज गम्भीर हैं और उनका कोई बेसिस है तो फिर उसकी आप इन्क्वायरी करवा सकते हैं। आप यह महसूस करते हैं कि किसी के साथ पक्षपात हुआ है तो आप किसी भी हाइएस्ट ऑथोरिटी इनके चार्जेज के ऊपर, या इस प्रीलिमिनरी रिपोर्ट के ऊपर जांच करवा सकते हैं। अगर इसका कोई बेसिस नहीं है तो आप एक स्टेटमेन्ट इस तरीके का दे दें और फिर उसके बाद आगे का रास्ता माननीय सदस्यों के सामने खुला रहेगा कि किस तरीके से वे अपने केस को आगे पेश करें।

श्री अध्यक्ष : कुछ आप खुलासा करेंगे, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ?

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय···

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, यहां पर मेरे गांव से संबंधित जो राहत कार्य हुए हैं उसके सम्बन्ध में मेरे ऊपर व्यक्तिगत आरोप लगाए गए हैं।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं है। आप रेस्पोंसेबिल हैं इसलिए आपको निवेदन किया है। व्यक्तिगत कोई बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिए।

(व्यवस्था सूचक घन्टी)

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि क्योंकि यह आरोप यहां पर लगाया गया है और इस वर्ष भी फलोदी तहसील में, बाड़मेर के इलाकों में, शिव तहसील के इलाकों में, 30-40 मील की दूरी पर कितनी लेबर लगी हुई है, वहां पर कितनी सड़कें बन रही हैं और कितनी लेबर 5-7 दिन में लग रही है, ऐसी हालत में उन सब को व्यक्तिगत तौर से देखना संभव नहीं है। 5-7 दिन में भारत सरकार की स्वीकृति नहीं होने पर भी वहां पर काम चालू रखने पड़े आज जो भी 30-32 करीब 20-21 हजार लेबर सड़कों पर काम कर रहा है उस डेजर्ट एरिया के अन्दर वह कितनी लम्बी है और कितनी पूरी हुई हैं, इस संदर्भ में···

श्री अध्यक्ष : आप सूक्ष्म में कहें।

श्री परसराम मदेरणा : इस संदर्भ में मैं मुख्य मंत्रीजी से यह निवेदन करूंगा कि यह जो कुछ भी मुद्दा उठाया गया है इसकी जांच करवायें। जिसको भी उचित समझें उससे, चाहे वह किसी संसद सदस्य से करवायें, चाहे एन्टी करप्शन डिपार्टमेंन्ट से करवायें, चाहे पुलिस से करवायें, चाहे किसी बड़े आई. ए. एस. या दूसरे ऑफिसर से

Page No 34

(श्री परसराम मदेरणा)

करायें। मैं स्वयं चाहूंगा कि इसकी जांच होनी चाहिए। एक बात और हुई है इस वर्ष कि जितनी सड़कें बनी हैं डेजर्ट एरिया के अन्दर उस डेजर्ट एरिया के अन्दर कितने मील की सड़कें बनी हैं, उन पर कितना अर्थ वर्क हुआ है और कितना ग्रेवल वर्क हुआ है इस बात को भी देखा जाना चाहिए। डेजर्ट एरिया एक प्रॉब्लम है, वह अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक एक तहसील में 500-500 किलोमीटर लम्बी सड़कें हैं लेकिन ग्रेवल मिलता नहीं है और दूसरी जगह से ग्रेवल लाकर रोड तैयार नहीं हो सकती इस प्रकार की भूमिका में मैं यह चाहूंगा कि वहां पर जो भी सड़कें बनी हैं और उनमें जितना भी पैसा खर्च हुआ है और उनमें कोई अनियमिताएं हुई हों, किसी के जरिये हुई हों, उनमें मेरा कितना हाथ रहा है इसकी जांच करवाने के लिए मैं निवेदन करता हूं। मैं समझता हूं कि मुख्य मंत्री जी इस सम्बन्ध में उचित आदेश करें।

श्री अध्यक्ष : शोक प्रस्ताव।

श्री **निरंजननाथ आचार्य** : इसके बारे में मुख्य मंत्री जी....

श्री **गुमानमल लोढ़ा** : अध्यक्ष महोदय इसके बारे में मुख्य मंत्रीजी कुछ कहें।

श्री **निरंजननाथ आचार्य** : शोक बाद में करेंगे।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

क्रेश प्रोग्राम के अन्तर्गत अपूर्ण कार्य

1. श्री राजेन्द्रसिंह (उनियारा) : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में क्रेश प्रोग्राम के अन्तर्गत कितने कार्य अपूर्ण हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या सरकार के पास इन अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कराने की योजना है ? यदि हां, तो क्या ?

(स्थगित किया गया)

भारत सरकार द्वारा हस्तान्तरित नल कूप

2. श्री पूनम चंद विश्नोई (भीनमाल): क्या भू-जल मंडल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला जालौर, पाली, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर व नागौर में भारत सरकार द्वारा बड़ी संख्या में नल कूप बनाये गये व उनमें से जिनमें पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध था उनको राजस्थान सरकार को हस्तान्तरित किया गया ? यदि हां, तो उपरोक्त नल कूपों की संख्या कितनी हैं ? और ये नल कूप कहां कहां पर स्थित हैं व प्रत्येक में कितनी मात्रा में जल उपलब्ध है ?

(2) उपरोक्त कितने नल कूप पेयजल उपलब्ध कराने के काम आ रहे हैं, कितनों से सिंचाई हो रही है वा कितनों क उपयोग

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)
ही नहीं हो रहा है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) जी हां, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, जालौर, नागौर व चूरू जिलों में भारत सरकार द्वारा 200 नल कूप योजना के अन्तर्गत 170 नल कूप बनाये गये थे उनमें से 140 नल कूप जिनमें पानी निर्धारित मात्रा में उपलब्ध था राज्य सरकार को हस्तान्तरित किये गये थे। इन नल कूपों की सूची संलग्न है। जिसमें प्रत्येक नल कूप का डिस्चार्ज भी अंकित है।

(2) उपरोक्त में से 115 नल कूप पेयजल व्यवस्था हेतु तथा 25 नल कूप सिंचाई के लिये उपयोग में लिये जा रहे हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

राज्य में खोदे गये नल कूप

3. श्री पूनमचंद विश्नोई (भीनमाल) : क्या भू-जल मंडल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राजस्थान में भू-जल मंडल के गठन के पश्चात् राजस्थान सरकार के लिये कुल कितने नलकूप खोदे व उनमें से कितनों में पर्याप्त मात्रा में उपयोगी जल प्राप्त हुआ ?

उत्तर

राजस्थान में भू-जल मण्डल के गठन (1956-57) के पश्चात् राजस्थान सरकार के लिये कुल 1308 नल कूप खोदे जिनमें से 1068 नल कूप सफल रहे हैं।

कोटपूतली शहर में पानी की व्यवस्था

4. श्री सुरेशचन्द्र (कोटपूतली) : क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि कोटपूतली शहर के आधे से अधिक भाग में अभी तक पाइप लाइन नहीं बिछाई गई है ? यदि हां तो यह कार्य कब तक पूरा किया जावेगा ?

(2) क्या यह सही है कि कोटपूतली की हरिजन बस्ती वार्ड नं. 8 में अभी तक पूर्णतः पाइप लाइन नहीं बिछाई गई है जो कि सरकार की हरिजन बस्ती को प्राथमिकता देने की घोषणा के विपरीत है ?

(3) क्या यह सही है कि कोटपूतली में अभी तक पानी की टंकी नहीं बनाई गई है ? यदि हां, तो कब तक बनाने का विचार है ?

उत्तर

(1) यह सही नहीं है कि कोटपूतली शहर में आधे से अधिक भाग में अभी पाइप लाइन नहीं बिछाई गई है। कोटपूतली शहर के अन्दर स्कीम के अनुसार योजना की पूर्ण पाइप लाइन डालदी गई है। लेकिन कुछ नये विकसित एवं कुछ अन्दर का एरिया जो सर्वे प्लान में नहीं था उसमें अब कुछ लाइनें डालने के लिए पाइप्स व सामान उपलब्ध किया जा रहा है और कार्य बहुत शीघ्र चालू कर दिया जावेगा।

(2) यह सही नहीं है वार्ड नं. 8 की हरिजन बस्ती में स्वीकृत मुख्य पाइप लाइन डली हुई है। सार्वजनिक नल भी चालू है।

Page No 36

(जन स्वास्थ्य मन्त्री)

इस हरिजन बस्ती वार्ड नं. 8 में अन्य पाइप लाइन डालने की मांग नहीं की गई है।

(3) यह सही है कि उच्च जलाशय अभी नहीं बना है। उसका निर्माण कार्य शुरू हो गया है। व नींव डालने का कार्य करीब करीब पूरा हो चुका है एवं आशा है कि कार्य मार्च, 74 से पहले पहले पूरा हो जावेगा।

नाजायज शराब के मामले

5. श्री सुरेशचन्द्र (कोटपूतली) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जयपुर जिले के किन-किन ग्रामों में आबकारी विभाग द्वारा नाजायज शराब के मामले जनवरी, 1972 से अब तक पकड़े गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) जयपुर जिले की कोटपूतली तहसील में जनवरी, 1972 से अब तक किस माह में आबकारी विभाग द्वारा नाजायज शराब पकड़ने के लिए छापे मारे गये तथा कितने मामले पकड़े गये ?

(3) क्या यह सही है कि कोटपूतली शहर में जनवरी, 1972 से अब तक आबकारी विभाग द्वारा नाजायज शराब पकड़ने के लिए एक बार भी दौरा नहीं किया ?

(4) क्या यह सही है कि कोटपूतली शहर में काफी तादाद में नाजायज शराब निकाली जाती है ?

(स्थगित किया गया)

प्रधानाध्यापक द्वारा गबन की गई राशि

6. श्री गोरधनसिंह (सीकर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 7-5-1971 को श्री आर. पी. गर्ग, प्रधानाध्यापक, श्री जी. डी. रुइया सैकण्डरी स्कूल, रामगढ़ शेखावाटी, जिला सीकर ने अपने स्कूल के अध्यापकों से 43) रुपये के हिसाब से काटे हैं और स्वयं श्री गर्ग ने इस राशि का गबन किया ?

(2) क्या यह सही है कि प्रधानाध्यापक से परेशान होकर श्री रामावतार शर्मा ने संस्था से अपना त्याग-पत्र दे दिया था जो स्वीकार कर लिया गया ?

(3) क्या यह सही है कि त्याग-पत्र स्वीकार होने के पश्चात् भी श्री रामावतार शर्मा का नाम संस्था की अध्यापक वर्ग की सूची में चलता रहा और उपस्थिति रजिस्टर में फर्जी हाजरी दिखाकर फर्जी हस्ताक्षरों से उनके नाम का वेतन प्रधानाध्यापक स्वयं लेते रहे हैं ?

(4) क्या यह सही है कि इस भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में श्री रामावतार शर्मा ने लिखित रूप में विद्यालय निरीक्षक को निवेदन किया था किन्तु शिक्षा विभाग ने किसी प्रकार की कार्यवाही न कर प्रधानाध्यापक को राजकीय सेवा में लेने का पुरस्कार दिया है ?

उत्तर

(1) इस संबन्ध में शिकायत प्राप्त हुई है, जांच की कार्यवाही की जा रही है।

(शिक्षा मन्त्री)

(2) यह सही नहीं है। श्री शर्मा ने अपनी स्वयं की इच्छा से त्याग-पत्र दिया था, जो स्वीकार किया गया।

(3) यह मामला संदिग्ध है, जांच करवायी जा रही है।

(4) श्री रामावतार शर्मा ने दिनांक 23-8-73 को इस संबन्ध में विभाग को शिकायत की थी जिसकी जांच करवाई जा रही है।

प्रधानाध्यापक को, राज्य सरकार के नियमानुसार शाला को राज्याधीन करने पर तदर्थ रूप (एडहोक) से सेवा में लिया गया। अभी नियमित चयन होना बाकी है।

प्रधानाध्यापक के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले

71. श्री अजीतसिंह (टौंक) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सह सही है कि श्री आर. पी. गर्ग, प्रधानाध्यापक, श्री जी. डी. रुईया सैकण्डरी स्कूल, रामगढ़-शेखावाटी, जिला सीकर के विरुद्ध लगाये गये भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच विद्यालय निरीक्षक, सीकर ने की थी ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त जांच के सम्बन्ध में शिक्षा विभाग ने किसी प्रकार की कार्यवाही अभी तक नहीं की है और सम्बंधित विद्यालय को राज्याधीन कर दिनांक 16 अगस्त से राजकीय सेवा में लिया है ?

(3) क्या यह सही है कि राज्याधीन के अवसर पर गठित स्क्रीनिंग कमेटी को रामगढ़ जाकर कर्मचारियों से साक्षात्कार करना चाहिए था और उनकी व्यक्तिगत फाइलों के आधार पर उन्हें राजकीय सेवा में लिया जाना चाहिए था ? यदि हां, तो शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने श्री गर्ग के आरोपों की जांच क्यों नहीं की और जयपुर में वाली वाली स्क्रूटिनी कमेटी की बैठक बुलाकर कानून का क्यों उल्लंघन किया है ?

(4) क्या यह भी सही है कि इस बैठक में प्रधानाध्यापक पर चल रहे किसी भी आरोपों पर विचार नहीं किया गया और उनकी सेवा को राजकीय सेवा में लेना सहर्ष स्वीकार कर लिया गया ?

उत्तर

(1) अभी जांच की जा रही है।

(2) प्रधानाध्यापक के विरुद्ध आरोपों पर विभाग द्वारा कार्यवाही जारी है। राज्य सरकार द्वारा 16 अगस्त, 1973 को इस विद्यालय को राज्याधीन किया गया।

(3) द्वितीय वेतन श्रृंखला, तृतीय वेतन श्रृंखला के अध्यापक, लिपिक वर्ग एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की स्क्रीनिंग उनके सेवा अभिलेख एवं उनकी निर्धारित न्यूनतम योग्यता को जांचकर की गई है। साक्षात्कार की आवश्यकता नहीं है।

प्रधानाध्यापक श्री गर्ग को तदर्थ रूप से प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्त किया गया है। इनकी स्क्रीनिंग निर्धारित कमेटी द्वारा की जावेगी।

(4) जी नहीं, प्रधानाध्यापक की नियुक्ति पूर्णतः तदर्थ (एडहोक) रूप से की गई है।

शिशु मन्दिर को दी गई राशि

8. श्री अजीतसिंह (टौंक) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि श्री जी. डी. रुइया सैकण्डरी स्कूल, रामगढ़–शेखावाटी जिला सीकर के अन्तर्गत संचालित श्रीमती फूलीबाई शिशु मन्दिर को बन्द करते समय संस्था के मंत्री एवं निर्देशक श्री आर. पी. गर्ग ने शिशु मन्दिर में कार्य करने वाले कर्मचारियों का सम्पूर्ण हिसाब नहीं किया है ? यदि हां, तो विभाग इस बकाया राशि को दिलाने का क्या प्रयत्न कर रहा है ?

(2) क्या यह सही है कि इस शिशु मन्दिर में श्रीमती पी. डी. शर्मा अध्यापिका एवं श्री बाबूलाल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ने इस संस्था में कार्य नहीं किया है और इनका वेतन श्री आर. पी. गर्ग द्वारा लिया जाता रहा है ?

(3) क्या यह सही है कि समाज कल्याण विभाग से इस शिशु मन्दिर को विभिन्न अवसर पर 5,765 रुपये की राशि प्राप्त हुई है ?

(4) क्या यह सही है कि शिशु मंदिर के निर्देशक श्री गर्ग ने कोई स्टाक रजिस्टर नहीं बनाया था और समाज कल्याण विभाग द्वारा प्राप्त राशि से खरीदा गया सामान न शिक्षा विभाग को लौटाया गया है और न यह सामान समाज कल्याण विभाग को ही दिया गया है ?

उत्तर

(1) शिकायत प्राप्त हुई है। जांच की जा रही है।

(2) इस सम्बन्ध में जांच चल रही है।

(3) जांच के दौरान पाया गया कि राशि प्राप्त हुई है किन्तु कितनी राशि प्राप्त हुई यह रेकार्ड के अभाव में कहना संभव नहीं है।

(4) प्राथमिक जांच के समक्ष श्री गर्ग ने बयान किया कि स्टाक रजिस्टर बनाया गया था परन्तु जांच के दौरान प्रस्तुत नहीं किया। इस राशि से क्रय किया गया सामान न विभाग को संभलाया और न समाज कल्याण विभाग को ही।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अधिकारी

9. श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

वर्तमान में राजस्थान में कितने आई. ए. एस., आई. पी. एस., आर. एच. जे. एस., आर. जे. एस., आर. ए. एस. व आर. पी. एस. अधिकारी हैं तथा इनमें से कितने अधिकारी अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के हैं।

उत्तर

वांछित सूचना संलग्न तालिका में अंकित है।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

ट्रैक्टरों का अलॉटमेन्ट

10. श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राजस्थान सरकार के कृषि मंत्री ने अपने विशेष कोटा में से 1967 से

Page No 39

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

1972 तक कितने ट्रैक्टर किस किस को अलॉट किये ? कृपया ट्रैक्टर लेने वालों के पूरे पते सहित एक सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ? सूची में ट्रैक्टरों के नाम भी दर्ज करने का कष्ट करें।

(2) नियमानुसार उक्त ट्रैक्टर कितने समय तक खरीददार किसी को नहीं बेच सकता ?

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम की स्थापना 1 अगस्त, 1969 में हुई थी इसके बाद 1 सितम्बर, 1971 से भारत सरकार के आदेशानुसार ट्रैक्टर कन्ट्रोल ऑर्डर लागू होने से निगम के अध्यक्ष एवं कृषि मंत्री महोदय का स्वेच्छिक कोटा खत्म कर दिया गया है। अगस्त 1969 से 1 सितम्बर, 1971 तक कृषि मंत्री महोदय के स्वेच्छिक कोटे से जो ट्रैक्टर आवंटन किये गये हैं उन सभी की सूची मय ट्रैक्टर के नाम व व्यक्तियों के पूर्ण पते सहित सदन की मेज पर रखदी गई है।

(2) निगम द्वारा बनाये गये नियमों में ऐसा कोई नियम नहीं था कि जिससे व्यक्ति जिसने निगम से ट्रैक्टर खरीदा हो अमुक समय तक ट्रैक्टर बेच नहीं सकेगा। दिनांक 1-9-1971 से 'ट्रैक्टर कन्ट्रोल ऑर्डर' लागू होने से उसके अनुसार कोई भी व्यक्ति दो वर्ष से पूर्व ट्रैक्टर नहीं बेच सकता है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखी गई)

कृषि विभाग के नलकूप

11. श्री पूनमचन्द विश्नोई (भीनमाल): क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, पाली, जोधपुर व नागौर में कुल कितने नलकूप कृषि विभाग के अधीन हैं ? कृपया इनकी नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इनमें से प्रत्येक में कितना पानी प्रति घन्टे उपलब्ध हो सकता है ?

(3) वर्ष 72-73 की रबी व खरीफ की फसल में प्रत्येक नलकूप पर कितनी भूमि सिंचित कर फसल या चारा पैदा किया गया ? यदि ऐसा नहीं किया गया तो क्या कारण है ?

उत्तर

(1) केवल जैसलमेर जिले में कृषि विभाग के अन्तर्गत चार नल कूप हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(3) सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

ड्राट-प्रोन-प्रोग्राम के अन्तर्गत प्राप्त राशि

12. श्री मोहनलाल छगाणी (फलौदी): क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

जिला जोधपुर के डी. पी., ए. पी., अर्थात् कि ड्राट-प्रोन-प्रोगाम के तहत भारत

(श्री मोहनलाल छंगानी)
सरकार से कुल कितना रुपया मिला ? इन रुपयों में से तहसीलवार इस जिले में कहां कहां कितना कितना रुपया कुल स्कीमों पर खर्च किया गया तथा अब कुल कितनी धनराशि शेष बचत में है ?

उत्तर

डी. पी., ए. पी. कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार राज्य सरकार को कोई धनराशि जिलेवार उपलब्ध नहीं करती। धनराशि देते समय सारे राज्य के लिए एक मुश्त राशि दी जाती है। इस कार्यक्रम के लिये 10 जिलों को चुना गया था एवं उन पर कुल मिलाकर 20 करोड़ रु. का व्यय इस योजना के तहद किया जाना था। इस प्रकार एक जिले के हिस्से में लगभग 2 करोड़ रु. कि राशि आती है। यह राशि वर्ष 73-74 के अन्त तक खर्च की जानी थी।

अब तक राज्य सरकार को 13.30 करोड़ रु. भारत सरकार ने उपलब्ध कराया है। इस राशि में से जोधपुर जिले में दिनांक 31-7-73 तक विभिन्न विभागों के अभिकरणों से जो राशि व्यय की गई है उसका व्यौरा निम्नप्रकार है:—

विभाग	व्यय (रु. लाखों में) दि. 31-7-74 तक
1. सिचाई	30.72
2. सड़क	76.28
3. वन	11.42
4. भू-संरक्षण	1.46
5. ग्राम जल प्रदाय योजना	27.15
योग ...	147.03

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्पूर्ण जिले को एक इकाई माना गया है। अतः व्यय का व्यौरा तहसीलवार न रखा जाकर सम्पूर्ण जिले के लिए रखा जाता है।

जैसा ऊपर वर्णित किया जा चुका है, अब तक 147.03 लाख रु. का व्यय हुआ है। भारत सरकार ने राज्य सरकार को सूचित किया है कि डी. पी., ए. पी., कार्यक्रम के अन्तर्गत अब और धनराशि आंवटित नहीं की जावेगी। इस कारण अब इस प्रोग्राम के तहत चुने गये जिलों में पूरे 20 करोड़ के लागत की पूरी योजना क्रियान्वित नहीं की जा सकेगी। भारत सरकार द्वारा इस योजना के बजट में कटौती कर देने के कारण अब शेष धन राशि जोधपुर जिले के बचत में रहने का कोई प्रश्न ही नहीं रह जाता।

अकाल सहायता कार्यों के अन्तर्गत खरीदा गया सामान

13. श्री मोहनलाल छंगाणी (फलौदी) : क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में 1972-73 के अकाल में तथा पिछले अकाल में अर्थात् 1968-69 व 1969-70 में कुल कितने रुपये के टूल्स और प्लान्टस अर्थात् फावड़े, तगारी, गैंती, हथौड़े, सिरकी आदि खरीदे गये ? अलग अलग वर्षों में जितने रुपयों के खरीदे गये उनकी तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ?

(2) यह खरीद किस प्रणाली से किस प्रकार की गई तथा प्रति नग क्या कीमत दी गई ?

(श्री मोहनलाल छंगाणी)

(3) अकाल समाप्त होने पर उक्त सामान में से कितना प्रतिशत वापिस इकट्ठा किया गया तथा उसको कहां रखा गया ?

(स्थगित किया गया)

नेहड़ क्षेत्र में व्यय की गई राशि

14. श्री पूनमचन्द बिश्नोई (भीनमाल) : क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील सांचोर, जिला जालौर के नेहड़ क्षेत्र में, वर्ष 68-69, 69-70 व 72-73 में अकाल राहत में सिंचाई, भूसंरक्षण व डी. पी. ए. पी. कार्यक्रम में कौन से बान्धों का कार्य निर्मित किया गया ? कृपया नामवार सूची दें।

(2) इनमें से हर एक पर कितनी धनराशि व्यय हुई ?

(3) इस वर्ष की बाढ़ में इनमें से कितने बांध क्षतिग्रस्त हो गये ?

(स्थगित किया गया)

अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत खोदे गये नल कूप

15. श्री पूनमचन्द बिश्नोई (भीनमाल) : क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अकाल राहत के अन्तर्गत वर्ष 68-69 व 69-70 के अकाल में जिला बीकानेर, चूरू, नागौर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर की तहसील सांचौर व जोधपुर की तहसील जोधपुर, फलौदी व औसियां (रामपुरा योजना के नलकूपों के अलावा) में कितने नलकूप खुदवाये गये ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त प्रत्येक नलकूप में कितनी मात्रा में जल उपलब्ध हुआ व पानी पेटे में पीने व फसल उगाने लायक है या नहीं ?

(3) इस वर्ष के अकाल में किस किस नलकूप को किस तरह काम में लिया गया ?

उत्तर

(1) अकाल राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1968-69 एवं 1969-70 में जिला बीकानेर, चूरू, नागौर, जैसलमेर, बाड़मेर एवं जालौर में 63 नलकूप बनाये गये। सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) उपरोक्त सूची में नलकूपों की जल क्षमता भी दर्शाई गई है तथा इन नलकूपों का जल पीने व फसलें उगाने लायक है।

(3) इस वर्ष के अकाल के समय उपरोक्त नलकूपों को जिस उपयोग में लिया गया उन्हें भी सूची में दर्शाया गया है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

कोटपूतली थाने का स्टाफ

16. श्री सुरेशचन्द्र (कोटपूतली) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कोटपूतली थाने में स्वतन्त्रता के बाद से अब तक स्टाफ में केवल एक कॉन्सटेबल बढ़ाया गया है ?

(श्री सुरेशचन्द्र)

(2) क्या सरकार कोटपूतली तहसील में गत दो सालों से बढ़ रही चोरियों को रोकने के लिए पुलिस कैम्प लगाने का विचार रखती है ?

(3) कोटपूतली की वर्तमान जनसंख्या तथा वहां होने वाली दुर्घटनाओं, अपराधों व गत वर्ष चोरियों की घटनाओं को देखते हुए क्या थाने का मौजूदा स्टाफ पर्याप्त है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं।

(3) कोटपूतली थाने का स्टाफ वर्तमान में रूरल थानों के निर्धारित मापदण्ड के अनुसार है।

भारत-पाक युद्ध के दौरान किराये पर ली गई जीपें

17. **श्री सुखलाल संणवा** (जैतारण): क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

गत भारत-पाक युद्ध के दौरान राज्य सरकार द्वारा पाली जिले में कितनी जीपें कहां कहां से किस किस दर पर किराये पर ली गई थीं, तथा किन किन जीपों के किराये का कब कब भुगतान किया गया व अब किन किन जीपों का किराया, कितना कितना भुगतान करना शेष है तथा समय पर भुगतान नहीं करने का क्या कारण है और अब राज्य सरकार कब तक भुगतान कर देगी ?

(स्थगित किया गया)

संजय प्रेस को छपाई का काम

18. **श्री रामप्रसाद बोहरा** (झालरापाटन) : क्या चुनाव मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला झालावाड़ में संजय प्रेस (झालरापाटन) को ही सरकारी छपाई (चुनाव आदि की मतदाता सूचियों) का काम दिया जाता रहा ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) सन् 1967 से 31 दिसम्बर, 1972 की मतदाता सूचियों एवं चुनाव सम्बन्धी छपाई के लिए कब कब, कितना कितना रुपया संजय प्रेस, झालरापाटन को सरकार द्वारा दिया गया ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें।

(स्थगित किया गया)

सर्वश्री मोहनकुमार मंगलम्, माधव सदाशिव गोलवलकर, गुरनामसिंह, तेजासिंह स्वतंत्र एवं सतीश लूम्बा के निधन पर शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धांजलि

शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धान्जलि

श्री बरकतुल्ला खां (मुख्य मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पिछले अर्से में काफी महान् और बड़े लोगों का भारतवर्ष में देहान्त हुआ है। जैसा मैंने पहले कहा कि मौत के सामने इन्सान बेबस है, और मौत जब होती है तो इन्सान के हाथ कुछ नहीं होता है। आज इस भावना से मैं यह प्रस्ताव ला रहा हूं। मौत के बाद में हमें

(श्री बरकतुल्ला खां)

किसी के बारे में इस तरह की चर्चा करना चाहिए और यह भारत की परम्परा रही है और भारत की इस परम्परा को मैं निभाना चाहता हूं। इस सम्बन्ध में यह निवेदन करूंगा कि अब तक पांच मौतें ऐसी हुई हैं जिसका हमारे देश के ऊपर भी और दूसरे देशों के ऊपर भी असर पड़ा है।

पहले मैं श्री मोहनकुमार मंगलम् को लेता हूं। उनका मेरे से बहुत ज्यादा संबंध था। उनके पिताजी को मैं अंकल कहता था और उनकी बहनों को मैं अब भी बहनें कहता हूं और उनका और मेरा बड़ा गहरा और निकट का सम्बन्ध था। उनकी मौत से जो मेरा जाती नुकसान हुआ है वह अलग है, लेकिन श्री मोहनकुमार मंगलम् हमेशा इस बात का ख्याल रखते थे और हमेशा रखा कि आम गरीबों के रास्ते पर चले और गरीबों की मदद करके, देश की मदद करके देश को आगे बढ़ाने की ओर ले जायं और देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाने में अपना योगदान दें। आज मैं इस बात से इन्कार नहीं कर सकता कि श्री मोहनकुमार मंगलम् चाहे कितने ही कन्ट्रोवर्शल रहे हों, लेकिन उन्होंने देश के लिए बड़ी कुर्बानी की, और एक सही परम्परा डाली और जिस बड़ी पोस्ट पर ये थे वहां से इन्होंने इस्तिफा दे दिया। इन्होंने हमारी इकोनामिक पॉलिसी पर हमेशा जोर दिया और उस ओर आज एक नीति गरीबों के हित में बनी और देश की आम जनता के हित में बनी।

जहां तक उनकी शिक्षा और काबलियत का ताल्लुक था उसके बारे में कहने की कोई जरूरत नहीं है। पूरा सदन और सदन के बाहर लाखों और करोड़ों लोग उनको जानते है। उन्होंने एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाकर कार्य करना प्रारम्भ किया ही था कि उसके पूरा करने से पहले ही एक एक्सीडेन्ट में एक बहुत बड़ी शख्सियत को हम से छीन लिया गया।

दूसरे, मैं श्री गोलवलकरजी के बारे में कहना चाहता हूं। वे एक बहुत बड़े पढ़े-लिखे, समझदार और सूझबूझ के व्यक्ति थे। उन्होंने अपने जीवन में डिसिप्लिन पैदा किया और दूसरों में डिसिप्लिन पैदा करने की कोशिश की, और उन्होंने बोला कम और काम ज्यादा किया और इस तरीके से दूसरे लोगों को काम करना सिखाया। बहुत से लोगों से उनकी राजनीति नहीं मिलती थी उससे आज कोई सम्बन्ध नहीं है। उनके देहान्त पर मैं शोक प्रकट करता हूं।

उसके बाद में मैं श्री गुरनामसिंह जी, जो पहले चीफ जस्टिस थे और उसके बाद में चीफ मिनिस्टर, पंजाब रहे, के निधन पर शोक प्रकट करना चाहता हूं। राजनैतिक तौर पर हम—एक दूसरे से अलग रहे और लड़ते थे लेकिन जहां तक हमारे पर्सनल ताल्लुकात थे उसमें कोई खामी नहीं आई और हमेशा मेरी और उनकी जाती दोस्ती रही। उन्होंने हमेशा इस बात की कोशिश की कि पंजाब तरक्की के रास्ते पर पहुंचे। उनके मरने से आज मुझे बहुत शोक है।

इसी तरीके से, श्री तेजासिंह पंजाब इन्कलाब पार्टी के लीडर थे उन्होंने, देहातों के अन्दर गरीब किसानों को आगे ले जाने के अन्दर बड़ी मदद की और उनके नेतृत्व में किसानों ने बड़ा मोर्चा लिया। किसानों को आजादी दिलाने के अन्दर उनका बड़ा योगदान था।

(श्री बरकतुल्ला खां)

इसी तरीके से श्री सतीश लूम्बा, जो कि हमारे सचिव थे, श्री मजदूरों का संगठन करने में बड़ी खूबी के साथ योगदान किया और उनको आगे तरक्की के रास्ते पर ले जाने का प्रयत्न किया।

मैं सदन से यही निवेदन करूंगा कि इन पांच महान व्यक्तियों को हम अपनी श्रद्धान्जली भेंट करें और उनकी याद से हम अपने आप में ताकत महसूस करें। मैं ईश्वर में हमेशा विश्वास रखने वाला रहा हूं इसलिए मैं ईश्वर से, अल्लाह से यही दुआ करता हूं कि वह उनकी आत्मा को शान्ति प्रदान करें।

श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर): अध्यक्ष महोदय, श्री गोलवलकरजी एक बड़े त्यागी और निःस्वार्थ व्यक्ति थे। उनमें संगठन की बहुत बड़ी शक्ति थी। वह परम देश भक्त और विद्वान थे उन्होंने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को जन्म दिया। ऐसे महान नेता, जो भारतीय संस्कृति के अग्रणी और प्रतीक थे के निधन से, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को तथा देश को बड़ी भारी हानि हुई है। इसकी क्षति पूर्ति होना कठिन है।

श्री मोहनकुमार मंगलम् कांग्रेस के एक होनहार मन्त्री थे। उनके पिताजी को और उनकी बहन को मैं तब से अच्छी तरह से जानता था जबकि मैं राज्य सभा का सदस्य था। श्री मोहनकुमार मंगलम् की विचारधारा से सभी सहमत हों यह प्रकृति के भी विपरीत होगा, किन्तु उन्होंने अपनी विचारधारा से कांग्रेस दल को प्रभावित किया, यह एक सर्वविदित बात है।

वह एक परम देशभक्त थे और काफी लोकप्रिय नेता थे। उनका निधन हुआ, यह मैं मान भी नहीं सकता हूं। किन्तु यह दुर्घटनाएं संसार में हुआ करती हैं। उनके निधन से देश की और कांग्रेस की भारी हानि हुई है।

अध्यक्ष महोदय, श्री गुरुनाम सिंह, कानून के एक विलक्षण व्यक्ति रहे हैं। वे हाई कोर्ट के जज रहे हैं। ईमानदार व्यक्ति रहे हैं। वह विपक्षी दल में रह चुके हैं। जो रोग विपक्षी दल में आया, उस रोग के वह शिकार हुये हैं। गुरुनाम सिंह के निधन से देश की जो क्षति हुई है, उसकी पूर्ति होना कठिन है।

अन्य नेताओं के निधन के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव माननीय नेता द्वारा रखे गये हैं उन्हें मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता हूं। पांचों दिवंगत नेताओं के बारे में जो भावना रखी गयी है उस भावना के साथ मैं अपने दल की ओर से और अपनी ओर से उनके शोक संतप्त परिवारों को हार्दिक सहानुभूति प्रकट करते हुये मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के माननीय नेता ने पांच दिवंगत नेताओं के प्रति भावभीनी श्रद्धान्जली अर्पित की है। मैं उनकी भावना का सम्मान करता हूं।

श्री मोहनकुमार मंगलम् एक सफल और उच्च कोटि के एडवोकेट थे। मैं जब सुप्रिम कोर्ट में एडवोकेट के नाते गया तो मैंने पाया कि जिस मेहनत के साथ और जिस लगन के साथ अपने विषय पर वह सब प्रकार का अध्ययन करके आते थे, जैसी शानदार शैली में वह अपने विषय को रखते

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

थे, वह बहुत उच्च थी। उनके विचारों में मतभेद जनतन्त्र की पद्धति में हो सकता है। लेकिन जिन सिद्धान्तों को उन्होंने लिया, स्पष्ट तरीके से लिया। चाहे वह न्यायपालिका में हो चाहे और किसी क्षेत्र में हो।

श्री तेजासिंह, श्री सतीश लूम्बा और अन्य के बारे में जो प्रस्ताव प्रस्तुत हुये हैं, उनको मैं अपने दल की ओर और अपनी ओर से भी श्रद्धान्जलि अर्पित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, दिवंगत महान आत्मा गोलवरकर के बारे में कहा गया है। वास्तव में आज के युग में वह युग पुरुष थे। उन्होंने अपने जीवन का क्षण-क्षण और रक्त का कण-कण राष्ट्रदेवता के चरणों में, राष्ट्र और देश भक्ति की शिक्षा देते हुये अर्पित कर दिया। 19 फरवरी, 1906 में इस महान पुरुष का जन्म हुआ। एम. एससी. पास करने के बाद बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में कार्य किया। इसी नाते वह राष्ट्र में परम पूज्य गुरूजी के नाम से प्रसिद्ध हुये। सन् 1936 में रामकृष्ण मिशन में प्रविष्ट हुये। 1940 में उन्हें राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का सरसंघचालक नियुक्त किया गया। इस देश में स्वामी विवेकानन्द, रामकृष्ण परमहंस, अरविन्द घोष और महात्मा गान्धी जैसे महान पुरुषों की श्रृंखला पैदा की है। उसी की वह भी एक कड़ी थे।

अध्यक्ष महोदय, उनकी मृत्यु के बाद उनकी आत्मा के प्रति केवल उनके दल के ही लोगों ने नहीं बल्कि अन्य लोगों ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की हैं। वह अजातशत्रु थे। उन्होंने अपने जीवन का सब कुछ समर्पित कर दिया। अध्यक्ष महोदय, कुछ समय पहले साप्ताहिक 'धर्मयुग' की ओर से गुरूजी से एक प्रश्न पूछा गया था। उनसे पूछा गया कि आप बताइये आपके जीवन का ध्येय क्या है? गुरूजी ने उत्तर दिया, 'मैं नहीं तू ही'। यह उन्होंने उत्तर दिया। अंग्रेजी में कहते हैं, 'All I's are capital.' यही हम अपने जीवन में प्रयास करते हैं। परन्तु गुरूजी ने अपनी वसीयत में यह लिखा है, यदि मेरे जीवन की समाप्ति हो जाये तो किसी प्रकार की स्मारक नहीं बनायी जाये। कोई यादगार नहीं बनाई जाये। यह महान् व्यक्तित्व का परिचायक है। वह महान् देश भक्त थे। आज के युग में उन्होंने जो कर दिखाया है, उसके कारण उनके जो विरोधी समाचार पत्र थे, उन्होंने भी श्रद्धांजलि अर्पित की है। 'ब्लिट्ज साप्ताहिक' में लिखा है—

"जिस एकाग्र चित्तभक्ति से उन्होंने संघ का संगोपन किया उस पर कोई भी व्यक्ति आक्षेप नहीं ले सकता। उनका वैयक्तिक जीवन संन्यस्त था। तथा उनकी संगठन क्षमता अद्वितीय थी। उनमें कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं था। अपने ध्येय पथ पर चलते हुये उनके हृदय में आलस्य नहीं था। शब्दों में कमजोरी नहीं थी तथा भौहों पर थकान नहीं थी।"

यह उचित होगा कि अन्यान्य राजनैतिक नेतागण उनके उदाहरण को अपनाएं—जो पूर्णतया समर्पण का है।

ऐसे महान् व्यक्ति, जिन्होंने अपने जीवन को समर्पण करके लाखों व्यक्तियों को प्रेरणा, स्फूर्ति और अभिव्यक्ति दी है, का अभाव सदियों तक खटकेगा। उनके बताये हुये मार्ग पर

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

चलकर ही हम उनकी इच्छा को पूरा कर सकेंगे। मैं अन्त में यह कहूंगा—

"जिस दीपक ने हमें जलाया,
आज उसी का गुण गाते हैं।
और उसी के पदचिह्नों पर,
चल करके जल जाते हैं।"

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मन्त्री महोदय ने जो शोक प्रस्ताव रखे हैं, मैं अपने दल की ओर से और अपनी ओर से उनका समर्थन करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मोहन-कुमार मंगलम् और उनके परिवार से मेरे काफी निकट के सम्बन्ध रहे हैं। एक अच्छे एडवोकेट, एक अच्छे राजनीतिज्ञ, एक अच्छे ओरेटर और अच्छे डिवेटर के रूप में मुझे उनको जानने का मौका मिला है। पिछले समय में वे सेन्ट्रल केबिनेट में शामिल हुए। प्रोग्रेसिव नीतियों के प्रति उनकी निष्ठा ही नहीं थी बल्कि उनको इस माहोल में भी साबित करने का जो प्रयत्न उन्होंने किया है, उससे निश्चिततौर से सेन्ट्रल केबिनेट में वे टावरिंग पर्सनलिटी के रूप में उभर कर आये थे। इसी कारण कुछ अखबारों ने यह भी लिखा था कि भारत की प्रधान मन्त्री उन्हें डिप्टी प्राइम-मिनिस्टर बनाने का संकल्प कर चुकी थी। पब्लिक सेक्टर को उन्होंने एक नई दिशा देने का प्रयत्न किया था। मोहनकुमार मंगलम् के निधन से न केवल कांग्रेस, न केवल सेन्ट्रल केबिनेट बल्कि सारे प्रोग्रेसिव मूवमेण्ट को बहुत बड़ा धक्का लगा।

अध्यक्ष महोदय, श्री तेजासिंह स्वतन्त्र अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष के रूप में, पालियामेन्ट के सदस्य के रूप में पंजाब से विजयी हुए थे, उस रूप में रहे, और पालियामेन्ट का कार्य करते हुए उनका निधन हुआ। अध्यक्ष महोदय, श्री तेजासिंह स्वतन्त्र लीजेन्ड्री के फिगर थे। जो नदर्न इण्डिया में फ्रीडम मूवमेंट चला उसमें ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म, के खिलाफ पेप्सू में राजाशाही के खिलाफ, जागीरदारों के खिलाफ उन्होंने निरन्तर संघर्ष किया।

तेजासिंह स्वतन्त्र गदर पार्टी के उन नेताओं में से थे जिन्होंने विदेशों में जाकर ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म के खिलाफ उन देशों की जनता और उन देशों को संगठित किया और भारत से अंग्रेजों को कैसे निकाला जाय, इस तरह की ट्रेनिंग, मिलट्री ट्रेनिंग प्राप्त की, पॉलिटिकल ट्रेनिंग प्राप्त की। उस ट्रेनिंग को प्राप्त करके भारतवर्ष में आकर ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म से लड़े, फ्यूडलिज्म से लड़े। और उस संघर्ष में काफी अर्से तक अण्डर ग्राउन्ड रहे। पचास हजार रुपये का ईनाम उनकी गिर-फ्तारी के ऊपर रखा था। जेल में रहते हुए वह बहुत बड़ी तादाद में पंजाब विधान सभा के सदस्य चुने गये। फिर जब अपने देश में राजनैतिक पलटाव हुआ तो उनके ऊपर से बैन हटा। उसके बाद गंगानगर जिले में 1970 में जब लैंड मूवमेंट चला तो एक सप्ताह उनके साथ दौरा करने का मुझे मौका प्राप्त हुआ। मुझे आश्चर्य हुआ, वह अपने साथ इन्जेक्शन लगाने की सीरींज रखते थे। उनको कुछ ट्रबल थी, इस कारण से वह खुद इन्जेक्शन लगाते थे। उनके पास साधारण थैला रहता था जिसमें कच्छा होता था और साधारण ओढ़ने की चद्दर होती थी। इसके अलावा कोई चीज या सामन वह नहीं रखते थे। इस प्रकार एक साधारण किसान को तरह का उनका जीवन

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

था। वह हमारे बीच में नहीं रहे उससे हिन्दुस्तान की मेहनतकश जनता, विशेषकर किसानों और मजदूरों को बहुत बड़ी क्षति पहुंची है।

इसी तरह से सतीश लूंबा अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के जनरल सेक्रेटरी थे। वह मोहनकुमार मंगलम्, सरदार गुरनाम सिंह के साथ हवाई जहाज में सफर कर रहे थे, जो जहाज दुर्घटनाग्रस्त हुआ और उससे काफी बड़ी संख्या में लोग शहीद हुए। उनमें सतीश लूम्बा भी एक थे। सतीश लूंबा थोड़ी उम्र में हिन्दुस्तान की वर्किंग क्लास मूवमेंट के एक प्रमुख नेता थे, न केवल हिन्दुस्तान की वर्किंग क्लास, ट्रेड यूनियन मूवमेंट के वरन अन्तर्राष्ट्रीय जितने फोरम हैं उनमें वह एक नेता के रूप में जाने जाते थे, उनमें उनकी सलाह, उनकी डिबेट का कन्ट्रीब्यूशन रहता था, एक बहुत बड़ा कन्ट्रीब्यूशन था। हिन्दुस्तान की वर्किंग क्लास को एक बहुत बड़ा नुकसान, श्री सतीश लूंवा के निधन से हुआ है।

अध्यक्ष महोदय, श्री गुरनाम सिंह, जो भूतपूर्व जज थे पंजाब हाई कोर्ट के और पंजाब की गवर्नमेन्ट के चीफ मिनिस्टर भी रहे, के निधन से विशेषकर पंजाब को और नदर्न इण्डिया को काफी क्षति पहुंची है।

मैं इन सभी महान आत्माओं के प्रति अपनी ओर अपने दल की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : अध्यक्ष महोदय, मोहनकुमार मंगलम् एक महापुरुष थे। वह उनके कन्विक्शन और डीलिंग के लिए याद रहेंगे। कांग्रेस में आने के बाद वे केन्द्रीय मंत्रिमण्डल के सदस्य बने। उन्होंने मार्क्सवादी मान्यता को कभी नहीं छोड़ा बल्कि उसको आखिर तक निभाया।

अध्यक्ष महोदय, श्रद्धेय गोलवलकर की संयम, त्याग की जिन्दगी थी, जो हमें हमेशा प्रेरणा देती रहेगी।

तेजासिंह, सतीश लूंवा को मैं निजी तौर पर जानता हूं। तेजासिंह गदर मूवमेंट के एक लीडर थे और किसानों को आर्गेनाइज करने में उनका प्रमुख हाथ रहा। उनकी निर्भीकता, निडरता और हिम्मत की हम हमेशा प्रशंसा करते रहेंगे।

सतीश लूंवा का, जो ट्रेड यूनियन मूवमेंट देश में मौजूद है, उसको चलाने में प्रमुख हाथ था।

मैं अपनी ओर अपने दल की ओर से इन महान दिवंगत आत्माओं के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) : अध्यक्ष महोदय, मोहनकुमार मंगलम् का निधन निश्चय ही राष्ट्र की क्षति है। जब कि देश को उनकी उपस्थिति की बहुत ही आवश्यकता थी और मुख्यतः जिस आर्थिक स्थिति में से अपना देश गुजर रहा है, नाजुक स्थिति में से, इस वक्त हमारे राष्ट्र को उनके निधन से निश्चय ही राष्ट्रीय क्षति पहुंची है। वे अपनी मान्यताओं के धनी थे, भावनाओं के धनी थे, और अपनी भाषा के धनी थे। निश्चय ही उनका भविष्य और उनकी उपस्थिति राष्ट्र के लिए बहुत लाभप्रद होती। मैं अपनी ओर से ऐसे महात्मा के प्रति श्रद्धान्जलि अर्पित करता हूं।

गुरू गोलवलकर अपनी मान्यताओं में विशिष्ठ थे, संगठन शक्ति में अग्रणी थे।

Page No 48

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

साथ ही अपने तप और साधना में बेजोड़ थे। इसलिए उनका निधन भी राष्ट्र के लिए क्षति है। मैं उनके प्रति भी अपनी श्रद्धान्जलि अर्पित करता हूं।

इसी तरह श्री गुरनामसिंह, श्री तेजासिंह, श्री सतीश लूंबा की मृत्यु देश की इस विषम स्थिति में होना देश के लिए हानिकारक है।

मैं सदन के माननीय नेता की भावभीनी भावनाओं के साथ अपनी भावनाओं को जोड़ते हुए इन सभी महापुरुषों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री झाबरमल सुंडा (फ़तेहपुर): अध्यक्ष महोदय, माधवराव सदाशिव गोलवरकर, जिनका निधन हो चुका है, ने इस भारतवर्ष की संस्कृति के प्रचार, और जितने दिन वह जिन्दा रहे, इसको सुरक्षित रखने के लिए जो कुछ किया, वह हमेशा याद रहेगा।

दूसरे एअर लाइन्स के जहाज की हुई दुर्घटना की वजह से चार बड़े आदमियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और उनकी गैर मौजूदगी से इस नेशन को नुकसान उठाना पड़ा है—यह सबको विदित है। कैसे उनकी बातों को हम आगे बढ़ा सकेंगे क्योंकि अलग अलग लोगों के अलग अलग कार्य क्षेत्र है। पूरी तरह से उनके स्थान को भर पाना मुश्किल है। मैं अपनी तरफ से तथा अपने दल की तरफ से इन महान आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: सदन के माननीय नेता महोदय तथा विरोधी पक्ष के अन्य नेता महोदयों ने जो महान् दिवंगत आत्माओं के प्रति अपनी श्रद्धाजलि अर्पित की है, उसमें मैं अपने आपको शरीक करता हूं और अपनी ओर से उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री मोहन कुमार मंगलम, श्री गुरनाम सिंह, और श्री सतीश लूंबा—इनका एक ही दुर्घटना के अन्दर, हवाई जहाज की जो दुर्घटना घटी, दुखद अन्त हुआ। यह तीनों व्यक्ति देश सेवक, समाज सेवक और प्रगतिशील विचारधारा के थे। मोहनकुमार मंगलम् एक कुशल विशेषज्ञ, एक कुशल एडवोकेट, एक कुशल प्रशासक, कुशल मंत्री थे, अग्रणी विचारधारा, सामाजिक विचाराधारा को रखने वाले तथा उन्हें कार्यान्वित करने वाले थे। गुरनामसिंह जी ऊंचे विद्वान थे और हाई कोर्ट के बहुत अच्छे जजों में माने जाते रहे हैं, उसके बाद पंजाब में चीफ मिनिस्टर और आस्ट्रेलिया में हाई कमिश्नर भी रहे। सतीश लूंबा, इसी तरह से सामाजिक और खासतौर से मजदूरों में काम करने वाले थे। वह ट्रेड यूनियन के जनरल सेक्रेटरी थे और बराबर गरीबों का काम काज और उनकी भलाई में दिलचस्पी लेते रहे।

श्री श्रद्धेय गुरु गोलवलकर के बारे में मैं समझता हूं, ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। जो भाव माननीय सदस्य गुमानमलजी लोढ़ा ने व्यक्त किये हैं उनमें मैं अपने आप को सम्मिलित करता हूं और उनके बारे में निश्चित कह सकता हूं कि वह एक कुशल संगठन कर्त्ता थे और भारतीय विचारधारा और पूर्व की सभ्यता में विशेष आस्था रखने वाले वह थे। इसी तरह से श्री तेजासिंह किसान सभा के अध्यक्ष रहे हैं, समाज सेवक रहे हैं। मैं पुनः इन पांचों व्यक्तियों को श्रद्धांजलि अर्पित

(श्री अध्यक्ष)
करता हूं और जो भाव सदन ने व्यक्त किए हैं उनसे मैं अपने को सम्मिलित करता हूं और शोक संतप्त परिवारों के लिए प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनको शांति दे। अब मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करता हूं कि दो मिनिट के लिए खड़े होकर मौन धारण करें।

(सदन ने दो मिनिट मौन खड़े रह कर दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि:—

(1) सर्वश्री गुमानमल लोढ़ा, भानुकुमार शास्त्री, गिरधारीलाल भार्गव, उम्मेदीलाल, केदारनाथ, निरंजननाथ आचार्य, रामानन्द अग्रवाल, योगेन्द्रनाथ हांडा व केशरीमल, सदस्य, विधान सभा ने प्रदेश में दैनिक उपभोग की आवश्यक वस्तुओं के पर्याप्त मात्रा में न मिलने और इनकी कीमतों में असाधारण वृद्धि के संबन्ध में चार स्थगन प्रस्तावों की सूचना दी है। मैं चाहूंगा कि इन स्थगन प्रस्तावों के संबन्ध में राज्य सरकार एक वक्तव्य दे।

(2) सर्वश्री निरंजननाथ आचार्य, केदारनाथ, गुमानमल लोढ़ा, भानुकुमार शास्त्री, उम्मेदीलाल व गिरधारीलाल भार्गव, सदस्य, विधान सभा ने राज्य में हुई अतिवृष्टि व बाढ़ के कारण उत्पन्न स्थिति के संबन्ध में तीन स्थगन प्रस्तावों की सूचना दी है। इन सब स्थगन प्रस्तावों के संबन्ध में भी राज्य सरकार एक वक्तव्य देगी।

अतः मैं इन स्थगन प्रस्तावों को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(3) सर्वश्री भानुकुमार शास्त्री, गुमानमल लोढ़ा, गिरधारीलाल भार्गव, रामानन्द अग्रवाल, योगेन्द्रनाथ हांडा, केशरीमल, निरंजननाथ आचार्य, केदारनाथ व गुरदयाल सिंह संधु, सदस्य, विधान सभा ने राज्य कर्मचारियों की विगत हड़ताल के संबन्ध में हुए समझौते के दौरान कर्मचारियों को दिए गए आश्वासनों की पूर्ति न करने और विशेष रूप से अध्यापकों के बड़े पैमाने पर स्थानान्तरण करने के सम्बन्ध में चार स्थगन प्रस्तावों की सूचना दी है।

(4) सर्वश्री गिरधारीलाल भार्गव, केदारनाथ, गुरदयालसिंह संधु, योगेन्द्रनाथ हांडा, सदस्य, विधान सभा ने गंगानगर जिले में पिछले दिनों हुई हत्याओं के संबन्ध में चार स्थगन प्रस्तावों की सूचना दी है।

(5) श्री गिरधारीलाल भार्गव, सदस्य, विधान सभा ने राज्य में राष्ट्रीयकृत पुस्तकों के उपलब्ध न होने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(6) सर्वश्री भानुकुमार शास्त्री, गिरधारीलाल भार्गव, गुमानमल लोढ़ा व मालाराम, सदस्य, विधान सभा ने जयपुर तथा जोधपुर में राशन पर गेहूं पर्याप्त मात्रा में न मिलने के सम्बन्ध में दो स्थगन प्रस्तावों की सूचना दी है।

(7) श्री गुरदयालसिंह संधु, सदस्य, विधान सभा ने निम्नांकित तीन स्थगन प्रस्तावों की सूचना भी दी है:—

(i) राज्य सरकार द्वारा गेहूं की बिक्री को खुला कर देने,

(श्री अध्यक्ष)

(ii) गंगानगर जिले में किसानों को खाद आदि न मिलने,

(iii) मोतीराम कमीशन की रिपोर्ट को लागू न करने।

(8) सर्वश्री सुरेशचन्द्र, मीठालाल व मूलचन्द सामरिया, सदस्य, विधान सभा, ने सब-जेल, कोटपूतली में कुछ कैदियों के साथ अमानुषिक व्यवहार करने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(9) सर्वश्री मीठालाल, सुरेशचन्द्र, मूलचन्द सामरिया, सदस्य, विधान सभा ने मुख्य मन्त्री द्वारा राजस्थान के कोटे की बिजली उत्तर प्रदेश को देने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(10) सर्वश्री गुमानमल लोढ़ा, भानुकुमार शास्त्री, गिरधारीलाल भार्गव, उम्मेदीलाल, सदस्य, विधान सभा ने टौंक नगर में दिनांक 9-9-1973 को हुई मारपीट, आगजनी आदि की घटना के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(11) सर्वश्री भानुकुमार शास्त्री, गिरधारीलाल भार्गव, गुमानमल लोढ़ा व मालाराम, सदस्य, विधान सभा ने झुंझुनूं जिले के एक गांव में आते समय एक बस के नाले में बह जाने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(12) सर्वश्री भानुकुमार शास्त्री, गिरधारीलाल भार्गव, गुमानमल लोढ़ा व उम्मेदीलाल, सदस्य, विधान सभा ने गत 7 अगस्त को बांसवाड़ा में पुलिस द्वारा किए गए लाठी प्रहार तथा महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

इन सब स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा।

(1) सर्वश्री मूलचन्द सामरिया, मीठालाल व सुरेशचन्द्र, सदस्य, विधान सभा ने राजकीय कॉलेज, दौसा में छात्रों को जबरन विषय परिवर्तन करने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(2) सर्वश्री गुमानमल लोढ़ा, गिरधारीलाल भार्गव, भानुकुमार शास्त्री, मालाराम व उम्मेदीलाल, सदस्य, विधान सभा ने अजमेर नगर परिषद् में जनसंघ दल के नेता को राज्य सरकार द्वारा निलम्बित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(3) श्री गुरदयालसिंह सन्धु, सदस्य, विधान सभा ने जिला गंगानगर के सीमावर्ती क्षेत्र में गत भारत-पाक युद्ध के समय ग्रांवयाना वापस न मिलने और सरकार द्वारा फसलों का मुआवजा न चुकाने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

ये तीनों ही स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोकमहत्त्व के नहीं हैं। अतः मैं इनकी स्वीकृति देने में असमर्थ हूँ।

(कई माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : मैं केवल दो मिनट में ही निवेदन करूंगा। दौसा कॉलेज में एडमीशन नहीं हो रहा है। विद्यार्थियों को फोर्स किया जा रहा है कि

(श्री मूलचन्द सोमरिया) विषय चेंज करें प्रिन्सिपल दबाव डालते हैं कि विषय में चेंज किया जाए नहीं तो तुम्हारा रेस्टीकेशन किया जाएगा। जिन्होंने चेंज नहीं किया, उनको नोटिस दिया गया है कि उनके नाम काट दिये जायेंगे। इसके अलावा लोकल विद्यार्थी लड़कियाँ भी हैं उनका भी एडमीशन नहीं किया गया है। अगर सरकार ने नीति नहीं बदली तो मैं निश्चित तौर से निवेदन कर सकता हूं कि जबर्दस्त आंदोलन होगा और जन धन की क्षति होगी जिसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार होगी।

श्री अध्यक्ष : इतना ही पर्याप्त है।

श्री मूलचंद सोमरिया : जिन विद्यार्थियों को दूसरी जगह स्थान नहीं मिल सकती है, लोकल विद्यार्थी हैं उनका विषय चेंज न किया जाए। प्रिन्सिपल का तबादला किया जाए, जिससे वातावरण ठीक हो सके।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैंने जो स्थगन प्रस्ताव मंहगाई, जमाखोरी और कीमतों के बढ़ने के संबंध में दिया था, आपने केवल मात्र यह कह कर कि इस पर सरकार एक वक्तव्य दे, उसको अस्वीकार किया है।

श्री अध्यक्ष : इससे ज्यादा क्या चाहते हैं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : यदि रूल्स में कोई स्थगन प्रस्ताव एडमिट होना चाहिए तो जिस विषय पर और जिस समय मैंने यह स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, यह मंजूर होना चाहिए और सदन का दूसरा सामान्य एजेंडा स्थगित किया जाकर अभी इस पर डिबेट होनी चाहिए। हम इस सदन में 6 महीने के बाद मिल रहे हैं, इस दौरान जो स्थिति आम जनता की है चीजों के मिलने के संबंध में चाहे अनाज है....

श्री अध्यक्ष : जल्दी करें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसलिए आप अपने निर्णय पर पुनः विचार करें क्योंकि यह सवाल महत्वपूर्ण है। आप मुझे कहने का अवसर देंगे, मैं यह अपेक्षा करता हूं कि आज मंहगाई जितने गुना बढ़ गई है उससे न केवल काश्तकार, मजदूर बल्कि मध्यम वर्गीय लोगों के लिए भी बहुत ही मुश्किल नजर आ रही है। एक तरफ चीजें नहीं मिलती हैं। अगर मिलती हैं तो उनकी कीमतें ज्यादा है, लोग ले नहीं सकते।

अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि आज जो आम जरूरत की चीजें हैं जैसे गेहूं, चीनी वगैरह, जो कि आम जनता के लिए बहुत ही जरूरी है, वह आज बाजार में उपलब्ध नहीं है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य थोड़े में कहें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़े में ही निवेदन कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, आज जो राज्य सरकार की घोषित नीतियां है जिनमें गेहूं के थोक व्यापार के राष्ट्रीयकरण की बात थी, जिसके बारे में हमारी राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया था कि गेहूं का राष्ट्रीयकरण कर लिया गया है, उस घोषित नीति को मैं समझता हूं कि सिर्फ कागजों में ही रखा गया है। और राज्य सरकार ने और उसके

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
प्रशासनिक अधिकारियों ने मिलकर इस नीति का सेबोटेज किया है उसे फेल किया जा रहा है। जो पहला कदम है वह यह है, राज्य सरकार ने अभी निर्णय लिया है कि किसान जिस भाव में भी चाहे अपने अनाज को कहीं पर भी ले जाकर बेच सकता है।

श्री अध्यक्ष : आप तो पूरी तकरीर ही फर्मा रहे हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, यह एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न है। आखिर राज्य सरकार की घोषित नीति का अमल करने का प्रश्न है। उसके लिए हमारे यहां की कांग्रेस ने यहां पर जयपुर में बड़ी बड़ी रेलियां निकाली जिसमें कि हमारे प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष शामिल थे व हमारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी भी उसमें शामिल हुए थे। सिर्फ जयपुर में ही नहीं बल्कि पूरे हिन्दुस्तान में इसके लिये रेलियां निकाली गई हैं। हमारे यहां भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने भी इसके विरोध में रेलियां निकाली। इधर स्टूडेन्ट फैडरेशन ने भी रेलियां निकाली। इसके लिए एजीटेशन्स भी किये गये लेकिन राज्य सरकार के कानो पर जूं तक नहीं रेंगी। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में स्टूडेन्ट फैडरेशन ने इतना तक किया कि कई जगहों पर अनाज के गोदामों पर छापे मारे और कई जगह पर वनस्पति घी के डिब्बे पकड़े। इस प्रकार कई जगहों पर प्रदेश में छापे मारे गये। आज हमारे देश में कई प्रदेशों में इस प्रकार छापे मारे तथा बढ़ती हुई कीमतों के बारे में डी. आई. आर. के अन्तर्गत कीमतों को मुकर्रर किया तथा जिन्होंने इस कानून को नहीं माना उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही कर उनको सजा दी। लेकिन अत्यन्त खेद की बात है यहां पर राजस्थान में डी. आई. आर. के अन्तर्गत इन आम जरूरत की चीजों की कीमतें मुकर्रर नहीं की गयी।

श्री अध्यक्ष : आप जो एडजोर्नमेन्ट मोशन पर इतनी बड़ी तकरीर फर्मा रहे हैं वह माफिक नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, बहुत ही इम्पोर्टेन्ट इश्यू है। इसलिये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, आज दूसरे प्रदेशों में डी.आई.आर. के अन्तर्गत आम जरूरत की चीजों की कीमतें मुकर्रर की गई हैं। इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, हमारे राजस्थान में जो गेहूं के थोक व्यापार का राष्ट्रीयकरण किया गया लेकिन उसके अन्तर्गत राज्य सरकार ने जो तीन लाख टन गेहूं की लेवी वसूल करने का जो टार्गेट था उसको पूरा नहीं किया और उसे भी पोस्टपोन किया है। सरकार ने सिर्फ 45 से लेकर पचास प्रतिशत तक ही लेवी वसूल की है। इस प्रकार सरकार ने आज किसानों के नाम पर बड़े बड़े जमींदारों और बड़े बड़े अनाज के व्यापारियों को एक प्रकार से छूट दी है कि वह इसमें ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने की कोशिश करें। और इस प्रकार से सरकार अपने दल की घोषित नीतियों को फेल करवा रही है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ! एडजोर्नमेंट मोशन को लेकर आप इतनी तकरीर फर्मा रहे हैं। यह अवसर नहीं है। इसे समाप्त करें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न बहुत ही महत्त्वपूर्ण प्रश्न है।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

मैं तो यह निवेदन करूंगा कि आज जो सदन की कार्यवाही है उसे स्थगित कर पहले इस मुद्दे को लेना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, बहुत ही खेद की बात है पहले तो राज्य सरकार ने विधान सभा छः माह बाद बुलाई है, इसके लिए राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया और जब छः माह बाद विधान सभा बुलाई गई है तो अब राज्य सरकार ऐसे महत्त्वपूर्ण मुद्दे पर जवाब देने को भी तैयार नहीं है।

राज्य सरकार को इसके लिये तैयार होकर आना चाहिये था। हम तो आपके सामने सिर्फ फैक्ट्स रख रहे हैं और जनता के प्रतिनिधि के नाते सारे फैक्ट्स यहां रखना जरूरी हो जाता है क्योंकि हम लोग जनता की बात यहां पर कहने आते हैं। अध्यक्ष महोदय, अभी थोड़े दिन पहले राज्य सरकार ने मोटे अनाज को बाहर ले जाने की छूट दे दी है। बाजार में गेहूँ मिलता नहीं था, इधर आपने राशन में जो गेहूं दिया है इसमें किसी जगह पर आठ किलो और कहीं पर चार किलो, कहीं पर एक एक किलो दिया है और कहीं पर बिल्कुल नहीं दिया है। यह तो अन्याय है। जब आपने मोटे अनाज की निकासी की छूट दे दी है कि बीस प्रतिशत लेवी देकर कहीं पर ले जाकर बेचो। इस प्रकार आपने बड़े व्यापारियों को और बड़े बड़े जमीदारों को मुनाफा कमाने की छूट दे दी है। अभी, अध्यक्ष महोदय, कुछ दिन पहले 26-27 तारीख की बात है हमारे अलवर जिले में बहरोड़ और महेन्द्रगढ़ से बाहर हरियाना को जाते हुए करीब 12 ट्रक चने के पकड़े गये थे। मैंने खुद ने मन्त्री महोदय को टेलीफोन पर इत्तला दी थी। उन्होंने लेवी भी नहीं दी थी लेकिन राज्य सरकार ने कोई कदम उसके उपर नहीं उठाया। हां इतना जरूर है कि वह ट्रक नहीं छोड़े गये और उन लोगों के खिलाफ केस रजिस्टर भी किये गये हैं। लेकिन अभी ऐसे समाचार मिले हैं कि उनके खिलाफ कार्यवाही बन्द करने की व्यवस्था की जा रही है।

श्री अध्यक्ष : माननीय आखिर कहना क्या चाहते हैं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, हम तो आपको सुनाना चाहते हैं क्योंकि आप तो कई दिनों से विदेश में भ्रमण कर रहे थे और उसके पीछे यहाँ पर कई बातें हो गयी हैं। उनका शायद आपको पता नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष : वह तो मैं सुन रहा हूं लेकिन रिपीटेशन नहीं होना चाहिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, बहुत ही इम्पोर्टेन्ट इश्यू है, आम जनता की जिन्दगी का सवाल है। लोगों को खाने को गेहूँ नहीं मिल रहा है और आपने बीस प्रतिशत लेवी लेकर किसानों को चना बाहर भेजने की मन्जूरी दे दी है। आज आपके यहां का चना बाहर जा रहा है, जो चना सस्ता मिलना चाहिये वह बाहर जा रहा है और इस प्रकार यहां की जनता को भूखे मार कर बड़े बड़े जमीदारों को और बड़े बड़े व्यापारियों को मुनाफा दिला रहे हैं। और इस प्रकार की लापरवाही आपका मन्त्रालय कर रहा है कि जिससे जो राज्य सरकार की घोषित नीति है वह फेल हो रही है। आज आप इन बड़े बड़े व्यापारियों और जमीदारों से मिलकर इसमें सेबोटेज कर रहे हैं। आपने गेहूं के राष्ट्रीयकरण

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

की बात की तो हमने बड़े बड़े व्यापारियों और बड़े बड़े जमीदारों के दलालों, जो कि जनसंघ वाले और स्वतन्त्र पार्टी वाले हैं, जिन्होंने इसका विरोध किया, का ओपनली विरोध किया और आपका साथ दिया और आज आप उसे फेल करने जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, आज इसके लिए कई जगहों पर देश में घेराव किये गये हैं, गोदाम पकड़े गये है, छापे मारे गये हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। अभी खाद्य मन्त्रालय के मन्त्री जी बैठे हैं, मुख्य मंत्री जी से भी निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार को चाहिये कि लोगों को कन्ट्रोल्ड रेट पर चीजें मिलें। और इसके लिए जो आपकी घोषित नीतियां हैं उनका इम्प्लीमेन्टेशन किया जाना चाहिये। इसके लिए आपको, जो लोग इसको फेल करने में लगे हैं, उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिये। आज आप जो किसान के नाम पर बड़े बड़े जमीदारों को, बड़े बड़े अनाज के व्यापारियों को लाभ पहुँचाने जा रहे हैं वह तुरन्त बन्द कीजिये। आज आपने किसान के नाम पर जो छूट इन लोगों को दी है उसे बन्द करें।

क्या अलवर का किसान जोधपुर में अनाज बेचने जायेगा ? नहीं। वह नहीं जायेगा। इस प्रकार तो आप बड़े बड़े व्यापारियों को मुनाफा कमाने का मौका दे रहे हैं। आप बेईमान लोगों को मुनाफा दिला रहे हैं और जो चोर बाजारी करने वाले हैं। उन्हें बढ़ावा दे रहे हैं। इस प्रकार आप राष्ट्रीयकरण नहीं कर रहे हैं आप डी राष्ट्रीयकरण करने जा रहे हैं। आप बड़े बड़े व्यापारियों और बड़े बड़े जमीदारों का साथ देकर इसमें सेबोटेज कर रहे हैं इसके लिए मैं समझता हूँ कि हमारे प्रदेश के खाद्य मन्त्री जिम्मेदार हैं। उन्हीं की लापरवाही के कारण ऐसा हो रहा है। इसलिए मैं, अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसे खाद्य मन्त्री को यहाँ से निकाला जाय, इनसे इस्तीफा मांग लिया जाय।

इसके अलावा मैं एक बात और निवेदन करना चाहूँगा माननीय मुख्य मन्त्री जी से कि अगर यही हाल रहा तो मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है, बरकत साहब ! यह दोस्ती ज्यादा दिन तक नहीं निभेगी। इसके लिए मैं यह निवेदन करूँगा कि राज्य सरकार को चाहिये, जिस प्रकार कर्नाटक में और महाराष्ट्र में जो घटनायें घटी हैं वह यहां पर नहीं घट जायें। क्योंकि आज स्थिति यह है राज्य सरकार कुछ करे नहीं और जब विद्यार्थियों ने 127 गोदामों पर छापे मार कर वनस्पति और अनाज पकड़वाया तो आपके डी. एस. ओ. ने और सप्लाई अधिकारियों ने उनसे मिल कर इस माल को डिक्लेअर्ड स्टॉक, घोषित किया हुआ बताया। इस प्रकार जिन अनाज के व्यापारियों ने 100 रुपये क्विन्टल में चना खरीदा था वह 150 रुपये के भाव से बेच रहे हैं। डिक्लेअर्ड स्टॉक के तहत 50, 50 रुपये प्रति क्विन्टल फायदा उठा रहे हैं और उसे आप डिक्लेअर्ड कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : अब आप समाप्त करें। काफी हो चुका है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, 100 रुपये प्रति क्विन्टल माल खरीदा उसे आज नारनौल हरियाना में बेचकर आप वहाँ से चना बुक करा रहे हैं और उस स्थान पर भेज रहे हैं जहां पर चना 300

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

रुपया और 350 रुपया प्रति क्विन्टल विकता है। इस प्रकार आप लोगों को साढ़े तीन गुना ज्यादा मुनाफा कमाने में मदद दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, इन सभी बातों से चिन्तित होकर आपके प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष ने रेली निकाल कर एक बारह सूत्री प्रोग्राम हमारे मुख्य मन्त्री जी को पेश किया और उसके ऊपर हमारे मुख्य मन्त्रीजी ने कुछ आश्वासन भी दिया लेकिन बावजूद आश्वासन के राज्य सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया और कोई कदम नहीं उठाने से आज प्रदेश में आम खाने की चीजों की कीमतें बढ़ गयी हैं, लोगों को अनाज नहीं मिल रहा है और स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। निवेदन इसलिये, अध्यक्ष महोदय, मैं यह करना चाहता हूँ······

श्री अध्यक्ष : अध्यक्ष महोदय की बात आप मानते नहीं हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अगर आप यह इल्जाम लगायें तो मैं बर्दाश्त कर लेता हूँ। अगर इन जुलूसों में आप होते, अगर इन मकानों और मोहल्लों में आप होते तो आपको मालूम होता कि किस तरह से लोग एक एक चीज के लिये परेशान हो रहे हैं और तड़फ रहे हैं, किस तरह से लोग एक एक किलो अनाज के लिये तरस रहे हैं, किस प्रकार से लोग केरोसिन के लिये परेशान हो रहे हैं, किस प्रकार लोग रोजमर्रा की रोटी के लिये परेशान हैं। आप यदि इस सरकार को मजबूर करें तो यह अपनी नीति में कोई न कोई तबदीली करेगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि लोग कहते हैं कि क्यों चुपचाप बैठे हैं, लोग जिन्दा कैसे हैं, कोई चीज मिलती नहीं, चाहे जिस भाव से लेकर आवें और उनको खिलावें। सरकार यह मान कर बैठी है, सरकार खुद तस्करी में विश्वास करती है। गुजरात का माल यहां आये, मंत्रीजी आंखें मूंद लेते हैं, यू. पी. का माल यहां आकर बिके मंत्रीजी आखें मूंद लेते हैं और यहां का माल हरियाणा में जाकर मंहगा बिके तो मंत्रीजी आंखें मूंद लेते हैं। यहां का माल लोग बाहर ले जांय और बाहर का माल लोग यहां लायें और मंहगा बेचें और खूब मुनाफा कमायें, कोई परवाह नहीं। जब अधिकारियों से कहते हैं तो वे कहते हैं कि हम क्या करें। ऊपर से हमें कोई पावर नहीं देते। हम क्या करें।

श्री अध्यक्ष : मैं समझता हूँ आपने काफी समय ले लिया।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं दो मिनिट में ही समाप्त करता हूँ।

हमने यह कहा कि जो डिक्लेयर्ड स्टाक हैं उसकी कीमत तय करना यह भारत सरकार की नीति है। सरकार सक्षम है। यदि सरकार इजाजत दे तो कलेक्टर अपने हर जिले में डी. आई. आर. के तहत हर चीज की कीमत मुकर्रर कर सकता है। व्यापारियों को वह वाजिब मुनाफा दिला सकता है। लेकिन इस सरकार ने तो केवल डिक्लेयर्ड स्टाक के नाम पर मुनाफाखोरों को मुनाफाखोरी के लिये खुली छूट दे रखी है। यह सरकार डी. आई. आर. के तहत कीमतें मुकर्रर नहीं करती। जो अनाज यहां पैदा होता है, भारत सरकार आपको देती नहीं, आठ किलो से आपने चार किलो ही प्रत्येक व्यक्ति के लिये कर दिया, आपका यह जो अनाज है उसको बाहर तो न जाने दें और

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
यहां पर उसको लोगों में बंटवायें। लेकिन आप उसको तो बाहर जाने देने की खुली छूट देते हैं। इस तरह से आप जानबूझ कर रिएक्शनरी कोर्सेज को बढ़ावा दे रहे हैं जो कि देश को दक्षिण पंथ की तरफ ले जाना चाहती है। अध्यक्ष महोदय, आपको राजस्थान की इस मंहगाई की समस्या को देखते हुए इस एडजोर्नमेन्ट मोशन को एडमिट करना चाहिये था। आप पुनः इस पर विचार करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष : श्री लोढ़ा !

श्री **गुमानमल लोढ़ा** (जोधपुर) : अध्यक्ष महोदय, आपके सम्मुख यह निवेदन किया कि छः महीने की लम्बी अवधि के बाद राजस्थान की ढ़ाई करोड़ जनता इस बात के लिये आतुर थी, अभाव के कारण परेशान हो कर यह आशा लगाये बैठी थी कि राजस्थान की विधान सभा 3 तारीख को प्रातः काल राजस्थान की ढ़ाई करोड़ जनता के भाग्य का फैसला करने वाली है, रोजमर्रा की चीजों की जो तकलीफात हो रही हैं उस पर विचार करेगी, गेहूँ, दूध, शक्कर, चावल और केरोसीन की समस्या बनी हुई है, कोयले और सीमेन्ट का जो अभाव बना हुआ है उस पर विचार करेगी। लेकिन कुछ नहीं हुआ, जब कि आवश्यकता तो इस बात की थी कि जैसा केन्द्र में किया गया उसी प्रकार विधान सभा शुरू होते ही पहले दिन ही सरकार सब काम काज छोड़ कर जिस चीज से जनता का रोजमर्रा का लगाव है, जिस चीज से सम्बन्ध है, हर व्यक्ति के पेट के साथ में, उसके जीवन के साथ में जिन चीजों का सम्बन्ध है उनके अभाव को दूर करने के लिये, उसका हल निकालने के लिये प्रयास करती कि किस प्रकार से राजस्थान की ढ़ाई करोड़ जनता मंहगाई के चुंगुल से निकल सकती है।

लेकिन सरकार ने इस प्रश्न को महत्व नहीं दिया, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। देती भी नहीं क्योंकि वह जानती है कि देश में अनाज के राष्ट्रीयकरण से असंतोष है। डिस्ट्रीब्यूशन का कोई सिस्टम बनाया नहीं और कुछ उग्रपंथियों के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये इसको मान लिया, इस देश में जिनका ईको इन्ट्रेस्ट नहीं उनके दबाव में आकर जनता को गुमराह करने के लिये राष्ट्रीयकरण का नारा लगाया। आज स्थिति क्या है ? मैंने स्थगन प्रस्ताव रखा। जोधपुर में खाद्यान्न केन्द्रों पर सरकार की ओर से तीन किलो धान दिया जाता है। बाजार में गेहूँ मिलता नहीं। खाद्यान्न व्यापारी के पास लाइसेन्स है। सरकार ने कोशिश की। लेकिन गेहूँ नहीं। गायब। 200 रुपया क्विन्टल के भाव से वह चोरी छिपे बिकता है। लोग लुकछिप कर ले जाते हैं बड़ी परेशानी से। आज इस प्रकार चीजों की मांगों को लेकर राजस्थान की 2½ करोड़ जनता त्राहि त्राहि कर रही है। चीतकार कर रही है। वह अपेक्षा करती है कि इस पर विचार किया जाय। कहा यह गया कि राज्य सरकार की ओर से वक्तव्य होगा। क्या कारण है कि आज मंत्री महोदय इस पर वक्तव्य देने के लिए तैयार नहीं हैं ? जोधपुर में घेराव किया गया पूरा अनाज देने के लिये।

श्री अध्यक्ष : मैं थोड़ा क्लीयर कर दूं। फिर आप कहें।

मुझे इतना ही निवेदन करना था कि माननीय सदस्यों के जो जजबात हैं और जो

(श्री अध्यक्ष)

भावनायें हैं उनकी मुझे जानकारी है। ऐसा नहीं है कि मुझे जानकारी नहीं है। जानकारी है। जो जनरल समस्यायें हैं उनके प्रति सद्भावना है। जो तकलीफ़ात हैं उनका भी मुझे अहसास है। मैं तो यही चाहता था कि किस समय इस प्रश्न को रखा जाय। तीन मुद्दे हैं। अनाज की समस्या को लेकर एडजोर्नमेन्ट मोशन हैं, बाढ़ की समस्या को लेकर और मास स्केल पर जो शिक्षकों के ट्रान्सफर्स किये गये हैं उनके विषय में है। जिन जिन पर अलग अलग स्टेटमेन्ट के लिये है उनके लिये मैंने कहा है।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने इन सब बातों को नजर अन्दाज नहीं किया है किन्तु सिर्फ यही निवेदन किया है कि इस सम्बन्ध में सारे नियम हैं। जितने दिन हम यहां बैठें उनका अधिक से अधिक उपयोग हो, ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाया जा सके। इस सम्बन्ध में इन विषयों पर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी से बात करके किस समय ये मुद्दे लिये जांय वह समय निर्धारित कर लिया जावे। जो इम्पोर्टेन्ट विषय हैं उन पर चर्चा करेंगे। सिर्फ इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि दोहराने से कोई फायदा नहीं है। एडजोर्नमेन्ट मोशन के समय भी तकरीरें हों और दुबारा समय जो निर्धारित हो तो फिर तकरीरें हों। इस समय क्या करना है यह मैंने सिर्फ इस ओर ध्यान आकर्षित किया है।

श्री हरिदेव जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी राय से पूर्णतया सहमत हूं। अध्यक्ष महोदय ने जो निर्देश दिया है उसके बारे में कहीं कोई ऐतराज नहीं है। कोई भी समय तय कर दीजिये। उसमें गवर्नमेन्ट जो भी माननीय सदस्यों के सुझाव हैं उनको देखेगी और गवर्नमेन्ट को यह ओपोर्चुनिटी होगी कि वह अपनी बात भी रख सके। अभी माननीय सदस्य जो कुछ कहेंगे उनका जबाव तो हो नहीं सकता सिवाय सुनने के। गवर्नमेन्ट इन्कार करती तब तो ओपोर्चुनिटी थी और प्रेस करते। गवर्नमेन्ट को कहीं कोई ऐतराज नहीं है। आज यह चर्चा हो रही है उसको तो यहीं समाप्त किया जाय और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी मिल रही है उसमें इसके लिए समय तय कर दिया जाय।

श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) : ऑन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि आसन से जो व्यवस्था दी गई है उसको रिव्यू करने का प्रश्न सदन के सामने है।

मेरा यह निवेदन है कि आसन ने जो वक्तव्य दिया वह तो ठीक है। पर यह महंगाई का प्रश्न इससे बिलकुल भिन्न है। जैसे रामानन्द जी ने कहा, आप अभी विदेश से लौटे हैं, यहां की परिस्थिति इस बीच जिस तेजी से बदली है उससे सम्भव है आप इतने जल्दी परिचित न हो पाये हों। मैं उससे अवगत कराना चाहूंगा कि मैसूर में इसी प्रश्न को लेकर फूड रॉयट में कई आदमी मारे गये हैं। कई दिनों से वहां ये रॉयट चल रहे हैं। एक आदमी के मरने की खबर आज और आई है।

श्री अध्यक्ष : यह तो कल के अखबारों में भी आ चुका था।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आदमी की रीढ़ की हड्डी, आम जनता की रीढ़ की हड्डी तोड़ने में इस महंगाई ने कसर नहीं रखी है। इस सन्दर्भ में डिस्टिंक्शन आप की

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

रूलिंग में है और उसी सन्दर्भ में आपने वक्तव्य दिया है। मैं उप नेता से कहूंगा कि यह महंगाई जिस रूप में हमारे सामने आई है उसमें लिबरल एटीट्यूट से काम नहीं चलेगा, वक्तव्य देने और डिबेट से ही इसका समाप्त नहीं होने वाला है। फिर भी लिबरल से लिबरल एटीट्यूट लेकर भी मैं इतना ही अर्ज करना चाहता हूं कि इसको आप फुल डिबेट दीजिये।

इसी तरह से फ्लड के सम्बन्ध में भी है। बड़ा दर्दनाक प्रश्न है यह। इस पर तो स्वयं सरकार को आगे होकर डिबेट का अवसर देना चाहिये।

श्री हरिदेव जोशी : सरकार को कोई ऐतराज नहीं है। मेरा निवेदन तो मात्र इतना है कि सबजेक्ट कमेटी आज मीट कर रही है तीन बजे। उसमें समय और तिथि निर्धारित हो जाय तो आसानी रहेगी।

श्री निरंजननाथ आचार्य : इन अहम प्रश्नों को देखते हुए हम तो यह चाहते हैं कि ये स्थगित प्रश्न स्वीकार किये जायं।

श्री हरिदेव जोशी : जो प्रश्न हैं उनकी गम्भीरता को सरकार भी स्वीकार करती है। मेरा निवेदन तो सिर्फ इतना है कि सबजेक्ट कमेटी की मीटिंग होने जा रही है तो यह सभी उसमें तय कर लिया जावे।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : अध्यक्ष महोदय, महंगाई का एक ऐसा प्रश्न है आज कि जिस पर एडजोर्नमेन्ट मोशन आवे चाहे न आवे स्वयं सरकार की तरफ से एक दो दिन के लिए पूरी डिबेट का अवसर दिया जाना चाहिए। Such an important matter यह आज हो गया है। सरकार को किसी एडजोर्नमेन्ट मोशन का इन्तजार नहीं करना चाहिये।

श्री हरिदेव जोशी : You excuse me, मुझे इसमें भी ऐतराज नहीं है। सरकार यह भी नहीं चाहती कि कोई सदन को एक घंटे अथवा दो घंटे के घेरे में बांधा जाय। आप हम तीन बजे मिल रहे हैं वहां समय और तिथि निर्धारित कर लेंगे। I conceed everything. फिर क्या रह जाता है ?

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : अगर ऐसा है तो मेरा सुझाव है कि सदन को थोड़ी देर के लिये स्थगित कर दिया जाय और इस बीच एडवाइजरी कमेटी बजाय तीन बजे मीट करने के अभी मीट कर ले और इस मसले को तय कर ले।

श्री हरिदेव जोशी : इसको मैं स्वीकार नहीं करूंगा।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : इस बहस के बारे में पहले तय कर लिया जाय, यह मेरा सुझाव है।

श्री हरिदेव जोशी : यह बिलकुल ठीक है, इसके बारे में विचार किया जावेगा। अब सदन इस पर आज विचार करे, कब करे इस बारे में मीटिंग में निर्णय कर लिया जाय। यह मेरा कहना है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : इस पर निश्चित् बहस होनी चाहिये, इस बारे में कोई दो राय नहीं हो सकती, आप भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं। आज परिस्थिति विकट है। राजस्थान में हम जहां कहीं जाते हैं, जनता कहती है, हमने तुमको चुनकर भेजा है इस

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

महंगाई के बारे में तुम क्या कर रहे हो ? गेहूं, अनाज नहीं मिलता, मिलता है तो बहुत ऊंचे भावों पर ब्लैक में, सरकार राशन में देने में बिलकुल पंगु साबित हुई है। जो थोड़ा बहुत देती है वह ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं है। बाजार से अनाज गायब, सीमेन्ट गायब, घासलेट तेल गायब, कोई चीज उपलब्ध नहीं है। आप चुप्पी लगाकर कैसे बैठे हैं ? एयरकण्डीशन्ड कमरों में बैठकर, विधान सभा में गप्पें मार कर मौज कर रहे हैं, और जनता त्राहि त्राहि कर रही है।

अध्यक्ष महोदय, जनता को इन प्रश्नों का हम क्या उत्तर दें ? हम जनता के कठघरे में खड़े हो गये हैं। जनता के इन दर्दभरे प्रश्नों का हमारे पास कोई उत्तर नहीं है। एक छोटा सा बालक सुबह से लेकर शाम तक क्यू में लगता है तब भी उसे घासतेल या अनाज मिल ही जावेगा, इसकी भी गारन्टी नहीं। दूध नहीं मिलता। दूध के लिये त्राहि-त्राहि मची हुई है। सरकारी डेयरी का दूध बड़ों बड़ों के घरों में चला जाता है। बाकी बच्चे दूध दूध चिल्लाते रहते हैं। तो हम इसका क्या जवाब दें उनको ? आप ही बताइये। कोयला नहीं, चावल नहीं, किसी प्रकार की कोई चीज नहीं।

आपने राष्ट्रीयकरण किया। यह कोई जादू नहीं है। यह फेल हो गया है आपकी ही गलत नीतियों के कारण, इसे आपको स्वीकार करना चाहिये और सरकार को स्वीकार करना चाहिये। आप 2½ करोड़ जनता को दो जून रोटी नहीं दे सकें, दो टाइम का खाना नहीं दे सकें तो आपको ईमानदारी से स्वीकार कर लेना चाहिये कि राष्ट्रीयकरण की आपकी पॉलिसी फेल हो गई। फिर राष्ट्रीयकरण कोई जादू का डंडा तो नहीं था जिसके छूने से सारे संकट दूर हो जाते। रूस आज अमेरिका से गेहूं खरीद रहा है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : यह सब तो जमाखोरों की वजह से हुआ है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : इन जमाखोरों की शकल में इनकी जेबों में आप ही लोग तो बैठे हुए हैं। कहते किसे हैं ? आपका शासन है। आप इन्हें फांसी लगाइये न, हिम्मत हो आप में तो। आपको रोका किसने। कानून आपके पास है। सत्ता आपके पास है। आप इसमें विफल हुए हैं। इसे स्वीकार करके जनता के सामने आपको आना चाहिये।

तो, अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि इस पर आज ही विचार किया जाना चाहिये। मैं एक उदाहरण दूंगा कि आपकी पॉलिसी को आप ही के चन्द स्वार्थी लोग व्यापारियों से मिलकर किस तरह से फेल कर देते हैं और जनता के साथ किस तरह से दुश्मनी करते हैं, उसे किस तरह से भुखमरी, महंगाई के मुंह में धकेल रहे हैं। जोधपुर में एक प्राइस स्ट्रक्चर कमेटी बनी। सबने मिलकर तय किया कि अमुक रेट पर अमुक खाद्यान्न बेचा जावेगा, चना 140 पर बेचा जावेगा। व्यापारियों ने यह सब लिखकर दिया। पर इसके बाद ही मन्त्रिमण्डल से आदेश आया, आपके ही लोगों ने आज्ञा भेज दी, राज्य प्रशासन की ओर से हुक्म निकला कि बीस परसेन्ट लेवी देकर व्यापारी चने को राज्य से बाहर भेज सकता है। यह छूट सरकार ने इन्हीं जमाखोरों को दे दी कि जो चना थोड़ा बहुत सस्ता बिक रहा था, जो एक आशा की किरण बची रह गई थी जनता के सामने वह भी जाती रही। यह जनता के

(श्री गुमानमल लोढ़ा)
साथ विश्वासघात किसने किया ? 35 हजार में दस लाख का घोटाला हो गया। यह कौन कर रहा है ? 140 में जो चना आसानी से लोगों को मिल रहा था वह आज 150 और 200 में भी नसीब नहीं है लोगों को। बाजार में दिखता ही नहीं। सारा ब्लैक में चला गया।

अध्यक्ष महोदय, इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इस महंगाई और सरकारी भ्रष्टाचार के प्रश्न को टॉप प्रायोरिटी दी जावे। आज ही विचार इस पर किया जावे। आखिर स्थगन प्रस्ताव के नियम भी बनाये गये हैं काम में आने के लिये। इनका भी प्रावधान रखा गया है। क्या यह प्रावधान मन्जूर नहीं करने के लिये ही बनाया गया है। क्या ये प्रावधान मरे हुए मुर्दे की तरह नियम की किताबों में पड़े रहने के लिये ही बनाये गये हैं ? क्या बनाने के साथ ही किताबों की कब्र में दफन कर दिये गये हैं ? क्या हम इन नियमों की इस लाश को लिये हुए ही घूमते रहेंगे ? 2½ करोड़ जनता इस लाश को लिये हुए आज के इस संकट काल में भी घूमती रहेगी ? रूल्स की किताबों में यह प्रावधान मरा पड़ा रहेगा ? कब यह काम आवेगा ? अगर आज भी इस भयंकर परिस्थिति में भी काम नहीं आ सकता तो फिर इसकी क्या अहमियत रह गई ? आज से बढ़कर कोई अवसर इसके लिये नहीं आ सकता। इस सब पर विचार करके आप निर्णय दें।

दूसरा मेरा स्थगन प्रस्ताव राजस्थान के अध्यापकों के सामूहिक स्थानान्तरणों के सम्बन्ध में है। आज इनको छांट छांट कर पचास-पचास और सौ-सौ मील दूर फेंक दिया गया है।

(शोरगुल-अश्रव्य)

यह विक्टीमाइजेशन है और इसके लिए सरकार दोषी है।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीया (बूंदी) : इस स्थगन प्रस्ताव के अन्तर्गत यह मुद्दा डिसकस नहीं हो सकता।

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह सब बदले की भावना से किया गया है। इन लोगों ने कर्मचारियों की हड़ताल में प्रमुख रूप से चूंकि भाग लिया था और चूंकि यह आवाज बुलन्द की थी कि हमारे महंगाई भत्ते में आज की कमरतोड़ महंगाई को देखते हुए वृद्धि की जाय इसका बदला इनसे लिया गया है इनको दूर दूर फेंक कर।

यह झूठा बहाना बनाया गया है कि दस-दस सालों से जो बैठे हैं उनको बदला गया है। इसमें भी जो गद्दार थे, जिन्होंने हड़ताल के वक्त सरकार का साथ दिया, अपने साथी कर्मचारियों के साथ जिन्होंने गद्दारी की, जो जयसिंह और मीर जाफर की कैटेगरी में बैठे थे उनको कहीं नहीं भेजा गया चाहे वे दस साल से क्या बीस साल से एक जगह बैठे रहे हों। उनको इनाम दिये गए। इतना ही नहीं, 23 का नाम काट दिया गया। क्यों काट दिये गए उनके नाम ? महंगाई भत्ते की केवल उनकी बात थी। आज के जनतन्त्र के युग में यह कौनसा अपराध है ? फिर हंसी आती है सरकार के इस कथन पर कि वह तो पहले से तय कर चुकी थी महंगाई देने की बात, फाइल में पहले से फैसला कर लिया था।

Page No 61

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

पर कर्मचारियों ने क्योंकि हड़ताल का फैसला कर लिया था इसलिए हमने घोषणा नहीं की। कितना बड़ा मखौल है यह ?

आज उनका अवार्ड बन्द कर दिया गया है। विक्टिमाइजेशन किया जा रहा है। कई उदाहरण हैं, मेरे पास लिस्ट है। यह विक्टिमाइजेशन बन्द होना चाहिये। हम समाजवाद की बात करें, लोकतन्त्र की दुहाई दें। कहते हैं भारत सबसे बड़ा लोकतन्त्र देश है। यह लोकतन्त्र की हत्या नहीं है तो क्या है ? अध्यक्ष महोदय, इस पर आज विचार किया जाय। ऐसे मास ट्रान्सफर्स को रोका जाय। यह तीन सौ का प्रश्न है, कइयों का प्रश्न है। दूसरे राज्य में अभाव की स्थिति चल रही है। सरकार अनाज का कोटा कम कर रही है...

(समय-समाप्ति-सूचक-घन्टी)

मैं निवेदन करूंगा कि जब रूल्स के अन्दर प्रावधान किया गया है तो इन पर विचार किया जाना चाहिए। मैं प्रार्थना करूंगा और आपका आभारी होऊंगा यदि इस पर आज स्टेटमेंट आये। सूखा पड़ जाय और बाद में बरसात हो तो उससे कोई लाभ नहीं है। हम यहां चिल्ला रहे हैं, हम जनता के साथ विश्वासघात नहीं कर सकते हैं। मैं प्रार्थना करूंगा इस पर आज ही विचार किया जाय।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : अध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनिट का समय लूंगा केवल।

श्री अध्यक्ष : आपकी तरफ से काफी कहा जा चुका है। आप कृपा करके, दो मिनिट.......

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : दो, मिनिट, दो मिनिट ही होंगे। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि जिस प्रकार की स्थिति चल रही है.......

श्री अध्यक्ष : इनसे अलग कहने की कोई बात है क्या ?

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : अलग, नहीं है, एक अर्ज करनी है और यह अर्ज उस समय तक करता रहूंगा जब तक आप नहीं सुनेंगे प्रश्न आज किसी भी और ऐजेन्डे का नहीं है। किसी भी माननीय सदस्य, जो कि इस गंभीर स्थिति से चिन्तित है, उसका कहने से मन नहीं भरता और इसलिये चाहे इतिहास में यह पहली बार है, आपको एडजोर्नमेंट मोशन स्वीकार करना पड़ेगा। हम जब तक अपनी बात रखते जायगें जब तक आप एडजोर्नमेंट मोशन को स्वीकार नहीं करेंगे। केवल तीन सौ का प्रश्न नहीं है। आज लाखों एकड़ भूमि पर वर्षा हुई है लेकिन सरकार की नीति ने गेहूं, चना, जौ के बीज इतने मंहगे कर दिये हैं, यह मैं दावे के साथ कहता हूं कि यह धरती मांग कर रही है लेकिन आज सरकार की नीति के कारण फसल नही बुआई जा रही है

(समय-समाप्ति-सूचक-घन्टी)

आज आप लोग बड़े बड़े भू-पतियों को मनमानी कीमतों पर बेचने की छूट दे रहे हैं। इस राज्य के खाद्य मन्त्री, जमाखोरों को यह कहें कि मनमानी कीमतों पर अनाज दो। ऐसे मन्त्री को राज्य में नहीं रखा जा सकता है। उनको इस्तिफा देना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, मैं इतनी बात और कहूंगा, इधर के माननीय सदस्यों ने कहा, अनाज का राष्ट्रीयकरण फेल हो गया।

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

अनाज का राष्ट्रीयकरण फेल हुआ नहीं है फेल किया गया है। इस सरकार में बैठे हुये लोगों ने अनाज के राष्ट्रीयकरण को फेल किया है। मन्त्री महोदय की नीतियों ने फेल किया है और फेल करने का कारण है, प्रतिक्रियावादी लोगों, दक्षिण पंथी लोगों के साथ मिलकर इस राष्ट्रीयकरण को फेल किया है।

एक तरफ कांग्रेस के प्रधान श्रीमान् गिरधारीलाल जी व्यास ने इस राज्य के बहुत से जमाखोरों को इस मंहगाई के खिलाफ ......

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें। आपकी बारी आयेगी तब कह लेना।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : इस राज्य में बैठे हुये मन्त्री लोग इस राष्ट्रीयकरण का जनाजा निकाल रहे हैं। ये दोनों काम इस कांग्रेस की बेन्चेज में बैठकर किये हैं और इस देश कि जनता को धोखा दिया है। अध्यक्ष महोदय, अभी मेरा इरादा इतने कहने पर ही समाप्त नहीं हुआ है....

श्री मीठालाल (दौसा) : इनका इरादा समाप्त नहीं हुआ है। अभी तो सरकार चावल का और इरादा रख रही है....

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : मैं एक बात पूछना चाहूंगा, माननीय मन्त्री महोदय, से कि आपने गरीब भाइयों में कितना वितरण किया ? जयपुर के नौजवान, जयपुर के स्टूडेन्ट्स फैडरेशन ने 500 क्विन्टल अनाज बरामद किया है। आपने क्या किया है ? गंगानगर में 500 क्विन्टल अनाज स्टूडेन्ट्स फैडरेशन ने जाकर गरीब लोगों में बाटा। भूतपूर्व मन्त्रियों की सलाह से आपने मोरी करवा दी। मैं पूछना चाहूंगा कि खाद्य की कीमतों पर कन्ट्रोल करने के लिये क्या स्टेप्स आपने लिए हैं, कौनसे कारगर कदम आपने इस सम्बन्ध में उठाये हैं, कितने जखीरेबाजों को आपने पकड़ा है, कितने जमाखोरों को आपने पकड़ा है ?

एक घोषणा कर दी, उसके बाद प्रोक्योरमैंट का सवाल नहीं दूसरे धनी किसान गरीब जनता को लूट करते रहें, जमाखोर आपके सामने जनता को लूटते रहें और आपके सामने ही ये प्रतिक्रियावादी लोग यह कहने की जुर्रत कर रहें है यह आखिरी मौका दिया है इन प्रतिक्रियावादी लोगों को, दक्षिण पंथी लोगों को, इन जमाखोरों को जो आज आपके दोस्त हैं। आज आपकी सरकार में बैठे हुये लोगों ने कोई छापे नहीं मारे हैं, अगर गोदामों पर छापे मारे हैं तो जनता ने मारे हैं, गरीबों ने मारे हैं, सारे देश ने मारे हैं। न आपके राज्य ने कोई छापा मारा है और न कोई जरूरत को चीजों को मुक्त कराने की कोशिश की है। जमाखोर और जखीरेबाजों को पूरी तरह शह दी गई है...

श्री अध्यक्ष : कृपया अब आप बैठें।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : अध्यक्ष महोदय, मैं अन्त में दो शब्द कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा।

श्री अध्यक्ष : मैं चाहता था दो शब्द में ही कह लेते।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : अब तो केवल दो शब्द इतने ही है। आज कीमतों की वजह से जनता भूखों मर रही है और आज अनाज के प्रति इस मंत्रालय में जो नीतियां

Page No 63

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

चल रही हैं उसके कारण बहुत गंभीर संकट पैदा हो गया है। जहां आज बम्फर क्राप की बात कर रहे हैं और ऐसे आदेश जारी किये जाते है कि दो क्विन्टल गेहूं दे दो तो एक कट्टा खाद का ले लो। कलेक्टर को कह रखा है किसान को खाद तभी दो जब वह दो क्विन्टल गेहूं देदें। मैं पूछना चाहता हूं इस समय मार्जिनल किसान, गरीब किसान, खेतीहर मजदूर क्या दो क्विन्टल गेहूं निकाल सकता है ? अगर कोई दे सकता तो वह आपके भाई-बन्ध ही दे सकते हैं, बड़े बड़े भू-पति दे सकते हैं। आज आप खाद भी इस आधार पर देना चाहते हैं। आज गंगानगर में एक हजार क्विन्टल पकड़ा हुआ है और उस एक हजार को मुक्त करके गरीब लोगों ने आपको, बांटने के लिए मजबूर कर दिया है।

(समय-समाप्ति-सूचक-अनवरत-घण्टी)

अन्त में मैं कहूंगा आज हमारी पार्टी और दूसरे लोग इस संघर्ष को छोड़ने वाले नहीं है। मार्शल को कह दीजिये वह मालिश करके तैयार हो जाय या फिर इस एडजोर्नमेंट को स्वीकार किया जाय।

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं ...

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष : पहले इनको बोलने दीजिये

श्री भानुकुमार शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, आज यह चाहूंगा अनाज का वितरण और राष्ट्रीयकरण ...

श्री अध्यक्ष : आप भी थोड़े में फरमायें।

श्री भानुकुमार शास्त्री : मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। लेकिन आज वास्तव में किसी समस्या को लेकर अधिक समय देना चाहते हैं, इसमें सरकार ने अपने उत्तरदायित्व को न निभा कर उस चीज को साइड ट्रेक कर दिया है क्योंकि सरकार को चिन्ता नहीं है। उनके घर में अनाज है, लाइन में खड़े होना नहीं पड़ता है लेकिन राष्ट्रीयकरण की बात कहने वाले, साम्यवादी विचारधारा रखने वाले दूसरों को प्रतिक्रियावादी कहने वाले और स्वयं को लेफ्टिस्ट कहने वाले जो हैं, Leftists are those who have left all considerations of the Nation. लेफ्टिस्ट कौन हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा....

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : और अमेरिका का चिन्तन शुरू कर दिया गया है।

(दोनों माननीय सदस्यों के बराबर साथ बोलते रहने से अश्रव्य)

श्री भानुकुमार शास्त्री : सुनिये तो सही

(व्यवधान-अश्रव्य)

मेरी बात सुनिये तो सही...

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : माननीय गुमान मल जी से कहूंगा चने को मत रखना...

(शोरगुल-अश्रव्य)

श्री हरिदेव जोशी : पॉइन्ट ऑफ़ ऑर्डर, प्लीज।

(व्यवस्था सूचक घण्टी)

(श्री हरिदेव जोशी)
पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर आ गया है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : झूंठ बोलकर गुनाह की नोवत....(अश्रव्य)

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : (अश्रव्य) यहां पर शहादत की बात करते हैं।

श्री हरिदेव जोशी : पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर सर। अध्यक्ष महोदय, बहस न जाने कहां से कहां पहुंच गई। मैं सदन से और विशेषकर माननीय सदस्य, जो बोलना चाहते हैं उनसे नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर लें.......

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अभी बहस तो कई मन्जिलें पार करेगी।

श्री हरिदेव जोशी : अभी दो बज गये हैं और 3 बजे हम मिल ही रहे हैं, आप जो भी समय तय करेंगे गवर्नमेन्ट को उसमें ऐतराज नहीं होगा। जितना समय आप चाहते हैं उतना दीजिए, चर्चा कीजिए, बात कीजिये। इस समय यह अवसर नहीं है कि हम लोग कुछ भी बात कर सकें अथवा दवाव दे सकें। यह भी अप्रासंगिक बात है कि राष्ट्रीयकरण फेल हो गया, यह भी अप्रासंगिक बात है कि लेफ्टिस्ट कौन है, और कौन नहीं है, राइटिस्ट यह कर रहे हैं और यह नहीं कर रहे है.......

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय के अधिकारों की बातें आप कह रहे हैं।

श्री हरिदेव जोशी : मेरा निवेदन यह है कि अध्यक्ष महोदय और मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया जाये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, निवेदन यह है कि आसन का जो सम्मान है वह हम हमेशा करते आये हैं या जो गवर्नमेन्ट दल है उसके साथ हम हमेशा एडजस्टमेन्ट करते आये हैं। मैं समझता हूं कि गवर्नमेन्ट को भी और आसन को भी जनता की भावनाओं का आदर करना चाहिए।

आज हमारे सामने अगर हम यह एक्सेप्ट कर लेते हैं इस इश्यू के अलावा कोई दूसरा महत्त्वपूर्ण इससे प्रायोरिटी देने वाला इश्यू है तो मैं उनसे डिफर करता हूं स्थिति के मूल्यांकन के बारे में। हम इसलिए यह नहीं कहना चाहते हैं कि हम कोई रोडा अटकाना चाहते हैं। इनसिस्ट इसलिए करना चाहते हैं, हम यह महसूस करते हैं कि यह सदन जो कि छः महिने के बाद समय समाप्त होने वाला था उसके बाद मिल रहा है, तब ही हमको यह मौका मिल रहा है।

आज जनता की जो सबसे ज्वलन्त समस्या है उसको पहले पहल डिसकस करायें। जो अमेण्डमेन्ट है उसको फिर कभी डिसकस कर लेंगे--उससे आसमान नहीं गिर जायेगा, दूसरे मामले हैं उनको 5 दिन के बाद डिसकस कर लेंगे तो कोई आसमान नहीं गिर जायेगा। प्रश्न यह है कि यह समस्या है, छः महीने इस सदन को नहीं बुलाकर आप इसको फेस नहीं करना चाहते थे और आज भी इसको टालना चाहते हैं, आज भी मजाक में उड़ाना चाहते हैं, इसके लिए तैयार होकर नहीं आते हैं और हमको इस तरह से कहना चाहते हैं कि जैसे हम एडजस्टमेन्ट नहीं करना चाहते हैं, आप इसको महसूस करें, अपने वर्कर्स से पूछें

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

जो कि कस्बों में रहते हैं, जहां रेलियां निकली हैं क्या भावना है जनता की, क्या वह महसूस करते हैं और क्या वह उम्मीद कर रहे होंगे कि यह विधान सभा छः महीने के बाद आई है यह हमारे जीवन के बारे में क्या फैसला करती है।

तो मैं यह कहना चाहूंगा सदन के माननीय उप-नेता महोदय से कि इसको प्रेस्टिज इश्यू नहीं बनाकर जैसा हमारे दल के उप-नेता महोदय ने कहा कि अभी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग बुला लीजिए और 15 मिनट के लिए हाउस एडजोर्न हो जायेगा और फिर बिजनेस को तय कर लें और उसमें तय करें कि इस एडजोर्नमेन्ट मोशन को मन्जूर किया जा सके, इसके ऊपर बहस शुरू की जाये। वहस आज चले, 8 तारीख को भी चले और यदि जरूरत पड़े तो 9 को भी चले। इसलिए भी चले कि हर माननीय सदस्य इस बारे में कुछ न कुछ कहना चाहते हैं। उनकी अपने इलाके की समस्यायें हैं।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप बार बार घन्टी बजाते हैं। आप हमें जेलों में पकड़-पकड़ कर ले गये। हम तैयार होकर आये हैं आप हमको इनसे निकलवा दीजिए। इसलिए हम घन्टी की परवाह नहीं करना चाहते हैं। आपने हमें जेलों में डाला है, हमने लाठियां खाई हैं। आपने जखीरेबाजों के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाये हैं। इस तरह से घन्टी की बात कह कर और इस तरह से समझाकर आप हमको दबाना चाहेंगे तो हम नहीं दबेंगे। इसके ऊपर डिबेट आपको करनी होगी। यदि हमको मार्शल निकालेंगे तो हम हाउस को नहीं चलने देंगे।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : अध्यक्ष महोदय, मैंने सुझाव रखा था कि आप 15 मिनट के लिए हाउस को एडजोर्न कर दें जिससे मालूम हो जाये कि डिबेट कब शुरू हो।

श्री रामानन्द अग्रवाल : No business will be transacted unless this point is debated.

श्री भानुकुमार शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, स्थिति बहुत गम्भीर है और केवल हम इस बात को लेकर चलें कि अनाज लाइनों में लगकर लेना पड़ता है या हम सवेरे से शाम तक केरोसिन, घासलेट या पेट्रोल की लाइन में खड़े रहें, लेकिन समस्या यह है कि आज छः किलो अनाज भी नहीं देते हैं। इसके साथ ही साथ कई गांवों में, शहरों को छोड़ दीजिए, गेहूं की शकल तक नहीं देखी जा सकती। आज सैकड़ों गांवों में लोगों को अनाज नहीं मिलता। पहले अकाल था और अब अतिवृष्टि है और सरकार की अव्यवस्था इतनी है कि राशन की डिपो पर राशन नहीं है और सारी दुकानें खाली पड़ी हैं और गांव के लोग परेशान होकर बिना किसी वाहन के पहाड़ी क्षेत्रों से आकर राशन की डिपो पर आते हैं और फिर भी उनको राशन नहीं मिलता और हमारी सरकार जो राशन देती है वह ऐसा है कि जो गेहूं नहीं है, चावल नहीं है, माइलो नहीं है बल्कि मुर्गियों को चुगाने वाला धान दिया जा रहा है। आज हमारे इन्सान 25 वर्षों की आजादी के बाद उसको भी लेने के लिए लालायित होते हैं कि वह भी मिल जाये तो वह उदर की पूर्ति करें।

अध्यक्ष महोदय, मैं गोगुन्दा गांव में गया तो वहां देखा कि हजारों की कतार धान के लिए खड़ी हुई थी। तो यहां दुकानों के

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

ऊपर गेहूं नहीं, माइलो नहीं लेकिन ऐसी चीज थी कि जो मुर्गियों को खिलाने के लिए थी। वह मैं सदन में लाया हूं और वह मैं माननीय मन्त्री महोदय को देना चाहता हूं। यह देखिये माइलो है या चावल है या गेहूं है या क्या है ? जिसको आप इन्सान को खिलाते हैं या मुर्गियों को खिलाने के लिए देते हैं। गांव के लोगों को आप भूसा देते हैं, मिट्टी देते हैं, क्या इन्सान को मारने का सरकार का इरादा है ? मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि आप इसको देखिये यह भूसा मिट्टी से मिला हुआ जिसको कोई नाम नहीं दिया जा सकता कि यह क्या है और इसको आप इन्सानों को खिलाते हैं।

मैं यह कहता हूं कि सारे बिजनेस को बन्द करके आप पहले इसके ऊपर विचार करें कि इन्सान के लिए जो आवश्यक भोजन है वह सरकार नहीं दे सकती तो सरकार को सरकार की कुर्सी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। आज मंत्री महोदय कहते हैं कि हम डिबेट के लिए तैयार हैं। आज सदन के माननीय सदस्यों को पता नहीं कि हमारा सत्र कितने दिन चलने वाला है। आप अपने घरों में बैठे हुए हैं और जनता भूखें मरे। ऐसी परिस्थिति में आपको चाहिए कि हम इस पर डिबेट करलें, विचार करलें। इसका क्या परिणाम होगा। मैं अध्यक्ष महोदय को यह दिखाना चाहता हूं कि देखिये यह क्या वस्तु है। राशन की डिपो पर यह दिया जाता है।

(सदन की मेज पर एक थैली रखी गयी)

अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार आज 2½ करोड़ जनता के बीच में कठघरे में खड़ी होकर इसका जवाब दे। क्यों आज यह गेहूं के वितरण की ठीक व्यवस्था नहीं होने पर भी इस पर सदन में विचार करने के लिए तैयार नहीं है। हमने स्थगन प्रस्ताव रखा कि इसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए लेकिन सरकार तैयार नहीं है। मैं कहूंगा कि सबको बन्द करके इसके ऊपर विचार किया जाये और इसके ऊपर फुल डे डिबेट होनी चाहिए।

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष : पहले मन्त्री महोदय को सुन लें उसके बाद आप कह लें।

श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : मेरे दल की ओर से कहने का कोई भी अवसर नहीं मिला है।

श्री अध्यक्ष : आपने इस बात की मंशा ही जाहिर नहीं की है वरना तो कोई बात नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : बात यह है कि इनके लिए इस पर कुछ कहना बहुत संकटपूर्ण है।

(कई माननीय सदस्य बोलने लगे)

श्री लक्ष्मणसिंह : दो मिनिट के लिए बोलने दीजिए।

श्री पी. के. चौधरी : मैं तो यह सुझाव दे रहा था कि यह विषय बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम भी चाहते हैं कि इस पर डिबेट हो।

Page No 67

(श्री पी. के. चौधरी)
जैसा रामानन्द जी ने कहा है कि यह विषय इतना अरजेंसी का है कि इस पर आज ही डिस्कशन हो। अगर मन्त्री महोदय इसे एडजोर्नमेंट मोशन न मान कर डिस्कशन नहीं करना चाहते हैं तो बिजनेस एडवाइजरी की मीटिंग बुला लें। हाउस को पन्द्रह मिनिट के लिए एडजोर्न करके बिजनेस एडवाइजरी की मीटिंग बुला लें और इस पर आज ही डिस्कसन करलें। The issue is important and should be debated. प्रायोरिटी आप इस सब्जेक्ट को दीजिए।

आज आप कांस्टीट्यूशन अमेंडमेंट ला रहे हैं That is no so important. That is not so urgent. इसको अगर आज ही आप पास नहीं करेंगे तो भी यह पास हो जाएगा और अमल भी इस पर हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने तो इस पर काम भी शुरू कर दिया है। इसलिए मेरा सुझाव है कि इसको प्रेस्टिज इश्यू नहीं मान कर 15 मिनिट के लिए हाउस एडजोर्न करके मिल लें और इसको प्रायोरिटी देकर इसकी इम्पोर्टेन्स देखते हुए आज ही इसको ले लें।

श्री अध्यक्ष : बस करिए, आ गया है।

श्री मोहनलाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत आवश्यक है।

श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा तो इतना ही निवेदन करना है कि बहुत सारी बातें इस सदन के समक्ष रखी गई, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता। यह एडजोर्नमेन्ट ऑफ बिजनेस के योग्य यह मोशन है या नहीं इस पर आसन को ही निर्णय करना चाहिए। लेकिन आसन को सुझाव देने के लिए तो हर एक सदस्य का जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं निर्विवाद रूप से कहना चाहता हूं कि मेरे दस-बारह वर्ष के अनुभव के अन्दर कोई ऐसी जटिल समस्या इस सदन के समक्ष नहीं आई जो एडजोर्नमेन्ट ऑफ बिजनिस के योग्य हो।

आज का जो विषय है इसे सबसे पहले प्राथमिकता देकर इस एडजोर्नमेन्ट मोशन को एडमिशन के योग्य आसन के द्वारा करार दिया जाय, यही मेरा आपसे निवेदन है।

मैं यह और भी निवेदन करना चाहता हूं कि जब तीन बजे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी को बुलाते हैं तो कौनसी ऐसी सरकार की प्रतिष्ठा का प्रश्न हो जाता है कि तीन बजे ही बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग बुलावें। तीन बजे के बजाय दो बजे-सवा दो बजे भी बुला लीजिए तो बहुत सारी समस्यायें हल हो सकती हैं। इसमें कोई प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है।

मैं तो यह जरूर कहूंगा और पुरजोर शब्दों में कहूंगा कि यह एडजोर्नमेंट मोशन एडमिट होना चाहिए, एडमिट होने के योग्य है और जब सरकार की ओर से बिल्कुल टोटल अपना फेल्योर साफ सिद्ध हो गया है, सरकार जीवन की आवश्यकता की वस्तुओं पर काबू नहीं पा सकती तो मैं संक्षेप में यह कहूंगा, अध्यक्ष महोदय, कि अगर इसी तरह से यह मामला रहा तो फाकामस्ती रंग लायेगी। यह फाकामस्ती क्रांति पैदा करेगी, आपको यह सोचना चाहिए। एक तरफ उधर के पक्ष के लोग हैं और एक तरफ इधर के पक्ष के लोग हैं और सरकार बीच में बैठ कर किंकर्त्तव्यविमूढ़ हो जाए, सरकार यह सोचने लगे कि न तो यह गधा है, न घोड़ा है, न खच्चर गधा है। आपका जो कुछ भी निर्णय

(श्री लक्ष्मणसिंह)

हो, हमारा संविधान है, उस संविधान के अनुसार सरकार की जो कुछ भी लिमिटेशन हों, वह हैं। या तो सरकार हर एक घर के अन्दर सबकी खाना तलाशी ले और सबका जखीरा हस्तगत कर ले। अगर नहीं करना है तो सरकार की नीति के अन्दर आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए।

सरकार अगर राष्ट्रीयकरण करके होचपोच करे तो सरकार को कोई भी सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। सरकार ने गेहूं के राष्ट्रीयकरण पर पुनर्विचार किया है और अब गेहूं के राष्ट्रीयकरण के बाद चावल के राष्ट्रीयकरण के बारे में सोच रही है। सरकार की Once bitten twice shy की नीति को अपना कर विचार करना चाहिए। आपके पास बफर स्टॉक होना चाहिए ताकि ऐसी स्थिति न हो। आप उतनी दूरदर्शिता से सोचे बिना ऐसा मूर्खता का कदम उठाते हैं कि जिसके द्वारा आपको सफलता नहीं मिल सकती। या तो आप रूस की नीति अपनायें या जो भी डेमोक्रेसी के अन्दर व्यवस्था हो सकती है वह करिये....

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : या आप प्रतिक्रियावादी नीति अपनाइये।

श्री लक्ष्मणसिंह : आप जो कुछ भी कहना चाहें प्रतिकियावादी या और कुछ कह सकते हैं। लेकिन हम तो इस सिद्धान्त को मानते हैं कि अगर खाने पीने के लिए लोगों को आप आवश्यकता की वस्तुएं उपलब्ध करा सकते हैं तो मेरे खयाल में आप लोकप्रिय कल्याणकारी सरकार है। अगर आप जीवन की आवश्यक वस्तुएं जनता को उपलब्ध नहीं करा सकते और उसको परमिट और लाइसेंस की व्यवस्था के अन्दर ले जाते हैं और जिस चीज का आप कण्ट्रोल करते हैं वही गायब हो जाये, वही अण्डर ग्राउण्ड चली जाय, उसके अन्दर ब्लेक मार्केट हो तो फिर आखिर यह क्या है? आप सौ रुपया क्विन्टल गेहूं का भाव निर्धारित करें और वही 300-400 रुपया क्विन्टल में मिले तो यह क्या व्यवस्था है।

आज आपके शुगर के कोटाज हैं। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि 90 प्रतिशत शुगर के कोटे का ब्लेक हो रहा है। उसके ऊपर सरकार बिल्कुल मौन होकर बैठी हुई है। आखिर यह सरकार क्या है? यह सरकार मेरे खयाल में मुनाफाखोरों का जुट्ट है और अवसरवादी लोगों का यह गिरोह नहीं तो और क्या है? तो सरकार की नीति को स्पष्ट कराने के लिए हमको, विरोधी पक्ष को एडजोर्नमेंट मोशन लाने का अधिकार है। मैं आसन को पुरजोर शब्दों में निवेदन करूंगा कि इस Once bitten and twice shy. If there could have been ever any issue, for admission, it is this issue, it is this issue.

मैं इसके अलावा आपको विशेष और क्या निवेदन करूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे पुनः यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने कक्ष में बैठ करके विरोधी पक्ष से बात करिये ताकि यह समस्या और जटिल रूप धारण नहीं करें और इसका कोई न कोई हल निकल सके जिसके द्वारा सदन की कार्यवाही आगे बढ़ सके।

श्री गुरदयालसिंह संधु (करणपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस विषय में कुछ अर्ज करना चाहता हूं कि राजस्थान के किसान ने उस वक्त जबकि गेहूं का राष्ट्रीयकरण किया गया था बिल्कुल ईमानदारी से 76) रु. क्विन्टल में गेहूं सरकार को दे दिया और

(श्री गुरदयालसिंह संधु)
जिस समय वह गेहूँ सरकार के घर में पहुँच गया तो आज गांव वासियों को गेहूँ नहीं मिल रहा है। सरकार ने अब यह नीति बना ली है कि किसान राजस्थान में चाहे जहां चाहे जिस भाव में गेहूँ ले जाकर बेच सकता है और अब गेहूँ किसान के नाम से व्यापारी दूसरे क्षेत्रों में ले जाकर बेच रहे हैं।

मैं यह भी अर्ज करूंगा कि चने के सीजन में उस वक्त चना बन्द कर दिया गया राजस्थान से बाहर ले जाने के लिए और किसानों का चना बहुत सस्ते भाव पर बिका और जब चना किसान के यहां से चला गया तो सरकार ने चना खोल दिया और वही चना जो गंगानगर में सौ रुपये क्विन्टल के आस पास बिका था आज 160 और 170 रुपये क्विन्टल में बिक रहा है और बाहर भी जा रहा है और वहां के किसानों को बीज के लिए, गेहूँ और चना मिलना मुश्किल हो रहा है।

मैं यह भी अर्ज करूंगा कि सरकार की नीति थी और सरकार ने किसानों को यह कहा था कि हम राशन में चीजें देंगे लेकिन 80 प्रतिशत किसानों को, गांवों में बसने वाले लोगों को आज तक कोई भी चीज राशन की नहीं मिल पाई है। मेरे सामने गंगानगर का उदाहरण है। गंगानगर के अन्दर आज तक वेजिटेबल घी ग्रामवासियों को नहीं मिला। सिर्फ एक ग्राम में 19 कनस्तर मिले जो वहां के किसानों को नहीं दिए बल्कि वहां के वणियों के नाम पर 19 कनस्तर दिए गए और आज तक किसानों को एक तोला घी भी नहीं दिया गया।

जहां तक सीमेन्ट का सवाल है, जितनी सीमेन्ट गंगानगर में आती है उसका 40 पर्सेंट शहरों को देकर 30 पर्सेंट देहातों को दी जा रही है। खाद की हालत गंगानगर में यह है कि आज एक थैला 110/- रुपये में बिक रहा है। 220 रुपये क्विन्टल के हिसाब से यूरिया खाद बिक रही है। 110/- रुपये का एक थैला, जिसकी कीमत 50/- रुपये है, 60 रुपये अधिक में बिक रहा है। अगर पंजाब से खाद न आती तो मैं यह मानकर चलता हूँ कि कपास की फसल आज गंगानगर में खत्म हो गई होती फेल हो गई होती।

मैं यह अर्ज करना चाहूँगा कि मैं चूरू गया था। वहां पर मेरी पार्टी के आदमियों ने मुझे बताया कि वहां एक स्टोर में घी बंद पड़ा हुआ है। कलेक्टर चूरू को तारीख 28 को पत्र लिख कर भेजा गया कि इस स्टोर में घी बंद पड़ा है और उस पर पंजाब नेशनल बैंक की प्लेट नम्बर 6 लगी हुई है। उससे कहा गया कि इसकी तलाशी ली जी जाए। लेकिन कलेक्टर ने इन्कार कर दिया। 2-9-73 को खाद्य मंत्री को तार दिया गया कि यहां पर इस स्टोर की निगरानी रखी जा रही है। इसमें घी है परन्तु उस पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। कोई एक्शन नहीं लिया गया। तीन तारीख को एक तार एस. पी., कलेक्टर, और डी. एस. ओ. को दिया गया परन्तु फिर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। उस पर कोई छापा मारा नहीं गया। 5 कनस्तर घी के निकले जो कि पकड़े गये और आज तक वहां पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है और यह बतलाया गया है कि वहां पर स्टोर में कोई स्टाक नहीं था। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज करूंगा कि यह हालत चल रही है गांव वासियों की कि आज उनको अनाज नहीं मिल रहा है, राशन का

(श्री गुरदयालसिंह संधु)
उनके लिए कोई प्रबन्ध नहीं है। जितना कोटा खाद का मिल रहा है वह कुछ भी नहीं है। यह बताया गया है कि चार-चार बोरियों के हिसाब से खाद दी जा रही है परन्तु यह तो बहुत ही कम है। आज किसानों को खाद मिलने की कोई उम्मीद नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आप जल्दी समाप्त करें।

श्री गुरदयालसिंह सन्धु : आज वहां के किसानों ने 70 के भाव से अनाज बेच दिया और खाने के लिए उनको अनाज नहीं मिल रहा है। उनको बीस क्विन्टल से ज्यादा रखने की छूट नहीं है और जो आज छूट दी गई है वह बनिये को दी गई है। किसानों को इस छूट से कोई लाभ नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह एक जरूरी विषय है और इस विषय पर सरकार को ध्यान देना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : मेरी बात सुन लीजिए।

श्री विट्ठलभाई : अध्यक्ष महोदय, अकाल और बाढ़ के कारण हमारे जिले में भी भयंकर समस्या पैदा हो गई है……

श्री अध्यक्ष : मैंने माननीय सदस्यों की भावनाओं को समझा है। मैंने उनके विचार इस बढ़ती हुई मंहगाई के बारे में सुने हैं और इसका मुझे पहले ही आभास हो गया था और यही समझ कर और इस विषय के महत्त्व को देख कर, जो कि जन जीवन से सम्बन्धित है, सरकार को इसका स्पष्टीकरण स्टेटमेंट के जरिए देने के लिए कहा है। यहां पर माननीय सदस्यों ने यह बात उठायी है कि आज ही इस विषय पर चर्चा हो, एड-जोर्नमेंट के जरिए आज ही चर्चा हो, तो यह कोई अदालत नहीं है। विषय चूंकि कई हैं और गवर्नमेंट को स्टेटमेंट देने के लिए कह दिया है मंहगाई के बारे में भी है, स्ट्राइक का प्रश्न भी है और भी कुछ बातें हैं तो एक ही वक्त में इन सब विषयों को नहीं लिया जा सकता है। इसके लिए कोई व्यवस्था तय करनी होगी। पहले कौन सी बात को लें, किस विषय पर विचार करें तय करना पड़ेगा, एक ऑर्डर इसके लिए तय करना पड़ेगा फिर चाहें मंहगाई का विषय हो, अकाल का हो, बाढ़ का हो या चाहे स्ट्राइक का हो। इस पर सोच कर निर्णय लेना है। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बिजनेस एड-वाइजरी कमेटी की मीटिंग····

श्री हरिदेव जोशी : बीच में मैं निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, जहां तक गवर्नमेंट का सवाल है, गवर्नमेंट को कहीं कोई ऐतराज नहीं है। गवर्नमेंट की ओर से स्टेटमेंट देने का प्रश्न है, गवर्नमेंट इसके लिए तैयार है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग तीन बजे रखी है, उसमें गवर्नमेंट आने के लिए तैयार है। ढ़ाई बजे हो तो ढ़ाई बजे आने के लिए तैयार हैं और दस बजे हों तो दस बजे आने के लिए तैयार हैं। अभी भी गवर्नमेंट के सामने प्रश्न केवल इतना है कि आपने आदेश दिया है, कि स्टेटमेंट दिया जाए, तो गवर्नमेंट ने उससे इन्कार नहीं किया, जो माननीय सदस्य यहां पर फर्मा रहे हैं उससे भी कोई मतभेद नहीं है परन्तु माननीय सदस्य अनावश्यक रूप से इस बात से नाराज हो रहे हैं कि मैं उनकी बात का विरोध कर रहा हूं। यह कतई प्रश्न नहीं है। प्रश्न यह है कि आप तीन बजे मीटिंग बुला रहे हैं, हम आ रहे हैं, पहिले बुलाना चाहते हैं तो पहले आ जाएंगे

Page No 71

(श्री हरिदेव जोशी)

परन्तु जहां तक स्टेटमेंट का सवाल है, उसमें एक दिक्कत है, स्टेटमेंट के लिए प्रॉयर नोटिस न हो तो मिनिस्टर क्या बोले ? इसलिए यह डिफिकल्टी है। यह मेरा निवेदन है।

हम स्वयं चाहते हैं कि इस विषय पर डिसकशन हो। आप यह न समझें कि सरकार डिसकशन नहीं चाहती है। परन्तु एक समय दिया है, तीन बजे मीटिंग है तो यह उचित होगा कि तीन बजे बैठ कर निर्णय ले लिया जाए। आप चाहें तो पहले बैठ लें। आप यह समझते हो कि स्टेटमेंट मिनिस्टर पहले दे सकता है तो चीफ मिनिस्टर को और न दूसरों को इसमें ग्रॉबजेक्शन होगा मगर वह एक्सटेम्पोर होगा वैसा ही होगा जैसा कि हो रहा है। इसलिए जहां तक स्टेटमेन्ट का सवाल है वह फैक्ट्स के ऊपर आधारित होना चाहिए और उसके ऊपर आधारित होना चाहिए जो कि आज तक की परम्परा के अनुसार गवर्नमेन्ट देती चली आ रही है। रहा सवाल यह कि आप स्टेटमेन्ट कब चाहते हैं—अभी, इमीजिएटली ? बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग आप चाहें तो पहले रख लीजिए परन्तु, अध्यक्ष महोदय, आपका एक सर्क्यूलर आ गया और हमारे दस्तखत हो गये। मगर फिर भी, आप यह समझें कि इस पर पहले विचार हो तो इसमें गवर्नमेन्ट को कहीं कोई ऐतराज नहीं है। गवर्नमेन्ट एनलाइटन होना चाहेगी माननीय सदस्यों के विचारों से। परन्तु गवर्नमेन्ट की एक मजबूरी है, वह यह है कि सम्बन्धित मिनिस्टर स्टडी करके कोई बयान दे। वरना यह होगा कि आपकी बातों का उत्तर नहीं होगा। इसलिए हम यह चाहते हैं कि यहां पर जो भी चर्चा करें उसका कोई तालमेल बिठा कर चर्चा करें। इस प्रॉब्लम पर गवर्नमेन्ट जो विसेज कर सकती है वह किया है। पहले ही सवेरे, अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन किया था कि मंहगाई पर विचार करने के लिए, चर्चा करने के लिए कोई समय निर्धारित करें और इसके लिए माननीय मिनिस्टर ने स्वयं ने अध्यक्ष महोदय के कार्यालय को लिखा है कि इसके ऊपर डिबेट हो। गवर्नमेन्ट को कहीं कोई संकोच नहीं है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हो, स्टेटमेन्ट कब हो–यह सारा का सारा, अध्यक्ष महोदय, आपको रेगुलरेट करना है और गवर्नमेन्ट आपके आदेश के अनुसार काम करेगी।

श्री निरंजननाथ आचार्य : उपनेता महोदय ने इस प्रश्न पर अभी कहा कि गवर्नमेन्ट को कोई ऐतराज नहीं है। आपने सदस्यों की भावनाओं को समझा है। सदन इस विषय पर फुल फ्लेज्ड डिस्कशन चाहता है, डिबेट चाहता है जहां तक गवर्नमेन्ट के स्टेटमेन्ट का प्रश्न है वह हो परन्तु डिबेट तो उससे पहले–आज ही शुरू हो सकती है और यह एडजोर्नमेन्ट मोशन के रूप में भी हो सकती है।....

श्री हरिदेव जोशी : इसको भी स्पष्ट कर दूं। एडजोर्नमेन्ट मोशन हो या उसके पहले कि मिनिस्टर स्टेटमेन्ट दे, या पहले नहीं हो, आप कोई भी चर्चा करना चाहते हैं तो उसमें मुझे कोई भी ऐतराज नहीं है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय अध्यक्ष, मेरी प्रार्थना यह है कि अभी जो यहां पर माननीय उपनेता महोदय ने कहा है कि माननीय मंत्रीजी का ध्यान पहले इस ओर नहीं खींचा गया है, मैं निवेदन करना चाहता हूं.....

Page No 72

श्री अध्यक्ष : यह इश्यू नहीं है ।

श्री हरिदेव जोशी : सवाल यह नहीं है, सवाल यह है कि कैसे आगे बढ़ा जाय?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं वही निवेदन करना चाहता हूं कि दो सप्ताह पहले मेरे एडजोर्नमेंट मोशन दिये हुए हैं। मेरा प्रस्ताव मंहगाई के बारे में है । वह मैंने 19 तारीख को दिया है । राज्य में बढ़ती हुई मंहगाई के कारण जनता में बढ़ते हुए असन्तोष के बारे में मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का नोटिस दिया है । दूसरा यह है कि···

श्री हरिदेव जोशी : इस बात से कौन इन्कार कर रहा है ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : दैनिक उपभोग की वस्तुओं की उपलब्धि के बारे में, विषम स्थिति के बारे में मैंने कृषि मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित एक प्रस्ताव के द्वारा किया है । मैंने 15 प्रस्ताव रखे थे उनमें से यह दो ध्यानाकर्षण आपने, अध्यक्ष महोदय, स्वीकार किये हैं तो आज मंत्री महोदय इस मंहगाई के बारे में अपना वक्तव्य दें, अपना स्टेटमेंट दें । इसके बारे में मेरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है। मैंने इसके बारे में दफ्तर में मालूम किया तो मुझे बताया गया है कि खाद्य मंत्रीजी इस बारे में स्टेटमेंट देने को आज तत्पर नहीं हैं, क्योंकि यह नियमों में नहीं लिखा है। नियम 131 के आधार पर मैंने यह प्रस्ताव सदन को मेज पर रखे हैं । इसलिए मंत्री महोदय का यह कहना कि मंत्री महोदय का ध्यान पहले इस ओर नहीं खींचा गया है और मंहगाई के बारे में सदन में कोई बात नहीं आई है, यह उचित नहीं है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है, माननीय उपनेता ने जो सुझाव रखा है कि अभी बिजीनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग बुला ली जाय तो मेरा यह निवेदन है कि हाउस को एडजोर्न कर दिया जाय और फिर·······

श्री हरिदेव जोशी : House should Continue. बिजनेस एडवाइजरी कमेटी मीट कर ले and the debate may continue. I have no objection as I have already requested.

श्री रामानन्द अग्रवाल : लेकिन मेरा यह कहना है····

श्री हरिदेव जोशी : आप मेरे रेफरेन्स से कुछ मत कहिये ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपकी मार्फत मैं यह कहूंगा कि हम यह चाहते हैं कि यह विषय पहले डिसकस हो । अगर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के मीट करते हुए हाउस को चलाना चाहते हैं तो वह झगड़ा तो फिर रहेगा कि दूसरे यहां पर इन्ट्रेस्ट लेना चाहें । तो मेरा यह निवेदन है कि हाउस की भावनाओं को समझते हुए बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग रख लें और हाफ एन ऑवर के लिए हाउस को एडजोर्न कर दें ।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, I object to the adjournment of the House. मेरा निवेदन यह है, जैसा कि आपने कहा था शुरू-शुरू में, प्रोसीडिंग्स उठाकर देख लें, आपका सजेशन यह था कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग

(श्री हरिदेव जोशी)
में बात कर लें। इसको मैं एग्री करता हूँ। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग कर सकते हैं और मीटिंग करके जो भी समय आप उसमें तय करेंगे गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट करेगी, गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट करती है, मायने यह है कि अगर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी यह तय करती है कि जो बिजनेस चल रहा है उसको किसी दूसरे समय के ऊपर तय करके वह हो तो उससे भी मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तय होना चाहिए हाउस का बिजनेस।

श्री रामानन्द अग्रवाल : The House should be adjourned to discuss this point. बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में यही तय हो कि यह विषय पहले लिया जाय तो इन्ट्रेस्टेड हैं otherwise not.

श्री हरिदेव जोशी : To this I object, Sir. To adjourn the House—I object.

श्री रामानन्द अग्रवाल : No other business can be taken.

श्री हरिदेव जोशी : We may meet for ten minutes, वहां पर आपका कार्य होता रहे और हाउस का बिजनेस चलता रहे। हाउस 10 मिनिट के लिए भी एडजोर्न नहीं होना चाहिए। वहां पर आप जाकर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में भाग ले सकते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : इस बिजनेस के अलावा दूसरे को लेने का हमारा मूड नहीं है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, ...

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : आपका हाउस क्लॉज होगा और आपकी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी इसकी प्रायोरिटी पर विचार करेगी। इस समय सदन के सदस्यों का सिवाय इस विषय के और किसी विषय पर विचार करने का इरादा नहीं है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय अध्यक्ष, मैं यह जानकारी चाहता हूँ ......

श्री हरिदेव जोशी : हम तो आपके निर्णय से, माननीय अध्यक्ष, गाइड होंगे।

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं एक सुझाव देता हूँ। मेरे एक प्रस्ताव से गतिरोध मिट सकता है। एडजोर्नमेंट मोशन दूसरों के भी हैं। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के जरिये हम मिलें उसके पहले हाउस के बिजनेस को प्रारम्भ नहीं किया जाय, दूसरे एडजोर्नमेंट मोशन के बारे में भी विचार-विमर्श कर लेंगे 5-10 मिनिट में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में। वहां बैठ कर इसके बारे में भी निर्णय कर लेंगे औपचारिक रूप से। मैं समझता हूँ कि इससे गतिरोध दूर हो सकता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : We cannot attend the Business Advisory Committee ऐसी स्थिति में जिसमें यह निर्णय नहीं किया जाय। हम उधर चले जायं और हाउस चलता रहे, यह हम नहीं चाहते हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय अध्यक्ष जी, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस समय जो विषय चल रहा है और यह

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
जो माननीय सदस्यों ने स्थगन प्रस्ताव रखे हैं मैं समझता हूँ कि आपने उनको रिजेक्ट किया है उस सम्बन्ध में बोलने का अधिकार है। मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा है····

श्री अध्यक्ष : वह हो चुका है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : 8 तारीख को मंत्री महोदय मंहगाई के बारे में अपना स्टेटमेंट दे देंगे। मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी कि मंहगाई के बारे में मेरे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को मन्जूर करके वक्तव्य दे दें।

मैं समझता हूँ कि स्थगन प्रस्ताव जो रखे हैं उस सम्बन्ध में विचार व्यक्त करने का मौका सबको दिया है। इसलिए मैं उस अधिकार का प्रयोग करते हुए आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि अनाज के राष्ट्रीयकरण वाली बात जो है वह बिल्कुल असफल हो गई है·······

एक माननीय सदस्य : फेल कहां हो गई ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि कांग्रेस के लोगों ने अपनी असफलताओं और गलतियों को छिपाने के लिए जयपुर शहर की सड़कों पर श्री गिरधारीलाल व्यास के नेतृत्व में एक जलूस निकाला। उसमें यह नारे लगाये गये कि "तानाशाही नहीं चलेगी" मैं पूछना चाहता हूँ कि तानाशाह कौन है ? कांग्रेस के लोगों ने यह प्रयास किया और कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने और दूसरे जो राष्ट्रीयकरण के हामी थे उन्होंने अपना मुँह छिपाने के लिए, क्योंकि राष्ट्रीयकरण फेल हो गया है गोदामों पर छापे मारे और जिन्होंने छापे मारे वे यहां पर मौजूद हैं उनको जाकर सील कर दिया और वहां नाज नहीं मिला····

(शोरगुल-अश्रव्य)

श्री रामानन्द अग्रवाल : उन गोदामों के मालिकों के दलाल यहां पर यह बैठे हुए हैं। गोदामों के मालिकों के दलाल यहां पर आ गये। मैं निवेदन करूंगा कि उनकी दलाली करने वालों के खिलाफ मिसकन्डक्ट का चार्ज लगाया जाय···

श्री गिरधारीलाल भार्गव : कांग्रेस-के लोग फेल हो गये। उनके साथी कम्युनिस्ट फेल हो गये········

श्री हरिदेव जोशी : ऑन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर········

(शोरगुल—अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : समाप्त करिये।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आप उनको कहिये जो आपका हुकुम नहीं मानते हैं। मैं तो आपकी आज्ञा हमेशा मानता हूँ।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : ये जमाखोरों के वकील·······

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने के कारण अश्रव्य—व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय अध्यक्ष, मेरा स्थगन प्रस्ताव है। मेरा बोलने का अधिकार है उसके बावजूद भी····

(शोरगुल—अश्रव्य)

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीया : आप अपना मुँह गिरहवां में डालकर देखें। कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टीज ने जो रैली निकाली है वह जन-भावना को व्यक्त करती है।

(व्यवस्था सूचक घंटी)

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि कार्यसलाहकार समिति की मीटिंग तीन बजे के बजाय तुरन्त बुला ली जाय और सदन की कार्यवाही इसी प्रकार चलती रहे।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : No. No.

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : जब तक ये (जनसंघ के सदस्यों की ओर संकेत) लोग बैठे हुए हैं.......

(शोरगुल—अश्रव्य)

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, ये लोग इन्ट्रेस्टेड नहीं हैं कि यह मोशन मूव हो। आपने भी उनको सहमती दे दी है। हम इससे एग्री नहीं करते हैं।

श्री हरिदेव जोशी : मैं इसको खत्म करना चाहता हूँ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जौहरी बाजार में गोलीकाण्ड हुआ है, वह एडमिट हुआ है। उसमें 8-10 जानें गयी हैं। इसमें करोड़ों लोगों की जानों का ताल्लुक है। उसको एडमिट कर सकते हैं। इसको पार्टी का सवाल क्यों बनाते हैं। माननीय नेता जी एडजस्टमेंट करने की बात करते हैं। एडज़ोर्नमेंट मोशन होना चाहिये इसके अलावा दूसरा बिजनेस नहीं होना चाहिए। 31 वां जो आपका अमेण्डमेंट है, वह आज नहीं होकर कल हो सकता है। इसको मैं समझता हूँ कि कोई अपोज नहीं करेगा। भावनाओं का हम आदर करते हैं।

श्री हरिदेव जोशी : माननीय सदस्य ने मेरी भावनाओं को समझा है। मैंने पूर्व में निवेदन कर दिया है, इसको प्रायोरिटी मिले। गवर्नमेंट को कहीं कोई ऐतराज नहीं है। बिजनेस तय करने की जिम्मेदारी अध्यक्ष महोदय, आपकी है या बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की है। कार्यक्रम तैयार होकर सर्कुलेट हुआ। उसके अनुसार हम तैयार होकर आये। माननीय सदस्य ने एडजोर्नमेंट मोशन दिया। उस पर निर्णय हुआ। इसके बाद माननीय सदस्यों ने अपनी राय रखी। तो गवर्नमेंट के पास इसका वाया मीडिया क्या है ?

मैं निवेदन करता हूँ कि गवर्नमेंट की भावना को समझा जाये। गवर्नमेंट आपसे भिन्न नहीं है। गवर्नमेंट यह नहीं चाहती है कि यह नहीं किया जाये। गवर्नमेंट इतना ही चाहती है कि कार्य रूल्स रेग्युलेशन के अनुसार चलाया जाये। रूल्स के अनुसार कार्यवाही चलाने का निर्णय अध्यक्ष महोदय करें। अध्यक्ष महोदय ने 8 तारीख की कार्यवाही को सर्क्युलेट किया। एडजोर्नमेंट मोशन के आधार पर रूलिंग दी है। अगर माननीय सदस्य के एडजोर्नमेंट मोशन को एक्सेप्ट करते हैं अगर इस पर हम करें तो मैं यह मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। स्पीकर की रूलिंग को गवर्नमेंट स्वीकार करेगी। उसके अनुसार कार्यवाही करेगी।

श्री निरंजननाथ आचार्य : उधर स्पीकर महोदय ने कहा है ढ़ाई बजे तक मीटिंग रखी जाये.......

श्री हरिदेव जोशी : ढ़ाई के 3 हो जायें उसमें कोई बात नहीं है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : स्पीकर को अख्तियार है। वह एडजोर्न कर सकते हैं। वह किसी भी स्टेज पर कर सकते हैं।

श्री हरिदेव जोशी : अगर सुनने की तकलीफ गवारा करो तो दुर्भाग्य की बात हो सकती है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : आप रूल्स की बात कर रहे हैं।

श्री हरिदेव जोशी : जो चेयर ने अभी रूलिंग दी है, उसके ऊपर स्टेटमेंट होगा। उसमें मैंने जो गवर्नमेंट की स्टेटमेंट देने की डिफिकल्टी बताई, क्योंकि अभी कोई स्टेटमेंट तैयार नहीं है किन्तु फिर भी यदि चेयर उपयुक्त समझे कि स्टेटमेंट अभी देना है तो मिनिस्टर कन्सर्न तैयार हैं, स्टेटमेंट देने के लिए लेकिन फिर यह न कहा जाये कि इस स्टेटमेंट में फर्क है। अभी इस रूलिंग के बाद में माननीय सदस्यों ने भावनाओं का इजहार किया है। मैं चाहता हूँ, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बैठ जाये। 2 बज कर 40-45 मिनट पर कोई चर्चा शुरू की जाये। गवर्नमेंट को इस पर भी कोई ऐतराज नहीं होगा। इससे ज्यादा मैं क्या निवेदन कर सकता हूँ।

(शोरगुल—अश्रव्य)

श्री गुमानमल लोढ़ा : एडजोर्नमेंट मोशन के रूल्स हैं। उनकी बहुत महत्ता है। व्यक्तिगत आप कहते रहें कुछ भी। अध्यक्ष महोदय, आज जनता परेशान है। एडजोर्नमेंट मोशन कभी स्वीकार होगा ही नहीं तो मुझे कुछ नहीं कहना है। वरना मैं निवेदन करूँ कि सदन की भावना को देखते हुये आसन की ओर से स्वीकार कर लिया जाये। ढाई करोड़ जनता यह जानना चाहती है कि विधान सभा हमारे लिए क्या कर रही है। 6 महीने के बाद विधान सभा मिली है। वह मंगाई के बारे में क्या करेगी। कैसे घासलेट मिलेगा? कहां से चावल आयेगा? अध्यक्ष महोदय, मेरी प्रार्थना है, सत्तारूढ़ दल या विरोधी पक्ष का कोई आग्रह नहीं है। यह एक ऐसा मसला है, जैसा कि महारावल साहब ने कहा है कि 12-13 वर्षों से कोई समस्या ऐसी नहीं आयी है।

श्री अध्यक्ष : मालूम है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : हाउस एडजोर्न करके इसे स्वीकार करें। हमें कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए।

श्री केदारनाथ : हाउस में कई बार जब डिसआर्डर्ली सीन्स क्रियेट हो जाते हैं। पैंडेमोनियम हो जाता है, तो कई बार हाउस एडजोर्न होता है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : इन लोगों ने कोई ध्यान नहीं दिया। इस प्रजातान्त्रिक तरीके से....

(शोरगुल-अश्रव्य)

वैधानिक तरीके से ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा। उस पर आपने कोई मौका नहीं दिया है।

श्री अध्यक्ष : अब तो और आगे बढ़ गये हैं। मैं तो यह चाहता था कि तीन बजे पहले तय हो जाय। आप तीन बजाना चाहते हैं।

(श्री अध्यक्ष)

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन कर रहा था कि इस विषय के महत्त्व का मुझे अहसास है। माननीय सदस्यों ने जो भावना व्यक्त की उनका मुझे पूरा पूरा अहसास है। मुझे यह भी अहसास है, आज विचार हो, अगर सदन आज चाहता है तो आज होगा। इसमें आपत्ति की बात नहीं है। सरकारी पक्ष से मंत्री महोदय ने कहा कि आज विचार हो तो आपत्ति की बात नहीं है। अब प्रश्न इतना रह जाता है कि किस रूप में हो, क्या फार्म हो। माननीय सदस्यों ने डिबेट चाही है, डिबेट आज हो जाय, तो मैं समझता हूं कि डिबेट हो, आज ही हो, यह फैसला कर सकते हैं। मैं डेमोक्रेटिक यह मानता हूं कि अभी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हो जाय, उसमें तय कर लें, आज का बिजनेस हो जाय, उसके बाद हो जाय या सर्वप्रथम हो जाय। सर्वप्रथम हो जाय, अगर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी तय करले तो जो आज का बिजनेस है, वह आॅटोमेटिकली आगे होगा। अगर बिजनेस एडवाईजरी कमेटी तय करती है कि पहले वह लिया जाय तो वह ले लिया जायगा। यह हो सकता है। इसके बारे में मेरे दिमाग में उलझन नहीं है। मेरा स्पष्ट दिमाग है, आखिर हाउस जो चाहता है वही होगा।

माननीय सदस्यों में बहुमत, अधिकांश लोगों की जो इच्छा है, उसका पालन करना है, उसका सम्मान करना है। इस विषय पर जब इधर और जितने इधर हैं सबकी राय एक है तो यह मामला आपसी बात चीत हो जाय, चर्चा हो जाय। इसमें फार्म की बात रह जाती है कि किस रूप में हो, एडजोर्न होकर हो या एडजोर्न नहीं होकर हो, एडजोर्नमेंट मोशन पर डिबेट के रूप में हो या डिबेट चाहते हैं—यह बात रह जाती है। तथ्य की बात यह है, सार की बात यह है। इसमें सभी एग्री हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि ज्यादा मुनासिब यह है तुरन्त ही बिजनेस एडवाईजरी कमेटी की मीटिंग हो, वहां मिल लें....

श्री निरंजननाथ आचार्य : Shall we adjourn ?

श्री अध्यक्ष : वहां मिल लें और इस पर निर्णय कर लें और फार्मल बिजनेस जो है, जो रखा है, अगर आप इजाजत दें वह हो जाय और बाकी के मामले पर फैसला कर लें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग तुरन्त बुला लें और एडजोर्न करें। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के....

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मंत्री) : फार्मल बिजनेस में क्या है।

श्री हरिदेव जोशी : मुझे तो कह रहे थे कि प्रेस्टिज का इश्यू न बनायें। आप प्रेस्टिज इश्यू बना रहे हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : फार्मल के लिए नहीं है, दुबारा मीट करने के लिए है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : छः महीने के बाद तो बुलाया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : दुबारा मीट करने की बात कह रहा था। उस वक्त ले लीजिये। We can agree to it.

श्री अध्यक्ष : बहुत सा बिजनेस ऐसा है, जो आज रखने का है। कुछ आर्डिनेन्स हैं जो आज ही रखे जाने चाहिए। बिल रखे जाने

(श्री अध्यक्ष)

के हैं। अध्यादेश हैं। यह आज ही रखे जाने चाहिए। रिजोल्यूशन हैं, आज के बिजनेस के अन्दर रिजोल्यूशन का और है, उसके लिए मैं नहीं कहता। मेरा आपको निवेदन है कि जो आज ही रखे जाने चाहिए, उनको आज नहीं रखने से डिफेक्ट पैदा होता है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का निर्णय आ जाय, उसके बाद आज लिया जाय तो आज ही लिया जाय और अगर आगे बढ़ाने की जरूरत होगी तो आगे बढ़ जायेगा।

श्री गुमानमल लोढ़ा : यह निश्चित हो जाय कि इसके पश्चात् शासकीय कार्य है दूसरा वह कार्य नहीं लिया जाय।

श्री हरिदेव जोशी : यह बिजनेस एडवाइजरी कमेटी तय करेगी।

श्री गुमानमल लोढ़ा : आप विचार कर लीजिये। यह और अच्छा है।

श्री अध्यक्ष : मेरी बात सुन लीजिये। इस पर डिबेट की नौबत नहीं है अब...

श्री चेतराम : मेरा निवेदन है...

श्री अध्यक्ष : इतना पहले बोल लिये। अब और बोलने की बात नहीं होनी चाहिए। शायद वक्त कम लगता अगर इस पर इतनी चर्चा नहीं करते क्योंकि इस पर मुख्तलिफ राय नहीं है, फार्म की बात है। उस पर निर्णय करने में ज्यादा कठिनाई की बात होती नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, जिस जोश, खरोश और धमकी के साथ बात की, उसमें मैं नहीं जाना चाहता। मुझे शोभा भी नहीं देगा कि मैं आपके साथ साथ में जोश में आऊं, मैं भी नाराजगी में आऊं। मुझे जोश में होश रखना चाहिए।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह अपनी अपनी फीलिंग की बात है। कोई मरता रहता है तो कोई तो रास्ते नार्मल वे में चलता जाता है, कोई उसके लिए कुछ करता है। यह अपनी अपनी फीलिंग की बात है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : फीलिंग तो इस पर बात है। जब मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा था उस पर....

श्री अध्यक्ष : मेरा ऐसा मानना है कि भावना से कर्त्तव्य ज्यादा ऊंचा है। फीलिंग से रीजन ज्यादा ऊंचा है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : भावनाओं के बगैर कर्त्तव्य पूरा नहीं हो सकता है।

श्री अध्यक्ष : मैं ऐसा नहीं मानता हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : पत्थर कर्त्तव्य पूरा नहीं करता है जीवित इन्सान कर्त्तव्य पूरा करता है। भावनाओं के बिना कर्त्तव्य कैसे पूरा होगा ? और वह कर्त्तव्य क्या काम का होगा ?

श्री अध्यक्ष : यह कहने की आवश्यकता नहीं है, यह आपके सोचने की बात है। आपका सदन है, आपका अध्यक्ष है, जिस तरह से आप रखना चाहें, रखें, इज्जत के साथ रखें, सम्मान के साथ रखें, धमकी के साथ रखें।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : बहुत आदर के साथ जनता का हित जिसमें हो सकता है वही हो सकता है।

श्री अध्यक्ष : उसमें कठिनाई की बात नहीं है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अब आपको भावनाओं का ध्यान आ रहा है। उस वक्त नहीं था जब मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा। अपने को छिपाने के लिए उस बात को छिपा रहे हैं। मेरा ध्याकर्षण प्रस्ताव था ···

श्री अध्यक्ष : बहुत डिबेट हो गई। अब फार्मल बिजनेस डिप्टी स्पीकर करेंगे, हम लोग मिल लें। आगे का बिजनेस ले लिया जाय। डिप्टी स्पीकर आ जायें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : बाकी स्थगन प्रस्ताव रखे हैं, वह कल फिर दें।

(2:45 म. प.)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष : इसके बारे में मैं बताऊंगा।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : बाकी के स्थगन प्रस्ताव टेबल पर रखे हैं, उनके बारे में क्या होगा। आज बोलेंगे या कल ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : परसों।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : परसों किस लिए ?

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री रघुनाथ विश्नोई : बोलना जरूरी नहीं है। बोलने के लिए कहें तो बोलें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जो बहुत सारे स्थगन प्रस्ताव सदन की टेबल पर रखे, यह केवल एडजोर्नमेन्ट मोशन····

श्री उपाध्यक्ष : आप एक मिनिट तशरीफ रखें।

जो बहुत इम्पॉर्टेंट एडजोर्नमेंट मोशन है जिसके बारे में मैं समझता हूं, सदन में बहुत भावनाएं व्यक्त की गई हैं। उसके बाद में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग बुलाई गई है। उस पर आप ध्यान केन्द्रीत रखें तो उचित होगा।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं बोल रहा हूं, बहुत एजोर्नमेंट मोशन है। मैं निवेदन करने जा रहा था। आज मेरा स्थगन प्रस्ताव है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय ···

श्री उपाध्यक्ष : आप तशरीफ रखिये। मैं बताऊं, कार्य संचालन नियमों में कहीं प्रावधान नहीं है, एडजोर्नमेंट मोशन जो भी प्रस्तुत किए जाए, जिन पर आसन से व्यवस्था दी जाए उनके सम्बन्ध में माननीय सदस्य को बोलने का अवसर दिया जाय। इस प्रकार का प्रावधान नहीं है इसलिए इस समय मैं एडजोर्नमेंट मोशन पर बोलने की कोई अनुमति नहीं दे सकूंगा।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जो एडजोर्नमेंट मोशन अस्वीकार किए गए हैं, उनके लिए नियमों में यह भी लिखा हुआ है कि उस पर दो-तीन मिनिट प्रकाश डाल सकेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यह मान लिया जाय, कल फिर दुबारा ···

श्री उपाध्यक्ष : आप तशरीफ रखिए।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यह मान लिया जाए, जो एडजोर्नमेंट मोशन रद्द

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
किए गए हैं, उनको दुबारा टेबिल पर रखा जाए। मैं समझता हूं कि स्थगन प्रस्तावों पर विचार चल रहा है तो बाकी के एडजोर्नमैंट मोशन पर बोलने देना चाहिए।

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

राष्ट्रपति महोदय को स्वीकृति प्राप्त विधेयक

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज! सचिव महोदय!

श्री सचिव (राजस्थान विधान सभा): महोदय, मैं गत सत्र में पारित निम्नांकित विधेयकों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूँ जिन पर राष्ट्रपति महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है।

श्री केशरीमल : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे निवेदन यह करना है····

श्री उपाध्यक्ष : आप तशरीफ रखिये।

श्री सचिव : (1) राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण विधेयक, 1973।

श्री केशरीमल : मुझे निवेदन करना है, बहुत जरूरी बात पर एडजोर्नमैंट मोशन है, जिसके जरिए से यह बात को रखना है कि जो राज्य कर्मचारी हैं····

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आवश्यक कार्य चल रहा है।

श्री सचिव : मोटर गाड़ी (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1973।

श्री केशरीमल : मैं निवेदन करूंगा, कि राज्य सरकार कर्मचारियों के तबादले कर रही है··

श्री सचिव : राजस्थान कृषि उपज विपणि (संशोधन) विधेयक, 1973।

श्री उपाध्यक्ष : अध्यादेश!

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मुझे कहना पड़ेगा कि यह हल्ले गुल्ले में होना ठीक नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, शहरी सम्पत्ति विधेयक, जो सन् 1972 में पास किया, कांग्रेस के भाइयों ने कहा, शहरी सम्पत्ति विधेयक पास करना है, और कम्युनिस्ट पार्टी ने मेज थप थपा कर पास किया। उस शहरी सम्पत्ति विधेयक के ऊपर राष्ट्रपति की स्वीकृति क्यों नहीं प्राप्त हुई। इस सम्बन्ध में मैं जानकारी प्राप्त करना चाहूंगा···

श्री उपाध्यक्ष : इस सम्बन्ध में चेम्बर में मुझसे या अध्यक्ष महोदय से मिल लें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चेम्बर में सुनेंगे, इसका मतलब यह हुआ कि शहरी सम्पत्ति विधेयक पास हो गया लेकिन राष्ट्रपति की अनुमति उसको नहीं मिल रही है। जिसके कारण जो कांग्रेस पार्टी को मदद देते हैं वह आज भूमि का रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। पोद्दार पार्क, जो रामनाथ पोद्दार का है, जो कांग्रेस को मदद देता है, उस पोद्दार पार्क की रजिस्ट्री होती चली जा रही है। आपने कहा कि विधेयक लाये हैं, इससे जो भूमि ट्रान्सफर कर रहे हैं उनके ऊपर रोक लगाना चाहते हैं, इस बात पर बहुत

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
वाहवाही लूटी गई, मेज थप-थपा लीं और नाम अखबारों में छप गया कि यह कितने प्रगतिवादी लोग हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि शहरी सम्पत्ति विधेयक, 1972 के ऊपर आज तक राष्ट्रपति महोदय की असेन्ट क्यों नहीं आई है ? मैं समझता हूं कि यह कहना कि चेम्बर में मिल लें, इसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि कौन कौन से विधेयक के ऊपर राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई है, वह सचिव ने सुना दी है। मैं मेरी जानकारी के अनुसार कह रहा हूं कि शहरी सम्पत्ति विधेयक, 1972 को राष्ट्रपति ने स्वीकृति नहीं दी है। इसके कारणों पर प्रकाश डालेगें तो सुन्दर होगा।

अध्यादेश

श्री उपाध्यक्ष : आप तशरीफ रखिये। अध्यादेश !

श्रीमती कमला बेनीवाल (राज्य मन्त्री, सामान्य प्रशासन) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान अत्यावश्यक सेवायें अनुरक्षण (संशोधन) अध्यादेश, 1973 (अध्यादेश संख्या 7, सन् 1973) को सदन की मेज पर रखती हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : उपाध्यक्ष महोदय ...

श्री उपाध्यक्ष : पंचायत मन्त्री !

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मन्त्री) : मैं पंचायत एवं सामुदायिक विकास मन्त्री राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, 1973 (अध्यादेश संख्या 8, सन् 1973) को सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : इतनी जल्दी अध्यादेश मत रखवाइये। हमें भी बोलने का अधिकार है हमको भी बोलने का मौका दें। केवल गिरधारीलालजी भार्गव को ही बोलने का अधिकार हो, ऐसा नहीं होना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : इस पर बोलने के लिए प्रावधान नहीं है। ये सूचनायें केवल सदन की मेज पर रखी गई हैं।

श्री चंदनमल बैद : मैं निम्नांकित अध्यादेश सदन की मेज पर रखता हूं:—

(I) राजस्थान भूमि एवं भवन कर (संशोधन) अध्यादेश, 1973 (अध्यादेश सं. 6, सन् 1973),

(II) राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1973 (अध्यादेश सं. 9, सन् 1973)।

श्रीमती कमला बेनीवाल (राज्य मंत्री गृह) : मैं गृह विभाग की अधिसूचना संख्या एफ 16 (4) गृह (ग्रुप-5) 70 पार्ट-2, दिनांक 23 जुलाई, 1973 को सदन की मेज पर रखती हूं।

श्री उपाध्यक्ष : राजस्व मंत्री !

श्री रामचंद्र चौधरी (राजस्व मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखता हूं:—

(1) अधिसूचना संख्या एफ. 22 (45) रेव/कोल/64 पीटी III, दिनांक 21 मई, 1973 जिसके द्वारा राजस्थान

(श्री रामचन्द्र चौधरी)

उपनिवेशन (1955 के पश्चात् के अस्थायी कृषि पट्टाधारियों को तथा अन्य भूमिहीन व्यक्तियों को राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन) नियम, 1971 को और संशोधित करने के लिए राजस्थान उपनिवेशन (1955 के पश्चात् के अस्थायी कृषि पट्टाधारियों को तथा अन्य भूमिहीन व्यक्तियों को राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन) (संशोधन) नियम, 1973 बनाये गए हैं।

(2) अधिसूचना संख्या एफ 4 (5) रेव/कोल/73, दिनांक 21 मई, 1973 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (1955 के पश्चात् के अस्थायी कृषि पट्टाधारियों तथा अन्य भूमिहीन व्यक्तियों को राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन) नियम, 1969 में संशोधन किए गए हैं।

(3) अधिसूचना संख्या 4 (10) राज/उप/73, दिनांक 3 जुलाई, 1973।

(4) अधिसूचना संख्या एफ 4 (10) रेव/कोल/73, दिनांक 3 जुलाई, 1973 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (चम्बल सिंचाई परियोजना क्षेत्र की मंडियों में भूमि का विक्रय) नियम, 1960 में संशोधन किए गए हैं।

(5) अधिसूचना संख्या एफ 22 (30) रेव/कोल/65, दिनांक 3 जुलाई, 1973 जिसके द्वारा इस विभाग की सम संख्यक अधिसूचना दिनांक 18 जनवरी, 1973 के लिए शुद्धि-पत्र प्रकाशित किया गया है।

(6) अधिसूचना संख्या एफ 4 (ए) (1) रेव/कोल/68, दिनांक 10 जुलाई, 1973 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (पोंग बांध के निष्कासितों को राजस्थान नहर उपनिवेशन में सरकारी भूमि का आवंटन) नियम, 1972 में संशोधन किए गए हैं।

श्री उपाध्यक्ष : परिवहन मंत्री !

श्री चंदनमल बैद (वित्त मंत्री) : मैं अधिसूचना संख्या एफ 1 (1) (5) परिवहन/70, दिनांक 23 मार्च, 1973 को सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : पंचायत एवं विकास मंत्री !

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मुझे ऐतराज है। मंत्री महोदय ने जो परिवहन विभाग की अधिसूचना दिनांक 23 मार्च, 1973 की अब रखी है वह पिछली बार जब सदन 6 अप्रेल, 1973 तक चला था उस समय क्यों नहीं रखी ? इस बारे में मैं नियमावली की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं जिसमें लिखा है कि माननीय सदस्यों को 14 दिन के अन्दर संशोधन पेश करने का अधिकार होगा। आज आप अनिश्चित वातावरण में कार्यवाही चला रहे हैं। पता नहीं सदन चलेगा या नहीं चलेगा तो 23 मार्च वाली अधिसूचना आपने 6 अप्रेल तक क्यों नहीं रखी ? क्या आश्वासन देते हैं कि 14 दिन उनको मिलेंगे जिसमें सदस्यगण अपने ऑब्जेक्शन्स व सजेशन्स दे सकें? उदाहरण के लिए पंचायत एवं विकास विभाग अधिसूचना गत सत्र में सदन की मेज पर रखी थी, परन्तु 14 दिन का समय नहीं था, सदन

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
नहीं चलने वाला था इसलिए बड़े ऐतराज की बात है। जब सदन चल रहा था उस समय रखा जाना चाहिए था। अब रख रहे हैं तो आश्वासन दें कि सदन 14 दिन चलेगा उसके भीतर ऐतराज पेश कर सकते हैं।

श्री चंदनमल बैद : आप खुद जवाब दे चुके हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : 14 दिन चलेगा नहीं।

श्री चंदनमल बैद : अगर नहीं चलेगा तो दुबारा रखनी पड़ेगी।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : पहले वाली अधिसूचना 23 मार्च की जब 6 अप्रेल तक सेशन चला उसमें क्यों नहीं रखी ? इसका उत्तर दें।

श्री उपाध्यक्ष : पंचायत एवं विकास मंत्री !

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यह बहुत ही गंभीर बात है। मैंने आपत्ति की है....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यदि यह माने कि मैं जनसंघ का सदस्य हूं....

श्री उपाध्यक्ष : आप तशरीफ रखें....

श्री गिरधारीलाल भार्गव : तो यह उचित नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: पहले जो जवाब आपको दिया जा चुका है, वह पर्याप्त रूप से आ चुका है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : पहले वाला जवाब नहीं आया। जब सदन चल रहा था उस समय क्यों नहीं रखी ?

श्री उपाध्यक्ष : यदि आपको 14 दिन का समय अब नहीं मिलता है तो पुनः अधिसूचना सदन की मेज पर रखी जाएगी। मंत्री महोदय नियमों के अनुकूल जवाब दे चुके हैं।

श्री चंदनमल बैद : मैं निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखता हूं:—

(1) अधिसूचना संख्या एफ 4/एल. जे./पंचायत/ए. आर. 73/447-55, दिनांक 12 मार्च, 1973 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायत तथा न्याय पंचायत (सामान्य) नियम, 1961 में संशोधन किए गए हैं।

(2) अधिसूचना संख्या एफ. 4/एल./पी. एस./ ए. आर./2/73/1282, दिनांक 14 जून, 1973 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद् सेवा नियम, 1959 में संशोधन किए गए हैं।

(3) अधिसूचना संख्या एफ. 4/एल.जे./पी.टी. एस/ए आर/73/1684-92, दिनांक 30 अगस्त, 1973 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायत एवं न्याय पंचायत (सामान्य) नियम, 1961 में संशोधन किए गए हैं।

प्रथम अधिसूचना गत सत्र में सदन की मेज पर रखी गई थी परन्तु राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1953 की धारा 89 (3) के अन्तर्गत अपेक्षित कालावधि पूर्ण न हो सकने के कारण इसे राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 169 (2) के अन्तर्गत पुनः सदन की मेज पर रखा गया है।

Page No 84

(श्री चन्दनमल बैद)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या एफ 16 (3) एफ. डी./सी. टी./71, दिनांक 27 अगस्त, 1973 (जी. एस. आर 140) जिसके द्वारा राजस्थान यात्री एवं माल करारोपण नियम, 1959 में संशोधन किय गए हैं, सदन की मेज पर रखता हूं।

प्रतिवेदन एवं लेखे

श्री उपाध्यक्ष : प्रतिवेदन एवं लेखे आदि।

मुख्यमंत्री !

श्रीमती कमला बेनीवाल (राज्य मंत्री) : मैं कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 619-ए की उप-धारा (3) के भाग (बी) के अन्तर्गत गंगानगर शुगर मिल्स का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1972 एवं धारा 619 की उप-धारा (4) के अन्तर्गत गंगानगर शुगर मिल्स के 30 जून, 1972 को समाप्त होने वाले वर्ष से संबंधित लेखों पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणी, सदन की मेज पर रखती हूं।

श्री उपाध्यक्ष : कृषि मंत्री !

वित्त मंत्री !

विनियोग लेखे एवं वित्त लेखे।

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित विनियोग एवं वित्त लेखे सदन की मेज पर रखता हूं:-

(1) राजस्थान राज्य के विनियोग लेखे, 1971-72।

(2) राजस्थान राज्य के वित्त लेखे, 1971-72।

(3) वर्ष 1971-72 के लेखों पर अंकेक्षण प्रतिवेदन।

अनुदान को मागें

1973-1974 के लिए अनुपूरक अनुदान की मांगों के विवरण का उपस्थापन

श्री उपाध्यक्ष : अनुपूरक अनुदानों की मांगो के विवरण का उपस्थापन। श्री वित्त मन्त्री जी !

श्री चन्दनमल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं 1973-74 के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगों (प्रथम संकलन) के विवरण का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मांगों का उपस्थापन हुआ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत ही खेद की बात है कि वर्ष 71-72 के लेखों पर अंकेक्षण प्रतिवेदन इतने समय बाद में सदन में रखे जाते हैं जब कि इनके पास यह पहले ही आ गया था। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि यह उनके पास कब आया ?

श्री चन्दनमल बैद : यह मुझे विधान सभा समाप्त होने के बाद में मिले हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : उपाध्यक्ष महोदय, जब कि यह अंकेक्षण प्रतिवेदन इन्हें दिसम्बर, 72 में ही मिल गये थे तो इन्होंने सदन में इतने समय बाद क्यों रखे। यह जो कह रहे हैं कि सदन की समाप्ति के बाद मिले, यह गलत है। यह तो इन्हें पहले ही

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

मिल गये थे। मैं समझता हूं कि राज्य सरकार विधान सभा ज्यादा नहीं चलाना चाहती है इसलिए समय का टालमटोल कर रही है। पहले इन्होंने विधान सभा छः माह बाद बुलायी है और अब दो दिन विधान सभा की कार्यवाही चला कर इसे और बजट सेशन के लिये स्थगित कर देंगे तो इससे क्या मतलब निकला। आखिर हम जनता के प्रतिनिधि हैं। आप दो तीन तो यों ही यह प्रतिवेदन वगैरह रख कर अपना समय निकालेंगे और अभी पांच बजा देंगे फिर छुट्टियां आ जायेंगी और उसके बाद में आप चार, पांच, छः और सात तारीख का भत्ता दे देंगे और फिर आठ तारीख को सदन की कार्यवाही समाप्त कर देंगे। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इस प्रकार की रिपोर्ट्स, जो कि राज्य सरकार के पास दिसम्बर, 72 में ही आ गयी थीं, को, इतनी देरी से सदन में प्रस्तुत करने का क्या कारण है ? और अब आप इसे सदन में प्रस्तुत करते हैं फिर यहां पर डिस्क्शन होगा या नहीं होगा यह भी राज्य सरकार पर है तो फिर ऐसी रिपोर्ट से भी जनता को क्या फायदा होने वाला है ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदन की जानकारी के लिये यह निवेदन करना चाहता हूं, सदन की यह परम्परा रही है कि सदन में सदन की मेज पर राज्य सरकार कभी भी कोई भी प्रतिवेदन रख सकती है इसमें कोई कानूनी बाधा नहीं है। और अपने यहां परम्परा ऐसी रही है कि इस पर कोई डिस्क्शन नहीं होना चाहिये।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं डिस्कशन नहीं कर रहा हूं। मैं तो निवेदन कर रहा हूं···

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। नियमों में ऐसा प्रावधान है कि राज्य सरकार कभी भी सदन की मेज पर रख सकती है।

(श्री गिरधारीलाल भार्गव के लगातार बोलने पर)

आॅर्डर आॅर्डर प्लीज, आॅर्डर प्लीज। आप स्थान ग्रहण करें। माननीय कृषि मन्त्री जी!

सदन की मेज पर रखे गये पत्र
प्रतिवेदन

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उदयपुर विश्वविद्यालय अधिनियम, 1962 की धारा 39 के अन्तर्गत उदयपुर विश्वविद्यालय के वर्ष 1969-70 एवं वर्ष 1970-71 के वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : आप वित्त मन्त्री जी से कृषि मन्त्री जी कब से हो गये ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रतिवेदन पिछले बजट सेशन में ही रखा जाना चाहिये था वह इतने समय बाद इस सदन में पेश करने से क्या फायदा जब कि यह बजट सेशन में ही डिस्कस हो जाना चाहिये था।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। विद्युत् मन्त्री जी !

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मन्त्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल का वार्षिक प्रतिवेदन 1972-73 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रतिवेदनों का उपस्थापन हुआ।

विधायी कार्य

पुरःस्थापित किये गये विधेयक

राजस्थान दण्ड विधि (संशोधन) विधेयक, 1973

माननीय मुख्य मन्त्री जी !

श्रीमती कमला बेनीवाल (राज्य मंत्री, गृह) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करती हूं कि राजस्थान दण्ड विधि (संशोधन) विधेयक, 1973 का पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाय।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मेरा एक निवेदन है कि····

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य से यह निवेदन करना चाहता हूं कि सदन की ऐसी परम्परा रही है कि जो बिल सदन में इन्ट्रोडक्शन के लिए आता है उसके ऊपर डिसक्शन नहीं होना चाहिये। हमारे यहां कि ऐसी परम्परा हमेशा से ही रही है। और अगर किसी माननीय सदस्य को कुछ भी कहना हो तो वह जब बिल पर डिसक्शन हो उस वक्त फर्स्ट रीडिंग के वक्त, सैकिंड रीडिंग के वक्त, थर्ड रीडिंग के वक्त कभी भी बहस में भाग ले सकते हैं। इसलिये मैं समझता हूं कि बिल के इन्ट्रोडेक्शन के समय बहस करना उचित नहीं है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : एक बात मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं साहब।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : ऑन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर। मेरा पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर है।

श्री उपाध्यक्ष : आपका पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर क्या है ?

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : उपाध्यक्ष महोदय, नियमों में ऐसा कहीं भी प्रावधान नहीं है कि जिस वक्त बिल सदन में इन्ट्रोडक्शन के लिए आए उस वक्त कोई डिसक्शन नहीं हो। सदन की परम्परा चाहे रही होगी पर यह सदन में जो परम्परा थी उसको पिछले सेशन में तोड़ दिया गया था। आमतौर पर हमारे यहां पर ऐसी व्यवस्था थी। लेकिन पिछले सेशन में जब कि माननीय श्री गफ्फार अली जी ने एक नॉन आफिसियल बिल रखा, शायद वह किरायेदारों के बारे में था, उस को इस सदन में इनीसियल स्टेज पर ही नोक डाउन कर दिया गया था। तो इस प्रकार अगर आपके मन्त्री महोदय बिल इन्ट्रोडयूस करें उस वक्त आप चाहें कि सदन की परम्परायें हैं कि बिल पर इन्ट्रोडक्शन के वक्त डिस्कशन नहीं हो और अगर इधर वाले सदस्य कोई बिल सदन में रखें तो आप उसे नोक आउट कर दें यह कहां तक वाजिब है ? तो हम तो परम्परायें तोड़ने वाले हैं। हमें भी परम्परायें तोड़ने का अधिकार है। मैं इस बिल पर इन्ट्रोडक्शन की स्टेज पर डिसक्शन करूंगा।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि राजस्थान दण्ड विधि (संशोधन) विधेयक, 1973, जो विधेयक आप सदन में पेश करने जा रहे हैं, एक ऐसा विधेयक है,जो कि इस सदन द्वारा कभी भी पास नहीं किया गया। यह राजस्थान दण्ड विधि विधेयक केन्द्रीय सरकार द्वारा कभी पास

(श्री गिरेधारीलाल भार्गव)

किया गया होगा । यह केन्द्रीय सरकार का जो बिल है उसमें हमें संशोधन करने का क्या अधिकार है ? इसमें ऐसा लिखा है कि "राजस्थान दण्ड विधि (संशोधन) विधेयक, 1973 जैसा कि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा।" तो आई. पी. सी., या ट्रान्सफर आफ प्रोपर्टी एक्ट, व सी. आर. पी. सी. वगैरहा और जो एक्ट्स हैं उनमें संशोधन करने का इस विधान सभा को क्या अधिकार है ? यह जितने भी बिल हैं, जो कि केन्द्रीय सरकार द्वारा पास किये गये थे, उनमें राज्य सरकार कैसे संशोधन कर रही है ? अब इसे आप मेरा पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर समझें या आप इसे और कोई बात, पहले आप अपने सेकेट्री साहब को बुलावें और उनसे दरियाफत करें कि क्या राज्य सरकार को इसका अधिकार है ? आप विधान सभा से ऐसा कार्य कराने जा रहे हैं जो कि उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। मैं ऐसे कार्य में सहयोग नहीं दे सकता। मैं सदन में सिर्फ 31 रूपया रोज भत्ता लेने के ही पक्ष में नहीं हूं। मैं मेरा कर्त्तव्य समझता हूं आप चाहे जो भी काले कानून बनाते रहें । चूंकि आपकी मेजोरिटी है और आपको अधिकार है आप चाहें वह संशोधन कर दें । लेकिन मैं इसे वाजिब नहीं समझता।

श्री चन्दनमल बैद : आज इनको सद्बुद्धि कहां से प्राप्त हो रही है ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यह मेरा पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर है कि राजस्थान दण्ड विधि (संशोधन) विधेयक, 1973 में कोई अमेन्डमेन्ट नहीं होना चाहिऐ। अगर आप अमेन्डमेन्ट करते हैं तो गलत हैं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : उपाध्यक्ष महोदय, एक दो बात मैं भी इस बारे में निवेदन करना चाहूंगा । पहली बात तो यह है कि राज्य सरकार ने अभी आर. एस. ई. बी. की रिपोर्ट सदन में रखी मुझे इस पर ऐतराज है क्योंकि यह रिपोर्ट यहां पर पहले ही बजट सेशन में ही आजानी चाहिये थी और इसका पहला अंग उस सेशन में डिस्कस हो जाना चाहिए था।

श्री उपाध्यक्ष : I think we shall not debate this point. The point under discussion is whether the introduction of Bill requires prior discussion or not.

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि इस प्रश्न पर सारा राजस्थान इनवोल्व होता है इसलिए मैं राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। और राजस्थान की एक विशिष्ट स्थिति है जहां तक बिजली का सम्बन्ध है। हम अपनी बिजली दूसरे प्रान्तों को देने जा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार विषयान्तर करने की अनुमति मैं नहीं दे सकता। जिस विधेयक को सदन के सामने प्रस्तुत किया गया है उस पर प्रश्न यह है कि जहां तक परम्परा का सवाल है यह सही है कि पुरःस्थापित करने के समय किसी बहस की अनुमति नहीं दी गयी है विशेषकर सरकारी पक्ष से जो बिल पेश किये गये हैं। मैं नॉन ऑफिशियल बिल की ओर जरूर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। उसके लिये इन्ट्रोडक्शन की स्टेज पर हाउस ने

Page No 88

(श्री उपाध्यक्ष)

स्वीकृति दी यह बात सही है। दोनों परम्परायें हैं माननीय सदस्यों के सामने। एक तो प्राचीन परम्परा कि बिल के पुरःस्थापन के समय कोई ऐतराज नहीं किया जाता रहा है। दूसरा लैंड कन्ट्रोल एक्ट के बारे में जो आपत्ति की गयी उसके ऊपर सदन में पुरःस्थापित करने के समय ही मत लिये गये। इन परम्पराओं में पुरःस्थापित करने के समय जो बहस की परम्परा है उसमें सदन का बहुत अधिक समय लगता है। पुरःस्थापित होने पर पुनर्विचार के लिये वह आता ही है। पहली स्टेज और दूसरी स्टेज पर बहस होती ही है। इसलिये माननीय हांडाजी यदि अपना ऑब्जेक्शन वापिस लेते हैं तो आगे विचार हो सकता है।

श्री **योगेन्द्रनाथ हांडा** : मैं अपना ओब्जेक्शन वापिस लेता हूं। मेरी प्रार्थना है कि शासन उसको स्वीकार करे।

श्री उपाध्यक्ष : आर. एस. ई. बी. को डिस्कस करना चाहते हैं। बिजनिस एडवाइजरी कमेटी में आपके दल के सदस्य वहां हैं, उनको एडवाइस करिये और वहां पर सम्मिलित नहीं किया जाता है तो उसके लिये मोशन मूव किया जाय। उसका एक तरीका है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जो तरीका है उसकी मुझे जानकारी है। वही चलेगा। उसके लिये मुझे कोई ऐतराज नहीं है। छः महीने बाद बिल इन्ट्रोड्यूज करने की इजयाजत होती है। हमारी कार्य प्रणाली में शिथिलता और वक्रता आती है इससे स्पष्ट मान्यतायें हमारे सामने नहीं आती हैं और धुंधली ही ऊपर आती है। कोई पार्टी ब्रूट मेजोरिटी पर नियमों का उपयोग करते हुए ही चलना चाहेगी तो स्वस्थ परम्परायें कायम रहेंगी और जीवित रहेंगी। मुझे ऐतराज नहीं है। मैं अपना ओब्जेक्शन वापिस लेता हूं।

श्री **गिरधारीलाल भार्गव** : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर उठाया कि इस तरह का कानून ही पास नहीं हुआ तो किसमें संशोधन करना चाहते हैं। इसका नाम दिया "दण्ड विधि (संशोधन) विधेयक, 1973"। यदि पहले कानून बना होता तो उसमें संशोधन भी करना जरूरी होता। दूसरा पॉइन्ट यह है कि कल छुट्टी के दिन आकर मिलें और 11 बजे अमेन्डमेन्ट दे दिये जायं, यह न्याय संगत नहीं है। इससे तो अच्छा है बहुमत के आधार पर ही आप पास कर दीजिये।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हम छुट्टी के दिन अमेण्डमेण्ट दे सकते हैं तो जब छुट्टी की गारन्टी थी, उससे पहले दिन ही इस बिल को लाने का प्रयत्न करते। यह बड़ा जोरदार बिल है। घातक बिल है। इसको पढ़ियेगा तो यह आसान नजर नहीं आवेगा। इस प्रकार कोई भी कानून पास नहीं होगा। मैंने पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर उठाया है। इस पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर का उत्तर दीजिये।

श्री **वृद्धिचन्द्र जैन** : उपाध्यक्ष महोदय, जो 8 तारीख को बिल्स आने वाले हैं, उनके बारे में जो भी अमेन्डमेन्ट प्रस्तुत करें उनका समय के हिसाब से, वर्किंग डे के हिसाब से आज का रहता है। छुट्टियों में प्रस्तुत करने के लिये पर्मीशन दे दीजिये। जो सुझाव माननीय सदस्य ने दिया वह सही है और उस पर गौर करके, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको निर्णय देना चाहिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह पूर्णतया व्यवस्था का प्रश्न है। आपको व्यवस्था देनी है। बिल इन्ट्रोड्यूस हो गया और डेट्स निर्धारित हो गयीं और उसका प्रोग्राम पहुंच गया। 8 तारीख का प्रोग्राम बन गया कि कौन कौन से बिल लिये जावेंगे। यह बिल ही नहीं है। सप्लीमेन्ट्री बिल की स्वीकृति मंत्री महोदय ने चाही। दस बारह विभागों से वह सम्बन्धित है। शहरी सम्पत्ति का निर्धारण आज तक नहीं हुआ है और उनमें राशि चाही गयी है। सारी की सारी सप्लीमेन्ट्री डिमान्ड्स पुटअप हो रही हैं। नीति सम्बन्धी हैं।

सदन की अवमानना

(दर्शक दीर्घा से "जनतन्त्र के हत्यारों, जनता की सुनो" इस प्रकार की नारे बाजी तथा चप्पल भी ऊपर से फेंकी गयी)

राजस्थान दण्ड विधि (संशोधन) विधेयक, 1973

माननीय वृद्धिचन्द्रजी ने फर्माया कि अमेण्डमेन्ट देने के लिये छुट्टियों के उपयोग की इजाजत दी जाय। माननीय गिरधारीलालजी मेरे बचपन के दोस्त हैं और बचपन की याद आ जाती है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ने दो प्रश्न इस समय उठाये। एक तो सर्कुलेशन के बारे में। उसके लिये कार्यालय से जानकारी की। यह बताया गया कि 1 तारीख को ही सर्कुलेट कर दिया गया।

दूसरा प्रश्न उनका दंड विधि (संशोधन) विधेयक, 1973 के बारे में है। उन्होंने फर्माया कि विद इन दी ब्रेकिट्स संशोधन कर दिया। दंड विधि अलग होना चाहिये। इन्ट्रोडक्शन के बाद में जब इसके मेरिट और डिमेरिट पर बहस होकर खण्डशः विचार आवेगा तब ही यह प्रश्न तो हल किया जा सकता है। इसलिये इस समय इसके मेरिट और डिमेरिट पर जाने की आवश्यकता नहीं है। और इस इन्ट्रोडक्शन के वक्त यह आपने जो पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर उठाया उसको स्वीकार करने में असमर्थ हूं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : माननीय उपाध्यक्ष महोदय…

श्री राजेन्द्र भारतीय : ऑन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर सर।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान विधान सभा में किसी कानून में संशोधन करने जा रहे हैं तो विद इन ब्रेकेट्स और इन ब्रेकेट्स का सवाल नहीं है, वह बाद की बात है जैसा आपने बताया लेकिन मेरा मैन ऑब्जेक्शन ही यह है कि राजस्थान में दण्ड विधि (संशोधन) विधेयक कोई है ही नहीं तो फिर अमेन्डमेन्ट क्यों करने जा रहे हैं उसमें। उपाध्यक्ष महोदय, आप वकील हैं और बड़े अच्छे वकील हैं। भारत सरकार ने एक्ट्स बना रखे हैं, उसमें वह चाहे तो राजस्थान सरकार अमेन्डमेन्ट कर सकती है और यदि भारत सरकार द्वारा पास किये हुए किसी बिल में आप संशोधन करना चाहते हैं तो वह बिल दूसरा हो गया।

यह बात दूसरी है कि राजस्थान सरकार ने कोई पहले राजस्थान दण्ड विधि (संशोधन) विधेयक, 73 पास कर रखा हो। मैं पूछना चाहता हूं कि यह कानून है कहां? लाइब्रेरी में हो तो मंगा दो इस

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
प्रकार का कानून है ही नहीं। तो जो मूल में कानून ही नहीं है तो उस पर संशोधन लाना यह तो हवा में बात करना है। गलत है। यह गैर कानूनी काम है। विरोधी पक्ष का यह काम है कि आपके इस तरह के गैर कानूनी कामों की तरफ आपका ध्यान दिलावे। विरोधी दल का काम आपको सजग करना है। जब कानून ही नहीं है, तो संशोधन किसका ?

रहा प्रश्न दूसरे संशोधनों के बारे में। आज का कार्यक्रम एजेण्डा हमें आज प्रातः मिला। जो बाहर से सीधे ही यहां आ गये उनको तो उसे देखने का भी मौका नहीं मिला होगा। इस तरह से बिना पूरी जानकारी हमें हुए आप जल्दी में इस कानून को यहां पास करवाना चाहते हैं यह उचित नहीं है। आज की शाम को चार पांच दिन के लिये सदन स्थगित हो जावेगा। तो यह प्रक्रिया आपकी ठीक नहीं है। आप मुगालते में रख कर कानून पास करवाना चाहते हैं। माननीय सदस्यों को इसमें संशोधन रखने का अवसर मिलना चाहिये। इसे स्टडी करने का भी अवसर मिलना चाहिये। हर सदस्य को इसके लिये समय मिलना चाहिये।

तो मेरे दोनों मुद्दे बड़े गम्भीर हैं। इन पर विचार किया जाना चाहिये और आसन को अपना निर्णय देना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : ऐसा है कि यह केवल इन्ट्रोडक्शन के लिये रखा गया है। इसलिये इसके लिये तो पर्याप्त समय मिलेगा ही।

श्री रामानन्द अग्रवाल : हमारा अधिकार है कि इन्ट्रोडक्शन की स्टेज पर भी हम अगर उचित समझें तो विरोध कर सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : That I don't deny.

श्री रामानन्द अग्रवाल : जिस परम्परा को आगे होकर कांग्रेस दल ने तोड़ा तो फिर उस परम्परा से हम ही क्यों चिपके रहें ? किरायेदारों के बारे में बिल गफ्फार-अली ने रखा तो उस अवसर पर इस परम्परा को कांग्रेस दल के लोगों ने ही तोड़ा। इसलिये हम भी इस हथियार का उपयोग अवसर आने पर अवश्य करेंगे और इस पर बोलेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : इस सम्बन्ध में आपके दल के सदस्यों से वार्ता हो चुकी है आप वार्तालाप कर लें। आश्वासन दिया है कि परम्पराओं को यथावत् कायम रखना चाहते हैं। ऐसी सूरत में इन्ट्रोडक्शन की स्टेज पर ऐतराज न करें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैंने कहा कि परम्परा को तोड़ने का अधिकार केवल कांग्रेस पार्टी के लोगों का ही नहीं है। हमारा भी है।

श्री चन्दनमल बैद : आपने तो अपना ऑब्जेक्शन विथड्रा कर लिया है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैंने पांच ए पर वापिस लिया है। असेंशियल सर्विसेज पर मेरा ऐतराज अभी है। आप असेंशियल सर्विसेज का नाम लेकर कर्मचारियों को दबाना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप हम एक हैं।

एक माननीय सदस्य : विना कार वाले कार वाले हो जावेंगे, कार वाले विना कार वाले भी हो सकते हैं। पर आपका नम्बर नहीं आवेगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इसकी चिन्ता मत करिये। आपको तो बेकार करेंगे ही।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसकी स्टेज भी यही है कि जो ऑर्डिनेन्स लाया गया है वह रिजेक्ट किया जाना चाहिये। सर्कुलेट जो किया गया है वह भी समय पर नहीं किया गया। अब हम कब तो हमारे अमेण्डमेन्ट देंगे कब इस पर सोचेंगे। इसका समय भी नहीं मिला है।

फिर मुझे तो यह आज सुबह ही मिला है। अन्य माननीय सदस्यों को, हो सकता है, शाम को मिल गया हो। अपना संकल्प जो देना चाहते थे उनको उसका समय भी नहीं मिला।

श्री उपाध्यक्ष : इसमें दो विकल्प रक्खे हैं। एक तो यह परम्परा कि जो प्रस्तुत करने के समय ऐतराज न करें, इस परम्परा को आप कायम रखना चाहते हैं या नहीं ?

दूसरा यह कि इस बिल को केवल पुरःस्थापित किया जा रहा है इसके पश्चात् आज वह कन्सीडरेशन में नहीं लिया जावेगा। इसलिये आपको अमेण्डमेन्ट देने का मौका मिलेगा। इसके पश्चात् भी परम्परा को छोड़कर जैसा उदाहरण प्रस्तुत किया गया है, चाहे वह इन्ट्रोडक्शन की स्टेज पर हो, विरोध करना ही है तो दूसरे तरीके से किया जा सकता है। जिस परम्परा से आप चलना चाहते हैं उसके अनुसार मैं माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर दूंगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह जरूरी नहीं है कि हम हर स्टेज पर हर बिल के साथ ऐसा ही करें। परम्परा के अनुसार हम भी चलना चाहते हैं। यह किस किस्म का बिल है उसे देखकर हम चलना चाहेंगे। हम यह भी परम्परा नहीं बनाना चाहते कि हर बिल का इन्ट्रोडक्शन की स्टेज पर विरोध किया ही जाय। It will depend on Bill to Bill.

श्री रामचन्द्र चौधरी (विधि मंत्री) : हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य ने ऐतराज किया कि जब बिल ही नहीं है तो अमेण्डमेन्ट कैसा ? इसके लिये निवेदन करना चाहता हूं कि वैसे इसका जुरिस्डिक्शन है भारत सरकार का पर इसमें प्रावधान है, नियम है, यह कि इसमें अगर स्टेट गवर्नमेन्ट भी संशोधन करना चाहे तो कर सकेगी। वैसे भारत सरकार का बिल है, वही अमेण्डमेन्ट करेगी। वह भी कर सकती है हम भी कर सकते हैं। इसलिये यह संशोधन है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : इसको पूरा समझ लीजिये। यह अधिनियम 73 कहा जा सकेगा तो यह संक्षिप्त नाम जो रखा है और इसमें जो राजस्थान जुड़ा है, इसका अर्थ है यह राजस्थान का बिल है। अब हमारे यहां राजस्थान दण्ड विधि बिल है ही नहीं तो यह संशोधन कैसे आ सकता है ? पहले हमें उसे बिल के रूप में लाकर स्वीकृत करना होगा। फिर यह संशोधन उचित ठहराया जा सकेगा।

श्री **रामचन्द्र चौधरी** : यह राजस्थान में ही लागू होगा। सारे भारत में नहीं होगा, राजस्थान शब्द के रखने से यह मतलब है।

श्री **गिरधारीलाल भार्गव** : मन्त्री जी, मैं भी वकील हूं। मैं भी यह समझता हूं। पर जब राजस्थान दण्ड विधि कहीं कोई कानून है ही नहीं तो यह संशोधन कैसे कहा जा सकता है। इसलिये आपको इसका नाम दण्ड विधि संशोधन विधि, 73 रखना चाहिये। नहीं तो आप भयंकर भूल कर रहे हैं। उसका विकल्प नहीं होगा। आप कानून की किताब देखकर बता दें कि कहीं आपने राजस्थान राज्य दण्ड विधि कानून पास किया था क्या? तो इस मामूली सी बात को तिल का ताड़ क्यों बनाया जा रहा है।

श्री **रामचन्द्र चौधरी** : मैं निवेदन कर रहा हूं कि बेशक इसे भारत सरकार ने बनाया, पर राजस्थान विधान सभा इसमें संशोधन करना चाहे तो कर सकती है और उसको चूंकि राजस्थान में ही लागू करना है इसलिये उसमें राजस्थान शब्द होगा ही।

श्री **गिरधारीलाल भार्गव** : मैं भी यह समझता हूं कि भारत सरकार के कानून में राजस्थान सरकार संशोधन कर सकती है जो इसके यहां लागू हो, मैं भी एल-एल. बी. हूं यह सब तो मुझे भी मालूम है। पर यह सब मन्त्रीजी के कहने से मान लूं, यह नहीं हो सकता। आपने गलत काम वैसे सैंकड़ों किये हैं। राष्ट्रीयकरण का गलत किया। इसे और कर लें। गलत काम आप करते जावें, पर आगे जाकर एक दिन पछतावेंगे। आप मुझे किताब में ऐसा कानून बता दें। आप इसे सदन में लाकर लोगों को दण्ड देना चाहें तो यह भले ही करिये। उनको जमीन, मकान, पैसे की सजा देना चाहते हैं, दें। पर गलत बात हमसे मनवाना चाहें यह मुनासिब नहीं है। पर मेरी मान्यता है कि इस प्रकार के घातक बिल को आप जल्दबाजी में पास न करें। हमें छुट्टी के दिनों में भी इस पर संशोधन पेश करने का अवसर दिया जाना चाहिये। इसलिये विधि मन्त्रीजी आप विधि मन्त्री हैं, सोच समझ कर नियम से काम करिये। आप कोई उद्योग मन्त्री या फाईनेन्स मन्त्री तो हैं नहीं।

श्री **रामचन्द्र चौधरी** : मैंने निवेदन पहले किया।

श्री **रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : उपाध्यक्ष जी, विधि मंत्री जी की ओर से जो राजस्थान दण्ड विधि (संशोधन) विधेयक, 1973 को पुरःस्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है। मैंने अभी इसके स्टेटमेन्ट ऑफ ऑब्जेक्शन्स एन्ड रीजन्स को पढ़ा और मैं माननीय सदस्यों को आपकी मार्फत यह पढ़ कर सुनाना चाहूंगा कि बिल बहुत साधारणतया और जल्दी से माननीय मंत्री जी इन्ट्रोड्यूज करना चाहते हैं। इसके स्टेटमेन्ट ऑफ ऑब्जेक्शन्स एन्ड रीजन्स में कहा है:—

"The State Government has felt certain difficulties in dealing with unlawful associations, which or the members of which commit acts of violence or intimidation; interfere with the administration of law or with the maintenance of law and order; and constitute a danger to the public peace. To

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

overcome it, it is proposed that the participation in its activities may be liable to punishment, its place of activities may be taken possession of and its movable properties and funds may be forfeited. Similarly publication etc. of prescribed documents is made liable to punishment as it may be seditious etc. and to deal with certain cases more speedily and effectively, such as the cases under sections 186, 188, 189, 190, 228, 295A, 505, 506, 507, I. P. C., the State Government is empowered to declare it cognizable."

मेरा यह निवेदन करना है कि जैसा कि ऑब्जेक्शन एन्ड रीजन्स से जाहिर होता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में गवर्नमेन्ट संशोधन करके इस प्रकार के अधिकार लेना चाहती है जिसमें कि संगठनों को, चाहे जिसमें राजनैतिक संगठन हों, चाहे जन संगठन हों और चाहे और किस्म के संगठन हों उनकी गतिविधियों पर, उनकी एक्टीविटीज को रोका जा सके। ऐसी एक्टीविटीज को जिसको गवर्नमेन्ट ना पसन्द करती हो। इस तरीके से यह बिल जनता की नार्मल एक्टीविटीज को रोकने के लिये लाया जा रहा है।

मुझे इसकी डिटेल्स पढ़ने का अवसर नहीं मिला जैसा मैंने निवेदन किया यह बिल आज ही मिला है और आज ही खोल कर स्टेटमेन्ट ऑफ ऑब्जेक्शन्स एन्ड रीजन्स को देखा है। इस प्रकार के संगठन जो देश में कम्युनिलिज्म पैदा करें, जो देश में लड़ाई करें, जो देश में विभाजन की स्थिति पैदा करें, देश में इस प्रकार की एक्टीविटीज जो हमारे नेशनल लेवल पर हो रही हैं, जिसके बावजूद पार्टियों के डिफरेन्सेज के उन बातों को नेशनल लेवल पर एन्टी नेशनल माना है। उस तरह की एक्टीविटीज में कुछ हो, उसकी बात समझ में आ सकती है लेकिन जिस तरीके से ब्रॉड बेस्ड कहा, उसकी वाइड पावर ली जाय, जिसमें सब प्रकार के संगठन लेजिटिमेट एक्टीविटीज को ले लिया जाय जो कि डेमोक्रेटिक लाइफ के लिये आवश्यक है। मैं समझता हूँ इस प्रकार की पावर्स स्टेट गवर्नमेन्ट को नहीं लेनी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि इस सदन के माननीय सदस्य इस बात से भलीभांति परिचित हैं कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का सेक्सन 107 है जिसका लॉ एन्ड ऑर्डर मेनटेन करने के लिये एक प्रिवेन्टिव एक्शन के रूप में उपयोग किया जायगा और पॉलिटिकल कामों के लिये, पॉलिटिकल एक्टीविटीज को रोकने के लिये, जन आन्दोलन को रोकने के लिये, इसका इस्तेमाल नहीं होगा। आज हम अनुभव से यह कह सकते हैं 107 सी. आर. पी. सी. का उपयोग राजनैतिक पार्टियों के खिलाफ, खासतौर से जनता के आन्दोलन के खिलाफ, मजदूरों के खिलाफ, किसानों के खिलाफ, ट्रेड यूनियनों के खिलाफ, राज्य कर्मचारियों के खिलाफ इस्तेमाल होता है।

इसी तरह धारा 144 जो सी. आर. पी. सी. के अन्दर है जो अन-लॉ-फुल एसो-

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

सियेशन पर रोक लगाने के प्रिवेन्टिव मेजर के रूप में रखी गई है उसका उपयोग जिस तरह शासन के द्वारा आम जनता के कामों को रोकने के लिये किया जाता है और उन तबकों को, जो एन्टी-नेशनल हैं, प्रोटेक्ट करने के लिये किया जाता है। यह भी हमारे रोज की देखने की बात है। उपाध्यक्ष महोदय, इस दौरान में जबकि मंहगाई के खिलाफ, जमाखोरों के खिलाफ कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा आन्दोलन किया गया है और जब सरकार को यह कहा गया है कि जमाखोरों ने फलां फलां गोदामों में माल छिपा रखा है, गवर्नमेन्ट एक्शन क्यों नहीं लेती। पब्लिक को इकट्ठा करके गोदामों पर छापा मारने के लिये गये तो इस धारा 144 का उन जमाखोरों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया गया बल्कि माननीय गफ्फार साहब को जेल में डाल दिया गया और कहा गया कि आप इन जमाखोरों का अनाज बांटने के लिये क्यों आये।

इसी तरह मेन्टेनेन्स ऑफ इन्टरनल सिक्योरिटी एक्ट का जिस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। इन्टरनल सिक्योरिटी मेन्टेन करने की बात, जन आन्दोलन को कुचलने की बात की जा रही है। राज्य कर्मचारियों की हड़ताल में भी हमने देखा, इस तरह के प्रिवेन्टिव एक्शन को और जो सही डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, उनको कुचलने के लिये और दबाने के लिये इसका इस्तेमाल किया गया है। इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि आज जिस प्रकार का देश में वातावरण है, जिस प्रकार का जनता में असन्तोष है इस गवर्नमेन्ट की पॉलिसीज की वजह से, इस गवर्नमेन्ट की पॉलिसीज के इम्पलीमेंट करने की वजह से, गवर्नमेंट के सेबोटेज करने की वजह से—गवर्नमेंट में जो कुछ लोग बैठे हैं, पार्टी की इमेज खराब हो लेकिन अपने पर्सनल एग्रेन्डाइजमेंट और वर्ग को बचाने के लिये आज इस स्थिति को हैन्डिल कर रहे हैं। इस कारण जनता को आन्दोलन करना पड़ रहा है और, उपाध्यक्ष महोदय, इस आधार पर आपने देखा कांग्रेस के ऑर्गेनाइजेशन ऑल इण्डिया लेवल, स्टेट लेवल पर हम उन जमाखोरों के खिलाफ, उन ब्लेक मर्केटियर्स के खिलाफ, मंहगाई के खिलाफ जनता की एक रैली बनाये ताकि जनता इन्टरवीन कर सकें और जनता ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही कर सके।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

यह जो जनता के उभरते हुये आन्दोलन हैं उससे इनका दिल कांप रहा है उसको डण्डे और गोली से कुचलने के लिये आज सरकार इस प्रकार के अमेन्डमेन्ट करना चाहती है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, सरकार यह समझ ले कि इस स्थिति का मुकाबला करने के लिये गोली और डण्डे पहले भी थे लेकिन डण्डे और गोलियों के आधार पर कुचलने की कोशिश की तो जनता वैसे ही चारों खाने चित्त कर देगी जैसे निजलिंगप्पा साहब को 67 में चारों खाने चित्त कर दिय। जनता ने महसूस किया, आपकी नीतियों के इम्प्लीमेन्टेशन में खराबियां रहीं और जनता को कान्फीडेन्स में नहीं लिया जा सका है। जनता की जो ज्वलन्त समस्यायें हैं, उनको हल करने के लिये 1967 के स्पिलिट के बाद बैंकों का नेशनालाइजेशन हुआ, प्रीवि पर्सेज खत्म हुये जिसने एक नई लहर जनता में पैदा की,

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

लोगों में एक तरह की नई उम्मीदें पैदा कीं और एक डाइनिज्म पैदा किया मैं आपसे निवेदन करना करना चाहता हूँ, मैं जानता हूँ आपके दल में भी ऐसे लोग हैं जो ईमानदारी से उसको आगे ले जाना चाहते हैं इसलिए वह जनता का नेतृत्व कर रहे हैं, रेलीज निकाल रहे हैं लेकिन साथ ही साथ ऐसे लोग भी हैं जो संगठन में भी हैं और वह इसलिए हैं कि अपने निहित स्वार्थों की रक्षा करें। मुझे खुशी हुई श्री गिरधारीलाल जी व्यास के स्टेटमेन्ट से, उन्होंने कहा कांग्रेस से ब्लैक मार्केटियर्स निकल जायें, नहीं तो उनको मार मार कर बाहर निकाला जायेगा। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि वह निकलेंगे नहीं, वह वापिस आ रहे हैं और यहां पर हैं, उन शक्लों को हम जानते हैं। सिण्डीकेट के बड़े नेता थे। उन्होंने देखा कि सिण्डीकेट चली गयी तो उन्होंने शकलें बदल लीं और वापिस इन्दिरा कांग्रेस में, जो चार आदमी थे, वह सारे के सारे आकर कहने लगे कि हम भी प्रोग्रेसिव हैं। इस तरह के लोग आ गये।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

दो मिनट।

इसलिये मैं निवेदन करना चहता हूँ कि आज इस बिल के जरिये ऐसा लगता है कि कांग्रेस की प्री.—1967 की नीति थी, जो कि इण्डीकेट की लीडरशिप में कांग्रेस चलती थी उसके ऊपर वापिस रिवर्ट करना चाहते हैं। बजाय इसके कि प्रोग्रेसिव नीतियों की तरफ बढ़ें, डण्डे से राज्य चलाना चाहते हैं। पीनल पावर्स अपने हाथ में लेना चाहते हैं। इसका हर डेमोक्रेटिक विरोध करेगा क्योंकि उनको संगठित करने वालों के खिलाफ यह कर रहे हैं। इसलिए इस बिना पर मैं इस बिल के इन्ट्रोडक्शन का विरोध करता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुमानमल लोढ़ा !

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज प्रातःकाल प्रश्नकाल में एक प्रश्न आया हमारे सामने, राजस्थान सेवा नियम संविधान की धारा 309 के नीचे राजस्थान विधान सभा अपने अधिकारों के द्वारा क्यों नहीं बनाती और उस समय यह उत्तर दिया गया कि हम केन्द्र के साथ चलना चाहते हैं, सब स्टेट्स में जिस तरह का कानून है उससे अलगाव न हो, यूनिफार्मिटी हो, कन्सिस्टेन्सी हो इसलिए हम अलग से राजस्थान सर्विसेज के बारे में संविधान में अधिकार होते हुए भी विधान सभा में कोई नियम नहीं बनाते। मुझे आश्चर्य हुआ जब इस बिल को मैंने पढ़ा। सारे भारत के अन्दर क्रिमिनल लॉ एक बना हुआ है, क्रिमिनल प्रॉसीजर कोड है, इण्डियन पीनल कोड है—यह कानून सारे भारत के लिए बने हुए हैं और उसके अनुसार समस्त देश के अन्दर जितने लोग जुर्म करते हैं, अपराध करते हैं, वह अपराध किसी प्रकार के हों उनके खिलाफ उनके अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है। फिर राजस्थान में कौनसे ऐसे हालात पैदा हो गये, वह कौनसी विशेष परिस्थितियां पैदा हो गयीं अपवाद के रूप में जिसके कारण से राजस्थान में विशेष तौर से उस क्रिमिनल लॉ को अमेण्ड करके, जैसा सुबह कहा गया था, हम केन्द्र के साथ चलना चाहते हैं, केन्द्र के कानून की कासिस्टेन्सी को रखना चाहते हैं। इसमें अलग से स्ट्रिन्जेन्ट पावर्स, पीनल पावर्स, पनिशमेंट की अपने हाथ में ली है, वह इतनी अधिक पीनल पावर्स हैं, कि इसमें कहा गया

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

है, किसी भी एसोसियेशन को, किसी भी संस्था को चाहे वह व्यापारियों की हो, चाहे कर्मचारियों की हो, चाहे सामाजिक और सांस्कृतिक संस्था हो राज्य सरकार चाहेगी तो उसको कलम के एक झोंके के साथ में अन-लॉफुल डिक्लेयर कर देगी। यह कह देगी कि यह एसोसियेशन है जिसको हम अनलॉफुल डिक्लेयर करते हैं। कितना घातक स्वरूप है इसका ? इसका जरा अन्दाजा लगाया जाय तो मैं समझता हूं कि हिटलर तो मर गया लेकिन राजस्थान सरकार हिटलरशाही के अधिकार अपने हाथ में लेना चाहती है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि जिस समय लोकायुक्त का कानून आया था उस समय हमने निवेदन किया था कि केन्द्र के कानून में, मद्रास के कानून में, आन्ध्र के कानून में जो व्यक्ति वहां जाकर प्रार्थनापत्र देगा वह साबित कर सके या नहीं कर सके उसके लिए सजा का प्रावधान नहीं है इसलिए आप यहां भी मत बनाइये इस प्रकार का कानून। लेकिन यहां पर यह कहा गया कि राजस्थान को केन्द्र के साथ कनसिटेन्ट रखना चाहते हैं लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, लोकायुक्त का प्रश्न आया था, जो मॉडल एक्ट था उसको अलग रख दिया और आपने यहां पर आपने इसके लिए पनिशमेन्ट भी रखा। आज लोकायुक्त हमारे यहां बैठ गये लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती कि वहां पर जाकर किसी के खिलाफ चार्जेज लगायें। क्योंकि उस कानून में साबित नहीं होने पर सजा का प्रावधान रखा गया है। इसी तरह से, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि एसोसियेशन को अन-लॉफुल डिक्लेयर करने की ब्लैंक पावर्स दे दी गयी हैं गवर्नमेंट को, उसमें कोई अभिव्यक्ति नहीं। कोई क्राईटेरिया नहीं। जिसको चाहें उसको कह देंगे कि अन-लॉफुल है और उसके बाद उन संस्थाओं में काम करने वाले लोगों के हाथों में हथकड़ी डाल देंगे। उसकी प्रापर्टी कान्फिस्केट करने की पावर्स दे दी गयी है मैं कहूंगा कि यह तानाशाही पावर्स है, नादिरशाही पावर्स हैं, हिटलरशाही पावर्स हैं। हम कहते हैं कि कानून का राज्य है, जनतन्त्र है, समाजवाद है, संविधान है, लेकिन यह सब ढकोसला है। यदि हम वास्तव में जनतंत्र और कानून के राज्य को चाहते हैं तो राजस्थान में ऐसी परिस्थितियां पैदा नहीं हुई कि ऐसा कानून रखा जाये। यदि उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में, बंगाल में, मद्रास में कहीं परिस्थितियां पैदा नहीं हुई तो राजस्थान में कौनसी परिस्थितियां पैदा हो गयीं जिसके कारण से अपवाद के रूप में यह बहुत बड़ा अधिकार राज्य सरकार रखना चाहती है। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं सैद्धान्तिक रूप से इस बिल का विरोध करता हूं। यह कानून स्ट्रिन्जेन्ट पावर्स पनिशमेन्ट की देगा, संविधान की धारा 19 के अन्दर यह प्रावधान है कि कोई भी अपनी एसोसियेशन बना सकता है, अपने विचारों को रख सकता है, और विचारों को रख कर अपनी मांगों के लिए आन्दोलन कर सकता है इन अधिकारों के ऊपर कुठाराघात है। इसलिए यह ब्लेक लॉ है—It must be with drawn from the house तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपके सामने आज कौनसी परिस्थितियां हैं, क्रिमिनल प्रासीजर कोड और इण्डियन पीनल कोड में सारे कानून बने हुए हैं।

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

आज हमारे पास अधिकार हैं और समस्त भारत के लिए एक कानून है और इसमें सब प्रकार की धारायें हैं। मैं नहीं समझता कि आज इसकी क्या आवश्यकता पड़ी ? इसी तरह से इण्डियन पीनल कोड में 447, 448 धारायें हैं और सब प्रकार की धारायें हैं जिसके आधार पर सरकार सक्षम है कि कोई भी व्यक्ति कानून के खिलाफ काम करता है तो उसके विरुद्ध कार्यवाही हो सकती है। मेरा एक निवेदन है कि यह कर्मचारियों के खिलाफ, मजदूरों के खिलाफ, छोटे व्यापारियों के खिलाफ, राजनैतिक और सामाजिक कार्यकर्ताओं के खिलाफ यह कानून है, जो कि समाज का काम करते हैं, जिन्होंने दूसरों के लिए ही अपना जीवन दिया है, बलिदान दिया है, चाहे कोई अपनी जान जोखम में डालकर बहते पानी में कूदकर बाढ़ में फंसे लोगों की मदद करे और अपने जीवन को समर्पित करने के लिए वहां जाकर कार्य करे—ऐसे लोगों के ऊपर काला कानून तलवार की तरह लटक जायेगा जिसके द्वारा जब चाहेंगे दबाने का प्रयास किया जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि वास्तव में हमारा जो एग्जिस्टिंग कानून है वह बहुत स्ट्रिन्जेन्ट है। अभी चार दिन पहले की बात है हम जिलाधीश, जोधपुर के पास गये। मैं गया, जनसंघ के नगर पार्षद भी साथ थे और हमने मांग की कि हमें धान दो और जो अभी वर्तमान में 3 किलो अनाज दिया जा रहा है यह पर्याप्त नहीं है। यह जनता चिल्ला रही है और कम से कम 10 किलो नहीं तो 6 किलो तो दो। उसके ऊपर हमको गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करके आई. पी. सी. की पावर्स को काम में लाया गया। यह, उपाध्यक्ष महोदय, जनतन्त्र का मखौल है। क्या अभी जो कानून आपके पास है वह पर्याप्त नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रार्थना करूंगा कि जन कल्याणकारी राज्य के अन्दर बिना कानून का कानून, यह काला कानून बनाने की परम्परा है जिसके द्वारा राज्य सरकार दमन करना चाहती है, गोलियां और लाठियां चलाकर दमन करना चाहती है जैसा कि कर्मचारी आन्दोलन में किया गया, स्थान स्थान पर उनको गिरफ्तार किया गया, लोगों के घरों पर चले गये और उनको जेलों में डाल दिया गया, उनके ऊपर मुकदमे चला दिये गये, महिला कर्मचारियों के ऊपर दमन किया गया। इसलिए ऐसी सरकार जनतन्त्र में नहीं चल सकती। अतः मेरा निवेदन है कि यह एक और काला कानून उस कड़ी में है, उस शृंखला में है कि जिन कानूनों के जरिये से कानून का राज्य समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। अतः मेरी प्रार्थना है कि आप इस पर विचार करें। हमारे मन्त्री महोदय ने पता नहीं किस मंशा के साथ इसको इण्ट्रोड्यूज किया है। इसके ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स में कहा है कि हमारे सामने कठिनाई आई और इसलिए इस बिल को लाये हैं। वे ही बता सकते हैं कि उनके सामने क्या कठिनाई आई। हमारे सामने तो यही स्थिति है कि जनता की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है और उसको सफल नहीं करने दिया जाएगा।

(समय-समाप्ति-सूचक-अनवरत घण्टी)

राजस्थान की जनता जाग चुकी है और अब इस बिल का हर मोड़ पर विरोध करने का प्रयास किया जाएगा।

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष : श्री केदारनाथ !

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : मान्यवर, मुझे इस इन्ट्रोडक्शन की स्टेज पर तो कुछ नहीं कहना है। सरकार के पास पहले से ही वाइड पावर्स हैं, डी. आई. आर. है, मेन्टीनेन्स ऑफ एशेन्शियल सर्विसेज हैं और धारा 107, 151, 936 हैं उसके बाद भी इतना अधिकार है कि अगर माइक का इस्तेमाल करें, पब्लिक जल्सा या मीटिंग करें तो अनलॉफुल एक्ट के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है। यहां तक के अधिकार आपके पास हैं और अब कौनसा ऐसा मूवमेंट राजस्थान में पैदा हो गया है। आपने कितने मूवमेंट्स को नहीं दबाया है, रिप्रेस नहीं किया है, कौनसी ऐसी धारायें हैं जिनको आपने इनेक्ट नहीं किया। जब डी-होडिंग के लिए डी. आई. आर. को इस्तेमाल करने की बात कही गई तो आप उसके लिए तैयार नहीं। कंजूमर्स इकट्ठा होकर फेयर प्राइस शॉप्स पर जावें, उनको अनाज ठीक नहीं मिले, सस्ता नहीं मिले, अच्छा नहीं मिले वे आपका घेराव कर लेते हैं तो आप अनलॉफुल डिक्लेअर कर देते हैं इस अमेण्डमेन्ट के तहत आपने बहुत से नॉन-कॉग्नीजेबल ऑफेंस को कॉग्नीजेबल आफेंस कर दिया है। कोई एसोसियेशन हो तो उसको आप अनलॉफुल डिक्लेयर कर दें, मीटिंग नहीं कर सकते हैं, कोई चीज इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। मान्यवर, आज ऐसे मूवमेंट पैदा हो रहे हैं जो वेज अर्नर्स हैं, कन्जूमर्स हैं, विद्यार्थी हैं, लेबर हैं, एम्पलॉइज हैं, इनके मूवमेंट को दबाने के लिए आप यह अमेंडमेंट कर रहे हैं तो मैं ऐसे अमेंडमेंट का इन्ट्रोडक्शन की स्टेज पर विरोध करता हूं।

(3.53 म. प.)

(श्री फूलचन्द जैन, सभापति, पीठासीन)

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (सूरतगढ़) : सभापति महोदय, राजस्थान क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंड बिल और इसके साथ जितने भी दूसरे बिल आज पेश हो रहे हैं, वह सब आन्दोलनों को कुचलने के लिए हैं, चाहे भंगियों की हड़ताल हो, चाहे वह किसी फैक्ट्री की हड़ताल हो, चाहे वह कर्मचारियों की हड़ताल हो, चाहे वह विद्यार्थियों का आन्दोलन हो, चाहे वह जनता का आक्रोश हो। मैंने सारे बिलों को देखा तो एक शृंखला है बिलों की जिसमें बड़े बड़े आन्दोलनों पर रोक लगाने की सरकार की तमन्ना प्रकट होती है और उसको कार्यान्वित करने के लिए यह बिल पेश किया गया है। विशेष तौर से राजस्थान क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल, 73 जिसके सम्बन्ध में विधि मंत्री ने यह सफाई दी है कि कुछ कानून हमारे साझे में हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि साझे के बिल सारे भारतवर्ष पर लागू होते हैं। आई. पी. सी. और सी. आर. पी. सी. सारे भारतवर्ष में लागू है। यह 1808 के अन्दर गदर को दबाने के लिए, आजादी के सैनानियों के गदर को कुचलने के लिए, राष्ट्र के जागरूक लोगों को कुचलने के लिए, उनकी देश की आजादी की भावना को दबाने के लिए जो भयंकरतम कानून उस समय लागू किए गए वे आई. पी. सी. और सी. आर. पी. सी. में डाले गए और आज हमारी राजस्थान की सरकार इससे भी आगे निकल रही है। उससे भी ज्यादा क्रूर

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

होना चाहती है आन्दोलन को दबाने के लिए। जिस स्वतंत्रता को, जिस आजादी को लोगों ने अपना खून देकर प्राप्त किया है आज की सरकार किसी न किसी तरीके से उस आजादी को कुचल देना चाहती है। क्या कानूनों की कमी है सरकार के पास ? वह लॉ में अमेंडमेंट बिल लाकर जो नॉन-कॉग्नीजेबल ऑफेंस थे उनको कॉग्नीजेबल ऑफेंस बना रहे हैं। धारा 186, 188, 189, 190,228, 295,298,505, 506 और 507 को कॉग्नीजेबल ऑफेंस बना रहे हैं। कॉग्नीजेबल बनाने के बाद किसी भी आदमी की प्रोपर्टी को सरकार ले लेगी। कोई पब्लिकेशन कर रहा है, अखबार निकाल रहा है या किसी किस्म का लीफलेट निकालता है, पीरियोडिकल निकालता है, उन सबको सीज कर सकती है, सरकार। इतना ही नहीं हर किस्म के विरोधी प्रदर्शन को सरकार इस कानून के द्वारा दबा देना चाहती है। इसका सेक्शन 13 तो इतना खतरनाक है कि जिसके जरिए घेराव, प्रदर्शन और यहां तक कि अगर किसी इंडस्ट्री या बिजनेस प्लेस, जिसको फैक्ट्री की डेफिनेशन में ले सकते हैं, उसके पास में भी घूमता हुआ पाया जाय और सरकार कह दे कि यह इस नीयत से घूम रहा है तो वह भी गिरफ्तार किया जा सकता है।

मेरा खयाल है कि दो लाख सत्तर हजार कर्मचारियों के आन्दोलन ने सरकार के दिमाग को हिला कर रख दिया है। हर किस्म के इण्डीविजुअल डिमोंस्ट्रेशन, घेराव, पिकेटिंग के ऊपर, हर प्रकार के प्रदर्शन के ऊपर रोक लगा देना चाहते हैं। अगर आप सारे बिलों को एक साथ पढ़ेंगे तो एक के बाद दूसरे डिपार्टमेंट को कवर करते जा रहे हैं। कोई डेमोक्रेटिक राइट्स को बढ़ाने की बात नहीं आ रही है लेकिन एम्प्लॉइज हड़ताल करते हैं, कर्मचारी हड़ताल करते हैं तो उनको कुचलने की बात आ रही है। हरिजनों को स्टेन्ड करने का अधिकार नहीं दे रहे हैं लेकिन अगर पब्लिक सेक्टर के अन्दर प्रदर्शन होता है तो उसको कुचलने के लिए बिल ला रहे हैं। मैंने अभी तक तीन बिलों को पढ़ा है, बाकी के बिलों में भी ऐसा ही कबाड़ा नजर आता है। सरकार तानाशाही करना चाहती है और तानाशाही करके क्रूर व्यवहार करना चाहती है।

सभापति महोदय, न तो इस तरह से आन्दोलन कुचले जा सकते हैं और न ही जन भावना को रोका जा सकता है। आज देश के अन्दर जो स्थितियां पैदा हो रही हैं, वह स्थिति इस ओर संकेत कर रही है कि किसी भी समय विशाल क्रांति हो सकती है, भयंकर से भयंकर रक्तपात हो सकता है। जब कोई भी आदमी अपने छोटे-छोटे बच्चों को भूख से बिलखते हुए देखता है, तीन-तीन चार-चार दिन में उसको राशन मिलता है जो भी कम पड़ता है। उसकी पर्चेजिंग कैपेसिटी बिल्कुल टूट चुकी है। उसकी पर्चेजिंग केपेसिटी नहीं है, आज एम्प्लॉइज, वर्कर्स, मिडिल क्लास, मार्जिनल फार्मर, स्माल पीजेंट, खेतिहर मजदूर सामने के जीवन की विषमताएं बढ़ती जा रही हैं, जीवन की आवश्यक वस्तुओं का दुष्काल होता चला जा रहा है, किसानों की स्थिति यह है कि मार्जिनल किसानों के पास, छोटे किसानों के पास न उसका खाद है, न बीज है, न उसके पास सीमेंट है, न उसके पास कोई अन्य साधन है सिवाय इसके कि छाती पर हाथ रख कर सरकार का स्यापा

Page No 100

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

कर सकता है, रो सकता है। ऐसी परिस्थितियों में जो क्रांतियां होती हैं उनमें फ्रांस का उदाहरण सामने है जहां पर इससे भी कम बुरी हालत में क्रांति हो गई थी और फ्रांस की पार्लियामेंट के मेम्बरों को गलियों में आकर छिपना पड़ा था। आज अगर यह सरकार और इस सरकार में बैठे हुए पूंजीपति और सरकार के बड़े इजारेदार इसी प्रकार से सोचते रहे तो उनकी गोलियां भी जनता की आवाज को रोक नहीं सकेगी। जलियांवाला बाग की आग भारतवर्ष में धधकती रही है और इस आग को इसी प्रकार धधकते रहने दिया तो आप कभी भी जन आक्रोश को गोलियों और बारूद से नहीं कुचल सकते हैं। आप देश में बढ़ते हुए आक्रोश को नहीं देखते। क्या आप चिली की क्रांति को नहीं देखते जहां चुनी हुई सरकार, जनता के द्वारा वोट की हुई सरकार एक मिनिट के अन्दर उठा कर फेंक दी गई। आज देश के अन्दर ऐसी पार्टियां हैं जो अराजकता पैदा करना चाहती हैं, जो देश में कैओस पैदा करना चाहती हैं और इस प्रकार से ड्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट को बारूद के ढेर में रख देना चाहती हैं और इन धधकती हुई स्थितियों के अन्दर आप इस प्रकार का बिल ला रहे हैं। आज देश के अन्दर दक्षिणपंथी ताकतें निहायत नपे तुले हुए तरीकों से अराजकता पैदा करना चाहती हैं और उसमें साम्राज्यवादी देशों से हथियारों को आते देर नहीं लगेगी। चिली के अन्दर क्या हुआ ? चिली के राष्ट्रपति को जनता ने अपार विश्वास दिया था लेकिन साम्राज्यवादी देशों के हथियार चिली की फौजों के पास पहुंचे और उन फौजों ने वहां के प्रेसीडेन्ट को मार डाला। ऐसी स्थिति में इस प्रकार के बिल लाना उचित नहीं है। लोगों ने अपना खून देकर आजादी प्राप्त की है। लोगों ने इसके लिए संघर्ष किया है और उनके अधिकारों को आप इस बिल के जरिए कुचलना चाहते हैं अगर आपने ऐसा किया तो जनता करवट बदलेगी। जनता को नेतृत्व नहीं मिला तो वह नेतृत्वहीन हो करवट बदलेगी आज देश की जनता प्रगतिशील हो गयी है। इसलिए आपके अन्दर जो रिएक्शनरीज शक्तियां हैं उनसे आप सावधान हो जाइये।

श्री सभापति : श्री झाबरमल सून्डा !

श्री झाबरमल सूंडा: सभापति महोदय, यह जो बिल लाया गया है, यह अमेन्डमेन्ट बिल ठीक वैसा ही है जैसा कि पहले कहा गया था कि इन्दिराजी सारे मामले को सत्ता को स्वंय अपने हाथों में समेटना चहती हैं। वह पूर्णरूप से डिक्टेटर बनना चाहती हैं। इसलिए हमारी पार्टी ने यह नारा दिया है, कि 'इन्दिरा हटाओ'। यह अमेन्डमेन्ट बिल इन्दिराजी की इच्छाओं के अनुरूप ही है। इस बिल में सजाओं के मामले में जो प्रावधान हैं उससे जाहिर होता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है उसके ऊपर एक तरह से अंकुश यह सरकार लगाना चाहती है। हम किसी तरह से, अपनी बात को सामूहिक रूप से, डेमोक्रेटिक रूप से रखने का जो एक तरीका होता है, उस तरीके को नहीं अपना सकें। जनता या कोई एसोसियेशन अपने अभाव सरकार को नहीं कह सके। एसोसिएशन जो होता है, वह अपने कल्याणकारी कार्यों को आगे बढ़ाने का एक तरीका होता है और उन कार्यों को करने हेतु यह बिल यहां पर लाया गया है। इस प्रकार इस बिल के जरिए हमारे प्रजातान्त्रिक अधिकारों को

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। मैं मेरी तरफ से और मेरी पार्टी की तरफ से इस बिल का पुरजोर शब्दों में विरोध करूंगा। कई काले कानून इस देश में हैं। हमारे स्वतन्त्रता हासिल करने से पूर्व जिन कानूनों को हमने काले कानूनों की संज्ञा दी थी। उससे भयंकर काला कानून जो है वह यह है। इस बिल के अन्दर जो प्रावधान है उससे आप लोगों को निःसहाय, असहाय कर देंगे। सभापति महोदय, यह ऐसा बिल यहां पर क्यों लाया गया है ? जैसी मेरी मान्यता है, यह बिल इसलिए लाया गया है कि सरकार ने अभी राष्ट्रीयकरण किया है अनाज का, राष्ट्रीयकरण करने के बाद जो परिस्थितियां बनी हैं, मंहगाई बढ़ी है, इसके खिलाफ जनता आवाज न उठावे और जो कुछ सरकार कर रही है, वह मानती रहे, उसके रास्ते पर चलती रहे, उसके खिलाफ कुछ बोले नहीं और भूखों मरे तो मरती रहे। इसलिए ही यह कानून बनाया जा रहा है कि जनता को राष्ट्रीयकरण के कारण जो जो वेदना हो रही है वह चुपचाप सहती रहे और बोले नहीं। चाहे राष्ट्रीयकरण से जनता को खाने के लिए अनाज नहीं मिलता हो तो भी वह चुप रहे और सरकार को इसके लिए एप्रोच नहीं करे। इसके लिए जनता कोई सामुहिक संगठन नहीं बना सकती है। दूसरी जगह अनाज मिल रहा है या नहीं वह उसके लिए चुपचाप रहें। अनाज मिले तो खावें और नहीं मिले ता चुप रहें। यह एक व्यवहारिक प्रश्न है—इस राष्ट्रीयकरण से समाज तकलीफ पा रहा है, यह राष्ट्रीयकरण चाहे शिक्षा के क्षेत्र में किया हो, समाज सुधार के लिए किया हो, जनता को कोई सुविधा प्राप्त नहीं हो रही है। इस शासन ने यह जो बिल रखा है, मैं समझता हूं, इसका एक बड़ा कारण और है और वह कारण यह है कि कर्मचारियों ने अपनी वाजिब मांगों के लिए हड़ताल की थी, मैं इस समय हड़ताल के विषय के कारणों पर विस्तार से नहीं जाना चाहूंगा, समय पर विस्तार से निवेदन करूंगा, लेकिन इसको लाने में एक कारण यह भी है क्योंकि सरकार उस समय फेल होती जा रही थी। अब भविष्य में इस समस्या पर पर्दा डालने के लिए कि आगे इस प्रकार की समस्या न खड़ी हो, इसके लिए यह सरकार अपनी ओर से भरपूर तैयारी कर रही है—यह मैं मानता हूं। इन बिलों के जरिए आप देश में इस तरह का वातावरण बनाना चाहते हैं और इस डेमोक्रेसी को नष्ट करना चाहते हैं। अगर आपकी यह मंशा नहीं है, डेमोक्रेसी को आप कायम रखना चाहते हैं, इस डेमोक्रेटिक सिस्टम को आप कायम रखना चाहते हैं तो मैं विधि मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वे इस तरह के कानून को वापिस ले लें।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : सभापति महोदय, यहां पर यह जो अमेन्डमेन्ट बिल लाया गया है उसके बारे में मेरे पूर्व वक्ताओं ने विस्तार से अपनी शंकाओं को बताया है। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि इसी सी. आर. पी. सी. के जरिए पाकिस्तान के तानाशाही—अय्यूब और याहिया खां ने शासन किया, जिसे कि संसार का क्रूरतम शासन कहा गया है। आज हिन्दुस्तान में भी यही सी.आर.पी.सी. का कानून एग्जिस्टेन्स में है और उसमें दिए हुए अधिकारों को भी यह प्रजातांत्रिक सरकार नाकाफी समझ रही है। बर्मा में,

(श्री मूलचन्द सामरिया)

सिलोन में भी इसी सी. आर. पी. सी. को काफी समझा जाता है तो आप किस प्रकार से इसको नाकाफी समझ रहे हैं। इस तरह से तो आप जनतन्त्र को समाप्त करने पर तुले हुए हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी रूप में अपने जनतान्त्रिक तरीकों से प्राप्त अधिकारों के जरिए अथवा संविधान में दिए हुए अधिकारों के तहत सभाओं के जरिए, एसोसिएशन के जरिए अपनी अलग से राय व्यक्त नहीं कर सकता है। वह किसी भी संगठन में जाकर सरकार के खिलाफ अपनी आवाज को नहीं उठा सकता है। आज हमारे प्रान्त के लोगों को खाने के लिए अनाज नहीं मिलता है, लोगों को चीनी नहीं मिल रही है, कोयला नहीं मिलता है और लोग भूखे मर रहे हैं। एक तरफ तो यह हो रहा है, दूसरी तरफ हमारे मिनिस्टर महोदय इन्हीं कामों के लिए रिश्वत ले रहे हैं और बड़े बड़े लोगों को ब्लैक मार्केट करने के लिए छूट दे रहे हैं। क्या यह सरकार का न्याय है? अगर लोग इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं तो उसको कुचलने के लिए अमेन्डमेन्ट लाया जा रहा है। कोई व्यक्ति भूखों मर रहा है और सरकार को अपनी वाजिब बात कहना चाहता है, वह विवेकपूर्ण तरीकों से कोई बात सरकार को कहना चाहता है, तो सरकार इस बिल के जरिए उसकी जुबान पर ताला लगाना चाहती है। यह अमेन्डमेन्ट इसी बात का द्योतक है और जनतन्त्र का जनाजा निकलने वाला है। यह सरकार समाजवाद की भावना रखती है। अगर इस सरकार को समाजवाद में एक पर्सेन्ट भी भावना है तो मैं समझता हूँ कि इस सरकार को इस प्रकार का अमेन्डमेन्ट लाने में शर्मिन्दा होना चाहिए। आज हमारी यह सरकार कई प्रकार के कानूनों के हथियारों से लैस है, आप उन्हीं का इस्तेमाल सही तरीके से करें तो इन कानूनों की कोई आवश्यकता नहीं है। कौनसा संगठन अवैधानिक है, कौनसी एक्टीविटीज गैर कानूनी हैं इसका फैसला इस कानून के मुताबिक एक नॉन मैट्रिकुलेट करेगा और वह व्यक्ति अवश्य ही मिनिस्टर का मर्जीदान होगा, नेताओं का मेहरबान होगा और नेताओं के इशारे पर वह यह निर्णय करेगा कि जनता का एक एक्शन गैर कानूनी है, वह उस जनता, जो सर्व शक्तिमान है, जो इस जनतन्त्र में सरकार की मालिक है, के प्रतिनिधि लोगों को जेल में डाल सकता है, उनकी सम्पत्ति को जब्त कर सकता है। इस प्रकार का अधिकार इस अमेन्डमेन्ट के जरिए आप पुलिस को देना चाहते हैं। इसलिए आप चाहे कर्मचारी आन्दोलन को ले लें, चाहे भूखे-नंगों के प्रदर्शन को ले लें, चाहे रिश्वत खा-खा कर जायदाद जो इकट्ठी आपने की है उसको छिपाने के लिए दूसरों की जबान पर ताला लगाने के हिसाब से करें, लेकिन यह राजस्थान की जनता का दुर्भाग्य है कि राजस्थान की जनता ने जो स्वतन्त्रता की लड़ाई में भाग लेकर जिस स्वतन्त्रता को हासिल किया है उस स्वतन्त्रता से इस कानून के द्वारा उसको विमुख किया जा रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उन अंग्रेजों ने, जिनको विदेशी कहा जाता था और जो विदेशी थे, जिन्होंने देश का शोषण किया और जिन्होंने लोगों को गोलियों से भून दिया, जिन्होंने बड़े-बड़े अन्याय किये, फिर भी इस तरह का कानून नहीं बनाया। (समय समाप्ति-सूचक घंटी) मैं आप लोगों के विवेक की दाद देना चाहता

(श्री मूलचन्द सामरिया)

हूं। इससे आप कौनसा अधिकार लेना चाहते हैं ? कौनसा कानून आपको कुछ करने के लिए रोकता है ? आज सारे कानूनों को इकट्ठा किया जाय और उनको इम्प्लीमेन्ट किया जाय तो सोकर उठने वाले व्यक्ति को अंगड़ाई लेने से भी रोक सकते हैं। उसको भी आप न्यूसेंन्स के नाम पर दफा 109 में धर सकते हैं। कोई व्यक्ति इधर-उधर घूम रहा है तो उसको भी आवारा-गर्दी में धर सकते हैं। 151 में भले से भले आदमी को जेल भेज सकते हैं। फिर मेरी समझ में नहीं आता है कि आपकी अविवेकपूर्ण नीतियों के कारण जो जनता तंग आ रही है उसको दबाने के लिए और अपने काले कारनामों पर पर्दा डालने के लिए यह कानून आप ला रहे हैं। इसके लिए आप को डूब मरना चाहिए और माफी मांग कर इस एमेंडमेंट को वापिस लेना चाहिए।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (हवामहल, जयपुर) : सभापति महोदय,.........

श्री केशरीमल : सभापति महोदय,....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, इस स्टेज पर कोई डिबेट नहीं हो सकती है। अगर आप इसका विरोध करना चाहते हैं तो वह स्टेज अब इसमें आ रही है उस समय माननीय सदस्य अपने विचार रख सकते हैं। अभी तो जो आगे का बिजनेस है उस पर चलना चाहिए।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय सभापति जी, आपका यह कथन है कि....

श्री केशरीमल (ब्यावर) : सभापति महोदय, मेरा यह निवेदन है कि यह जो एमेंडमेंट चल रहा है उसका मुख्य मुद्दा यह है कि आज जो देश के अन्दर प्राइसेज बढ़ रही हैं, मंहगाई से जनता जिस तरह से पीड़ित है जिसके लिए वह उनसे पूछना चाहती है और वे जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो वह जनता चाहे मजदूर हो, किसान हो, या किसी तरह के कर्मचारी हों, वे अपने बचाव के लिए, अपनी जिन्दगी को चलाने के लिए कोई आन्दोलन करते हैं, कभी कहीं पर कोई धरना लगाते हैं, कोई भी घेराव करते हैं, कोई कहीं पर बैठते हैं, कहीं ऐसा मीटिंग करते हैं, और कभी कभी ऐसी स्थिति भी आती है कि 144 दफा तोड़कर कुछ मीटिंग करनी पड़ती है, उसको आप रोकना चाहते हैं। माननीय सभापति महोदय, मेरी समझ में नहीं आया कि आज हमारे देश के अन्दर यह जो हिंसा से दूर रहने वाली सरकार है वह कैसे घबरा गई। सी. आर. पी. सी. का कानून मेरे ख्याल में बहुत कुछ पुराना है जिसके बनाने वाले अंग्रेज थे, जिन्होंने कि धारा 144 और धारा 188 और बहुत सी ऐसी धाराएं बनाईं और उन लोगों ने जब यह कानून बनाया तो कांग्रेस का उनसे जबरदस्त संघर्ष था। उस समय हम सत्ता लेना चाहते थे, सत्ता छीनना चाहते थे और गुलामी से मुक्त होना चाहते थे और साम्राज्यवादियों के चंगुल से छूटना चाहते थे। उन लोगों ने हमारे पर जुल्म किये और उनके जुल्म करने की कोई सीमा नहीं थी, उन्होंने भी कानून को इस तरह की मंशा से नहीं बनाया जिस मंशा से आज यह कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। जिन लोगों को 188 के मातहत गिरफ्तार कर

(श्री केशरीमल)

लिया जाएगा उन लोगों की जमानत नहीं होगी। मेरी समझ में नहीं आता कि आप अंग्रेजों से कैसे बदतर होते जा रहे हैं। साम्राज्यवादियों से बदतर तरीका कैसे अख्तियार कर रहे हैं। हमारे देश को लेकर कहां जा रहे हैं? क्या यह स्थिति उत्पन्न करना चाहते हैं कि यहां के मजदूर और गरीब लोगों को नाज नहीं मिले और अपनी बात कहने के लिऐ चलें, जुलूस निकालें, मीटिंग कर लें, और अपनी बात को कहने के लिए किसी अधिकारी के सामने धरना लगायें तो वह इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, न जुलूस निकाल सकते हैं, उनकी न जमानत होगी और न वह सरकार के पास जायेंगे। तो यह हमला सीधा मजदूर वर्ग पर है, उन मजदूरों पर है, जो आपकी नीतियों की वजह से पीड़ित हैं। आखिर आपकी सरकार क्या करने जा रही है? एक तरफ तो जनता को खाने को नहीं मिलता है। स्ट्राइक कर दें तो दो-तीन महीने तक यह सरकार स्ट्राइक को सुलझाने के लिए कोई प्रयास नहीं करेगी, और मजदूरों पर और कर्मचारियों पर लाठी बरसायेगी और कई तरह के जुल्म और अत्याचार करेगी। और यदि मजदूर यह कहें कि हम अपनी बात करने के लिए मीटिंग करेंगे, घेराव करेंगे तो आप इस तरह का कानून बनाकर उनकी आवाज को चुप कराना चाहते हैं, उनकी आवाज को बन्द करना चाहते हैं।

माननीय सभापति महोदय, यह जो अधिकार है, यह हमें हमारे आजाद होने के बाद हमारे संविधान और हमारी मान्यताओं से मिला है उसको छीन लेना चाहते । किसी को कोई बात कहने की गुन्जायश नहीं रहेगी, कोई इकट्ठे नहीं हो सकेंगे, कोई प्रदर्शन नहीं कर सकेंगे, हम अपनी बातों को वैधानिक तरीके से सामने नहीं ला सकते हैं, क्या ऐसी स्थिति का निर्माण इससे सरकार करने जा रही है जिससे कि सीधा और खूनी संघर्ष सड़कों पर हो, लड़ाई हो? एक तरफ सरकार बन्दूक उठाए और दूसरी तरफ जनता बन्दूक उठाए, क्या ऐसी स्थिति का निर्माण सरकार करने जा रही है? भूखा आदमी है और पूंजीवादी समाज से लोग पीड़ित होकर चुप हो जायं, अपनी आवाज को बन्द कर लें, या फिर मुकाबले में लड़ाई के लिए उनको तैयार होना पड़ेगा क्योंकि समाज से पीड़ित लोग इकट्ठा होकर अपनी बात कहने का, प्रदर्शन करने का अधिकार छिन जाने के बाद कोई गुन्जायश नहीं है, इसलिए हमें सीधी लड़ाई के लिए तैयार होना चाहिए। (समय-समाप्ति-सूचक घन्टी) मैं, सभापति महोदय, आपके जरिए से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार जिस रास्ते पर जा रही है, जो रास्ता यह अखत्यार करने जा रही है, जिस तरह का अमेंडमेंट आज सरकार लेकर आ रही है, उससे साफ लगता है कि वह जनता विरोधी कार्य कर रही है, वह हिटलरिज्म की ओर दौड़ रही है और जनता को चुनौती दे रही है संविधान कानून और कायदे उनके फायदे के लिए नहीं हैं, उन्हें खुलकर सरकार से लड़ना चाहिए। आप ऐसी परिस्थितियों का निर्माण कर रहे हैं इसलिए इसको वापिस लेना चाहिए।

श्री **गिरधारीलाल भार्गव** : सभापति महोदय, मेरी प्रार्थना यह है कि मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर ...

श्री **सभापति** : आप पहले बोल चुके हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मेरे पॉइंट ऑफ ऑर्डर का काल कर दें उसके बाद मेम्बर साहबान को बोलने का मौका दें। इसलिए मेरी आपसे यह प्रार्थना है कि यह बेकार वाद-विवाद किस पर हो रहा है। इस सदन का समय बहुमूल्य है। भूतपूर्व मुख्य मन्त्री श्री सुखाड़िया जी ने कहा था कि इस सदन का समय इतना बहुमूल्य है कि इसके एक मिनिट पर चार हजार का खर्चा होता है। मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें लिखा है "जिसे राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायगा"। "पुरःस्थापित" का मतलब यह है, माननीय सभापति महोदय, कि आप जो बिल है उसकी कापी खोलकर बैठ जायं और एक तरफ एमेंडमेंट को खोलकर बैठ जायं, फिर संशोधन कर दें। मूल बिल पास नहीं हुआ है। किसी लाइब्रेरी में नहीं है। एमेंडमेंट किस में लाने के लिए पुरःस्थापित किया है ? अगर यह बात है कि मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर समझ में नहीं आता तो मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों को जबान की कसरत करने के लिए समाचार पत्रों में नाम आजाय उसकी उनको अनुमति दे रहे हैं। जो कानूनी मुद्दा आपके सामने उठ रहा है उसको इग्नोर कर रहे हैं। जब मूल कानून ही नहीं है तो संशोधन का प्रश्न ही खड़ा नहीं होता है। इसलिए मैं कहता हूं कि राजस्थान के मन्त्री महोदय, जो कि इस बिल को इन्ट्रोड्यूस कर रहे हैं, इसमें एमेंडमेंट करना चाहते हैं, वह बिल ही नहीं है तो यह कानूनी डिफेक्ट है, जो कि सदन में मैं रख रहा हूं। इसलिए इसको वापिस लेना चाहिए।

दूसरे माननीय सदस्य बड़े गम्भीर हैं कि हमारे प्रदर्शनों पर पाबन्दी लगाई जायगी। माननीय सभापति महोदय, मुझे बोलने का अधिकार है। मैंने कई प्रस्ताव दिए हैं। मैंने ऑर्डिनेंस को जनमत जानने के लिए प्रस्ताव रखा है उस पर भी बोलूंगा। आप चाहते हैं कि कानूनी तौर पर बोलना चाहिए तो मैं उसी तरह से बोल रहा हूं चाहे 6 बज जायं या आठ बज जायं। एक कानून में कोई डिफेक्ट रह गया है तो यह मेरा कर्त्तव्य है कि उसकी ओर आपका ध्यान दिलाऊं और किन आधार पर पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर रेज कर रहा हूं, आप बता दीजिए, मूल विधेयक को बता दीजिए कि पहले कानून कब पास किया। फिर उसमें संशोधन करने का प्रश्न पैदा होगा। एक बात। दूसरी बात है जो बार बार मैं निवेदन कर रहा हूं। इसको देखने का लोगों को कम समय मिला है क्योंकि छुट्टी के दिन डाक मिली है। इसकी डिटेल्स में मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन इसमें तीन वर्ष की सजा और छः महीने की सजा का प्रावधान है। जो ऑर्डिनेन्स जारी किया है उसमें तीन वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है। इसमें इतनी जल्दी हम अमेंडमेंट नहीं दे सकते····

श्री सभापति : अभी बिल पुरःस्थापित किया जा रहा है। जब विचारार्थ लिया जाय उस समय यह आपके सामने आयेगा। इस पर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का जो डिसीजन होगा उसके अनुसार आपके सामने आयेगा और तब आपको मौका मिलेगा।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : पुरःस्थापित कैसे किया जा रहा है ? मेरी मोटी सी बात समझ में नहीं आ रही है, आप विधान सभा के मेम्बर कैसे बन कर आ गए हैं····

श्री प्रद्युम्नसिंह : माननीय सदस्य कैसे बन कर आ गए हैं ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आप हां पक्ष, ना पक्ष कह कर पास कराने के लिए बैठे हैं। मैं जो कह रहा हूं उस पर गम्भीरतापूर्वक विचार नहीं कर रहे हैं। मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मूल बिल को सदन की टेबिल पर रख दीजिए, फिर इसमें अमेंडमेंट रखा जाय। माननीय सभापति महोदय, पहले आप इस पर निर्णय दें...

श्री सभापति : आप यह पहले कह चुके हैं। पहले भी कह चुके हैं, आपको नई बात कहनी हो तो कहिए।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय सभापति महोदय, पहले यह राजस्थान दण्ड विधि विधेयक कब पास हुआ था ?....

श्री सभापति : माननीय सदस्य ! स्थान ग्रहण करें !

श्री गिरधारीलाल भार्गव : संशोधन करने की बात तब आती है जब पहले कानून बना लिया हो। आप किसमें संशोधन करना चाह रहे हैं ? यह अन्धे को भी दिखता है। बहुमत में सत्तारूढ़ दल है। वह बहुमत के मद में अन्धा होकर जो कानूनी पक्ष है उसको स्वीकार नहीं कर रहा है। मैं समझता हूं कि सत्तारूढ़ दल इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न समझ रहा है। आप रूलिंग सत्तारूढ़ दल के प्रभाव में आकर देना चाहें तो आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। मैंने अपना कर्त्तव्य यहां पर पूरा किया है।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान दण्ड विधि (संशोधन) विधेयक, 1973 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री गोकुलचन्द : जीत गए न भार्गव साहब।

श्रीमती कमला बेनीवाल : सभापति महोदय, मैं राजस्थान दण्ड विधि (संशोधन) विधेयक, 1973 को पुरःस्थापित करती हूं।

राजस्थान अत्यावश्यक सेवायें अनुरक्षण (संशोधन) विधेयक, 1973

श्री सभापति : राजस्थान अत्यावश्यक सेवायें अनुरक्षण (संशोधन) विधेयक, 1973।

श्रीमती कमला बेनीवाल : सभापति महोदय, मैं राजस्थान अत्यावश्यक सेवायें अनुरक्षण (संशोधन) विधेयक, 1973 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करती हूं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : सभापति महोदय, मैं इसका विरोध करता हूं और मैं विरोध इसलिए कर रहा हूं कि राजस्थान सरकार उस सम्बन्ध में कानून बना सकती है जिसमें वह समझती है कि यह काम लोकोपयोगी है। यह उसकी दृष्टि में होगा। कहीं कोई हड़ताल हो रही है कि कहीं कोई संगठन बना रहा है तो उसको अवैध करने का अधिकार राज्य सरकार राज्य-पत्र में अध्यादेश की घोषणा करके ले ले और उसको इल्लीगल करार दे दे। इस प्रकार राज्य कर्मचारियों का जो आन्दोलन चला, उस प्रकार नगर पालिका या पंचायत के कोई भी लोग कहीं हड़ताल करें तो गजट में राज्य सरकार नोटिफिकेशन कर दे और उनको जेल में ठूंस दे। राज्य

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
सरकार यह करना चाहती है कि हड़तालियों को बिना वारन्ट के गिरफ्तार किया जा सकता है। इस प्रकार के अधिकार लेना सदन के द्वारा तनतन्त्र के लिए घातक है।

इसके अलावा इसमें जो कहा गया है उसका पालन नहीं हो रहा है इसमें है:

(2) उप-धारा (1) के खण्ड (क) के उप खण्ड (4) के अधीन किसी सेवा को अत्यावश्यक सेवा घोषित करने वाली अधिसूचना उसके जारी किए जाने के यथा-शीघ्र राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखी जायगी।

राजस्थान विधान मण्डल ? यह विधान मण्डल नहीं, विधान सभा है। विधान सभा छः महीने के बाद होगी तो पता नहीं कब विधान सभा के समक्ष आयेगा इसमें लिखा है, यथा शीघ्र। यथाशीघ्र की परिभाषा नहीं है। एक महीने, दो महीने, तीन महीने ? इसकी परिभाषा होगी कि छः महीने में रखेंगे।

फिर कहा है।

"दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 5, सन् 1898) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई पुलिस अधिकारी इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी अपराध के लिए युक्तियुक्त तौर पर सदिग्ध किसी व्यक्ति को बिना वारन्ट गिरफ्तार कर सकता है।"

मैं समझता हूं कि थानेदार वारन्ट दिखा कर किसी को थाने पर ले जा सकता है। इसके द्वारा बिना वारन्ट पकड़ने का अधिकार देने जा रहे हैं। आपने केवल राज्य कर्मचारियों के लिए नहीं किया है, स्वायत्त शासन संस्थायें, नगरपालिकायें, पंचायत समिति आदि हैं, इनमें कोई आदमी स्ट्राइक करे तो बिना वारन्ट के उसको पकड़ लिया जायगा। इसलिए यह घातक बिल है।

इसके अलावा मैं निवेदन करूंगा कि कार्य सूची में लिखा है:

"प्रक्रिया के नियम 63 के अन्तर्गत राजस्थान अत्यावश्यक सेवायें अनुरक्षण (संशोधन) अध्यादेश, 1973 (अध्यादेश संख्या 7, सन् 1973) को जारी करने के कारणों के विवरण को भी सदन की मेज पर रखेंगे।"

मैं माननीय मंत्राणी से निवेदन करूंगा, किस कारण से कौनसी आवश्यकता आ गई, राजस्थान में कौनसा पहाड़ टूटा जा रहा है, जिसके कारण यह बिल यहां रखे जाने की नौबत आ गई ? माननीय मन्त्राणी इस सम्बन्ध में स्टेटमेंट दें, क्या कारण है, जिस कारण से इस बिल को इस विधान सभा के सामने रखने की आवश्यकता पड़ गई, इसका ऑर्डिनेन्स निकाला गया और अब जब विधान सभा का सत्र हो रहा है तो इसको बिल के रूप में लाया जा रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं इस बिल को पास कराना था तो राजस्थान विधान सभा को पहले बुलाते। पहले ऑर्डिनेन्स निकाल कर राज्य सरकार चोर दरवाजे के द्वारा राज्य कर्मचारियों को दबाने का कार्य करती है। इस बिल की क्यों राज्य सरकार आवश्यकता महसूस करती है,

(श्री गिरंधारीलाल भार्गव)

इसके लिए मन्त्राणी जी से निवेदन करता हूं कि इस बिल को लाने के कारणों पर वक्तव्य दें ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सभापति महोदय, माननीय मन्त्री जी ने राजस्थान इसेन्शियल सर्विसेज मेन्टेनेन्स बिल, 1973 में अमेंडमेंट पेश किया है। मैंने इस बिल को देखा है और इस बिल को मैं काले बिल से कम की संज्ञा नहीं दे सकता। इस बिल से सीधे-सीधे वर्कर्स के, एम्प्लॉइज के, जो भी पब्लिक सेक्टर में है, उनके ट्रेड यूनियन राइट्स पर कुठाराघात होगा। एक क्लॉज के जरिए आप अधिकार लेना चाहते हैं कि एक्जिस्टिंग इसेंशल सर्विसेज मेन्टेनेन्स एक्ट के तहत जिन सर्विसेज को इसेंशियल डिक्लेअर नहीं कर सकती, जिसका परव्यू, जुरिस्डिक्शन जिस हद तक नहीं था, इस बिल के जरिये आप उस तक इसके परव्यू को फैलाना चाहते हैं। इसका मतलब यह है कि आप तमाम पब्लिक सेक्टर की इण्डस्ट्रीज, चाहे वह कॉर्पोरेशन हो या और कोई हो उन सबको कवर अप करना चाहते हैं और उनकी एक्टीविटीज को आप इस एक्ट के तहत रखना चाहते हैं। दूसरे प्रोविजन के जरिये आप जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का सेक्शन 151 है, जिसके अन्तर्गत हर पुलिस ऑफिसर को, अगर उसके सामने या उसकी नजर में कोई कॉग्नीजेबल ऑफेन्स कमिट हो रहा हो तो बिना वारन्ट के गिरफ्तार करने का अधिकार दिया हुआ है। आप इस बिल के जरिये 151 सी. आर. पी. सी. से भी आगे बढ़ाना चाहते हैं और इस बिल में यह कहना चाह रहे हैं कि जो इस इसेंशियल सर्विसेज मेन्टेनेन्स एक्ट के तहत किसी भी तरह का ऑफेन्स करें या उनकी इन्टेन्शन हो तो उसको पुलिस ऑफिसर बिना वारन्ट के गिरफ्तार कर सकता है। 151 का जिस तरह से दुरुपयोग होता है, पर्सनल लिबर्टी के ऊपर जिस तरह 151 कुठाराघात करता है, जिस प्रकार पॉलिटिकल लीडर्स, वकर्स को आम तौर पर, उसके तहत गिरफ्तार करके बन्द कर दिया जाता है, आज इस धारा को इस बिल में रख कर उससे भी वाइडर पावर ले रहे हैं जिससे कोई स्ट्राइक या कोई मूवमेंट करें वह नहीं कर सकते हैं। उसको गिरफ्तार करके रख दो यह पावर आप इसके जरिये ले रहे हैं। जिस तरह आपने इन पावर का इस्तेमाल किया है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की स्ट्राइक के दौरान में, जिस तरह से इस ऑर्डिनेन्स को निकाल कर अपने आपको आर्म किया और उसका इस्तेमाल किया है मैं समझता हूं, आज इस बात को समझने और समझाने की जरूरत नहीं रही है कि इस बिल की भयंकरता क्या है और इस कानून से आपकी मन्शा क्या है। मैं समझता हूं कि सरकारी कर्मचारी, जो इस सरकार के आर्म्स हैं और जिनके जरिए आप अपनी नीतियों को एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, उन्होंने भी आपकी मन्शा को, आपकी नीयत को, अमली रूप से, अच्छे तरीके से देखा है और जिस तरीके से आपने कई कर्मचारियों को, हालांकि उनकी तरफ से कुछ भी नहीं किया गया, उनके घरों पर छापा मार कर स्ट्राइक के दौरान गिरफ्तार कर लिया केवल इसलिए कि वे शायद हड़ताल में शामिल हैं या होना चाहते हैं। भारत की प्रधान मंत्री ने लोक सभा में यह विश्वास दिलाया कि हमारी पार्टी का कोई इरादा वर्कर्स के राइट ऑफ स्ट्राइक को छीनने का नहीं है। तो मैं जनाना चाहता हूं

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

कि क्यों राज्य सरकारें उससे आगे जाना चाहती हैं ? आप वर्कर्स के राइट ऑफ स्ट्राइक को इनडाइरेक्ट तरीके से इस प्रकार से कुचल देना चाहते हैं, जो उनका डेमोक्रेटिक राइट है ? आपकी प्रधान मंत्री ने इस बात की घोषणा कर दी है आपको पसंद आए या नहीं । प्रधान मंत्री ने मेहरबानी करके घोषणा नहीं की है, यह हिन्दुस्तान के वर्किंग क्लास के लिये चैलेंज है, इसका एटक और एच. एम. एस. ने ही नहीं बल्कि इंटक ने भी तीव्र विरोध किया है बावजूद इसके कि वह कांग्रेस से एफिलिएटेड है। कोई भी काम करने वाला मजदूर इस बात को बरदाश्त नहीं करेगा कि उसके जो मौलिक अधिकार हैं शोषकों से लड़ने का उन पर अंकुश लगाया जाए । जो क्रिमिनल ला एमेंडमेंट बिल यहां पर पेश किया गया और बावजूद हमारे विरोध के इन्ट्रोड्यूस करने दिया गया । मैं इस बात से सहमत हूं कि ये तीनों बिल्स: क्रिमिनल अमेंडमेंट बिल, दूसरा इसेंशियल सर्विसेज वाला और तीसरा जिला परिषद वगैरह संशोधन बिल, एक ही चेन है और आप डिफरेंट सर्विज से डील करने के लिए, उनको क्रश करने के लिए, अपने आप को हथियारबंद करना चाहते हैं । इस तरीके से जो अधिकार ले रहे हैं, 1947 से आज तक 26 वर्ष तक शोषण करने के बाद, आपने पहले कभी यह महसूस नहीं किया । जब आप क्रिमिनल ला और इसेंशियल सर्विसेज बिल लाए, उसका भी हमने विरोध किया था और आज भी हम इसके विरोधी हैं । आज आप उस कानून को ज्यादा हार्श बनाना चाहते हैं, 151 की पावर्स को वाइड कर रहे हैं । इसके अन्दर जो सेक्शन 8 है । सेक्शन 7 को अमेंड करके आप सी. पी. सी. सेक्शन 15 से भी ज्यादा वाइड पावर्स ले रहे हैं और सेक्शन 8 को अमेंड कर रहे हैं । सेक्शन 8 में है :

"The provisions of this Act and of any order issued thereunder shall have effect notwithstanding anything in consistent therewith contained in the Industrial Disputes Act, 1947 or in any law for the time being in force."

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट हिन्दुस्तान के वर्किंग क्लास का अपने एम्प्लॉयर्स से अपने शोषकों से लड़ने का एक हथियार है । आप इस कानून में यह धारा रखना चाहते हैं कि चाहे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के तहत मजदूरों या कर्मचारियों को, जो अधिकार मिले हुए हैं, उनको भी आप साइडट्रैक करके, फ्लाऊट करके, उन अधिकारों को छीनना चाहते हैं । मुझे आश्चर्य है कि इतनी बहस हुई आज सवेरे कि महंगाई और जमाखोरी के सवाल को पहले लिया जाए, लेकिन आपको उसकी अहमियत और प्रायरिटी महसूस नहीं हुई । आपने खुद अपने दिमाग से एजंडा में नहीं रखा । यह सवाल आपकी ही तरफ से एजंडा में सबसे पहले आना चाहिए था ।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह क्रिमिनल ला एमेंडमेंट बिल, इसेन्शियल सर्विसेज बिल और पंचायत समिति एवं जिला परिषद्

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

विधेयक 6 महीने के बाद सदन में लाए और हमको उपहार दिया। आज जो लोग बाहर छापा मार रहे हैं, दफ्तरों को घेर रहे हैं उनको पहले दिन यह कहते कि बजाय 4 किलो के 8 किलो राशन कर रहे हैं, इस तरीके की सुविधा कर रहे हैं और हम कीमतों को बांध रहे हैं और राशन पर चीजें मिलेंगी। वह तो नहीं दे रहे हैं और ये अध्यादेश सबसे पहले दे रहे हैं। इन संशोधनों के जरिए आप चाहते हैं कि उनको जेलों में भेज सकें, गिरफ्तार कर सकें और उनके अधिकारों को कुचल सकें। यह काला कानून है जिसको किसी भी डेमोक्रेटिक संस्था के लोग कभी पसंद नहीं करेंगे। मैं कांग्रेसजनों से खास तौर से जो डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहे हैं, जो प्रोग्रेस के लिए लड़ रहे हैं, जो स्टेटस-को कायम करने के लिए एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, जो 1969 के बाद डाइनामिज्म आई है उसके लिए लड़ रहे हैं, उसके लिए निवेदन करूंगा कि वे विचार करें, सिर्फ पार्टी को मानकर हाथ नहीं उठायें, अभी 4 दिन आपके सामने हैं। अभी इन्ट्रोडक्शन स्टेज है, आप पार्टी मीटिंग बुलायें। इन कानूनों में संशोधन करके इनको रीएक्शनरी और काला कानून बना रहे हैं, जिससे प्रोग्रेसिव इमेज, जो कांग्रेस ने गेन की है वह उल्टे खराब हो रही है। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक के इन्ट्रोडक्शन का विरोध करता हूं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : सभापति महोदय, यह दुर्भाग्य है कि एक के पश्चात् एक जो विधेयक आप प्रस्तुत कर रहे हैं, वे जनतंत्रीय भावनाओं के विरुद्ध, जनता के द्वारा अपने अधिकारों की रक्षा के लिए, जो वैधानिक इलाज है, संघर्ष करने का प्रावधान है, उनको जकड़ने के लिए, समाप्त करने के लिए रखे जा रहे हैं। कहा जाता है कि जन कल्याणकारी राज्य में कर्मचारियों व मजदूरों के लिए छोटे तबके को आगे बढ़ाने के लिए हम योजनायें बनाते हैं, प्रावधान रखते हैं....

श्री सभापति : इसका विरोध प्रकट करने के लिए जितना ही संक्षेप में विचार रखें, उतना ही अच्छा होगा।

श्री गुमानमल लोढ़ा : सभापति महोदय, मैं नहीं समझ सका कि आखिर संविधान बनाने वाले विशेषज्ञों, संविधान बनाने वालों ने, राष्ट्र के निर्माताओं ने, देश के नेताओं ने संविधान में धारा 19 का निर्माण क्यों किया ? इसके द्वारा कहा गया कि मौलिक अधिकार होगा, हर कर्मचारी, हर मजदूर का कि वह अपनी बात को मनवाने के लिए आंदोलन करें, हड़ताल करें और नारा लगाया जाता है और कहा जाता है कि आज के युग में अपनी उचित मांगों को ले आयें, हम विचार करेंगे और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट है, ट्रेड यूनियन्स एक्ट है, दुनिया भर की चीजें हैं, लेकिन सब पर पानी फेरने के लिए एक एटम बम्ब, एक हाइड्रोजन बम्ब राज्य सरकार अपने हाथ में लेना चाहती है। कौन चाहेगा कि यह जो असेन्शियल सर्विसेज बिल है उसके साथ नोटीफिकेशन निकालेंगे कि यह हड़ताल गैर कानूनी है, जो भाग ले रहे हैं, उनको जेल में बन्द कर दो, वहीं बिना ट्रायल के सजा दे दो। सभापति महोदय, अभी पिछले दिनों में जब राजस्थान में राज्य कर्मचारियों का आन्दोलन हुआ तो आपने यह नोटिफिकेशन निकाल कर इस ऑर्डिनेन्स के जरिये आपने सैंकड़ों लोगों को बिना ट्राइल किये दो-दो महीने, चार-चार, छः-छः महीनों की सजा दे दी।

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

लेकिन सभापति महोदय, आखिर सरकार को सरकारी कर्मचारियों के सामने, सरकार को जनता के सामने उनकी जायज मांगों के आगे झुकना पड़ा। राज्य सरकार को अपनी गलत नीतियों के कारण झुकना पड़ता है, अथवा बाद में अपने गलत आदेशों को वापिस लेना पड़ता है, उन्हें विदड्रा करना पड़ता है। अब राज्य सरकार ऐसा काला कानून पास करा कर हमेशा के लिए अपने कर्मचारियों को, अपनी जनता को हड़ताल करने, घेराव नहीं करने देने के लिये यह कानून पास करके उन्हें समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन मैं समझता हूं सभापति महोदय, इस प्रकार के कानून अगर सरकार अपने प्रदेश में बनायेगी तो मैं समझता हूं कांग्रेस का शासन समाप्त हो जायगा। मुझे दुःख है सभापति महोदय, कि आज सरकार इस प्रकार के काले कानून पास करा रही है। आज स्थिति ऐसी है कि जब महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है, कीमतें बढ़ रही हैं; चोर बाजारी, काला बाजारी फैल रही है, तब लोग चीजें नहीं मिलने पर कहीं हड़ताल नहीं करें, बन्द नहीं करें, घेराव नहीं कर सकें, अपनी मांगों को लेकर इसके लिये आप यह सभी कर रहे हैं। होना तो यह चाहिये था कि राज्य सरकार को अपने कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिये उनसे बैठकर बातचीत करते। आज आप इन काले कानूनों को पास करके जो आपके इण्डस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट बना हुआ है, जिसके मार्फत गरीब जनता, गरीब मजदूर और कर्मचारी वर्ग अपनी मांग को राज्य सरकार के सामने रख सकते हैं, उन्हें आप हमेशा के लिए गैर कानूनी घोषित कर देंगे। आप इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट को सुपरसीड कर रहे हैं, इस बिल को पास करके। आज आपने इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अन्तर्गत लेबर ऑफिसर एपोइन्ट कर रखे हैं ताकि वे मजदूरों और मालिकों के बीच समझौता करा सकें। आप आज इस काले कानून को पास करके उनके सभी अधिकार छीन रहे हैं।

सभापति महोदय, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप पहले विधान सभा बुलाते नहीं ताकि जनता के प्रतिनिधि जनता की तकलीफों को राज्य सरकार के सामने रख सकें और जब पूरे छः महीने समाप्त होने को थे तब आप ऐसे कानून पास करने जा रहे हैं। आज पिछले छः माह में कितनी महंगाई बढ़ी है, बाजार में अनाज नहीं, वनस्पति नहीं और काला बाजारी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, मंहगाई बढ़ गयी है और बढ़ रही है तो जनता, कर्मचारी, मजदूर अपनी मांगों को नहीं रख सकें आप ऐसा काला कानून पास करके जले पर नमक छिड़क रहे हैं, इट इज एडिंग इन्सल्ट टू इनजरी। अगर छः महीने में एक बार विधान सभा बुलाने का प्रावधान नहीं होता तो यह सरकार विधान सभा भी नहीं बुलाती। सभापति महोदय, अभी पिछले सरकारी कर्मचारियों के आन्दोलन में, जो लाठी चार्ज वगैरह हुए हैं, जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था उनके कारणों को देख कर उनका समाधान होना चाहिये। आज 26 वर्ष देश आजाद हुए हो गये हैं, जो हमारे अधिकार हैं जनता, मजदूरों के, सरकारी कर्मचारियों के उन्हें समाप्त किया जा रहा है। राजस्थान के मुख्य मन्त्री इस बात का दम भरते हैं कि वे प्रगतिशील हैं, प्रगतिवादी हैं क्या वह इस प्रकार के काले कानून बना कर हमें आगे बढ़ाना चाहते हैं।

श्री सभापति : श्री केशरीमल !

श्री केशरीमल (ब्यावर) : सभापति महोदय, आज जो सदन में बिल पेश हुए हैं, जिसमें क्रिमनल ला एमेन्डमेन्ट बिल, असेन्शियल सर्विसेज बिल और राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद् बिल लाया जा रहा है। यह सभी बिल जनता के, मजदूरों के और सरकारी कर्मचारी, जो भी हैं, चाहे वे सरकारी कर्मचारी हैं या पंचायतों के कर्मचारी वह सभी लोग इन बिलों के पास हो जाने के बाद अपनी वाजिब मांगों को लेकर नहीं लड़ सकेंगे। सभापति महोदय, आज जिस प्रकार की महंगाई बढ़ रही है, लोगों को अनाज नहीं मिल रहा है, तो आखिर समाज का गरीब तबका चाहे वह सरकारी कर्मचारी हो, पंचायतों में काम करने वाले हों उनका गुजारा नहीं चलता तो वह लोग अपनी जायज मांगों को लेकर प्रदर्शन नहीं करेंगे, हड़ताल नहीं करेंगे, घेराव नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। आज सभी जगह अव्यवस्था फैली हुई है और उसके ऊपर आप ऐसा काला कानून पास करके आप उनका मुख बन्द करना चाहते हैं। आपकी तो यह नीति हुई कि मारो और रोने मत दो सभापति महोदय, इसके अलावा मैं एक बात आपको और निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे ब्यावर में दो मिलें ऐसी हैं जो सरकारी हैं। एक तो है महालक्ष्मी मिल और दूसरी है एडवर्ड मिल। इन दोनों मिलों को सरकार ने अपने हाथ में लेकर चलाना शुरू की है। आज स्थिति यह है सभापति महोदय, कि वहां मजदूरों में भयंकर असन्तोष है। आज वहां पर मजदूरों की कोई सुन नहीं रहा है, अभी उन लोगों ने अपनी मांगें लेकर हड़ताल कर रखी है क्योंकि वहां के मजदूरों को, जो तनख्वाह मिलती है, वह तनख्वाह वहां पर जो दूसरी मिलें हैं उनके मजदूरों से 65·66 रुपये कम मिलती है। यह स्थिति पिछले सात साल से चली आ रही है। सभापति महोदय, जब राज्य सरकार ने उन मिलों को अपने हाथ में लिया तो लोगों को, जो वहां पर काम करते हैं, उन्हें काफी आशायें बन्धी थीं कि हमें प्राइवेट मिलों के मजदूरों से ज्यादा लाभ होगा, लेकिन सभापति महोदय, उन्हें उल्टे नुकसान हो रहा है। सभापति महोदय, उन्होंने काफी समय तक धैर्य रखा और सरकार को अपनी मांगें रखते रहे उन्होंने कहा कि हम हड़ताल नहीं करेंगे मिल को बन्द नहीं होने देंगे और उसको कामयाब करेंगे लेकिन उनकी वाजिब मांगों पर कोई विचार नहीं किया गया अब वहां पर हड़ताल चल रही है करीब 1 हजार से अधिक मजदूरों को गिरफ्तार किया गया उन्हें जेल में बन्द किया गया और रात को तीन बजे उन पर डन्डे बरसाये गये उन्हें बुरी तरह पीटा गया, एक तरफ तो उनके बच्चे भूख से बिलख रहे हैं और दूसरी तरफ आप उन्हें जेलों में ठूंस रहे हैं

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

सभापति महोदय, यह मजदूरों के साथ सरासर अन्याय है कि दूसरी प्राइवेट मिलों के मजदूरों को उनसे 65-66 रुपये अधिक मिल रहे हैं और वह लोग अपनी मांगों को नहीं रख सकते हैं। अब आप ऐसा बिल पास करने जा रहे हैं कि भविष्य में कोई मजदूर हड़ताल नहीं कर सकता है, अगर किसी का महंगाई की वजह से गुजारा नहीं चलता है, लोगों को अनाज खाने को नहीं मिल रहा है तो भी वह राज्य सरकार के मन्त्रियों का घेराव नहीं कर सकते इस प्रकार कैसे काम चलेगा ? आखिर कोई

(श्री केशरी मल)
सहारा नहीं होगा तो स्ट्राईक्स होंगी, बन्द होंगे,

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

समापति महोदय, मैं दो मिनट में समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : आप जो बिल से संबंधित बात है वह ही कहें।

श्री केशरीमल : उसी से संबंधित निवेदन कर रहा हूं। उनकी वाजिब मांगों को नहीं सुना जायेगा तो लोग हड़ताल करेंगे, आखिर वे लोग अपने बच्चों को कैसे खिलायेंगे, अपना पेट कैसे पालेंगे ? सभापति महोदय, आखिर सरकार करना क्या चाहती है ? आखिर उन लोगों ने सात साल तक अच्छी तरह काम किया लेकिन उनकी किसी ने नहीं सुनी। सभापति महोदय, मैं मेरी खुद की बात निवेदन करना चाहता हूं। मेरे दामांद के साथ अत्याचार किया गया उसे बन्द कर दिया गया, और मुझे भी जेल में बन्द किया गया। सभापति महोदय, आपको ऐसा कहीं नमूना नहीं मिलेगा जिसमें सभी को बन्द कर दिया गया। लेकिन सभापति महोदय, हमें इन बातों से दुःख नहीं होता। आप चाहें बन्द करें हमें तो आनन्द आता है। हम तो इसके लिये तैयार हैं। हम गिरफ्तारियों से नहीं डरते हैं। हमने तो मुल्क के लिये कई जंगी लड़ाइयां लड़ी हैं और जब तक अन्याय होता रहेगा हम इसके खिलाफ लड़ते रहेंगे। तो सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि इन काले कानूनों को बन्द किया जाना चाहिये। हम इन्हें खत्म करना चाहते हैं।

(4.47 म. प.)

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

सदन की अवमानना

श्री अध्यक्ष : मुझे सदन को सूचना देनी है कि आज दिन के 3.15 बजे जब विधान सभा की बैठक हो रही थी उस समय दर्शक दीर्घा से एक व्यक्ति, जो अपना नाम श्री चिरंजीव सागर पुत्र श्री सूजाराम बैरवा, निवासी जयपुर बताता है, ने दर्शक दीर्घा से निम्न प्रकार के नारे लगाये और सदन में चप्पल फैंकी ···

"जनतन्त्र के हत्यारो जनता की सुनो"

इस व्यक्ति से पूछताछ करने पर पता चला कि इसको प्रवेश पत्र श्री गुरुदयाल सिंह संधु की सिफारिश पर जारी किया गया था।

मैंने इस व्यक्ति से अपने वेश्म में बुलाकर पूछताछ की और उसका कथन अभिलिखित किया।

यह व्यक्ति अपनी इस कार्यवाही से सदन के कार्य में बाधा डालना मानता है मगर अपनी इस कार्यवाही से सदन का अपमान होना नहीं मानता। यह व्यक्ति अपने इस कार्य के लिये क्षमा मांगने के लिये भी तैयार नहीं है अतः अब सदन इस विषय में उचित निर्णय ले।

श्री खेतसिंह (मुख्य सचेतक, कांग्रेस दल) : यह सदन संकल्प करता है कि जो व्यक्ति अपना नाम श्री चिरन्जीव सागर, पुत्र श्री सूजाराम बैरवा, निवासी जयपुर, पेशा सार्वजनिक कार्यकर्त्ता बताता है, ने

(श्री खेतसिंह)
आज दिन के 3.15 बजे दर्शक दीर्घा से निम्न प्रकार के नारे लगाये....

"जनतन्त्र के हत्यारो जनता की सुनो"

नारों के साथ साथ उक्त व्यक्ति, श्री चिरन्जीव सागर, ने सदन के प्रांगण में चप्पल भी फैंकी। श्री चिरंजीव सागर की इस प्रकार की नारेबाजी और चप्पल फैंकने से सदन के कार्य में बाधा पहुंची और सदन का घोर अपमान हुआ तथा उसकी गरिमा को ठेस पहुंची है।

यह सदन आगे संकल्प करता है कि उक्त श्री चिरंजीव सागर को दो दिन के लिये साधारण कैद की सजा दी जाय, और उन्हें जयपुर सेन्ट्रल जेल भेज दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संकल्प मुख्य सचेतक महोदय ने प्रस्तुत किया है और उसके द्वारा श्री चिरन्जीव सागर को दो दिन की साधारण कैद की सजा देने का प्रस्ताव किया है वह स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

(4.52 म. प.)

(श्री फूलचन्द जैन, सभापति, पदासीन)

राजस्थान अत्यावश्यक सेवायें अनुरक्षण (संशोधन) विधेयक, 1973

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सभापति महोदय, ...

श्री सभापति : आपके दल से दो व्यक्ति बोल चुके हैं इस सम्बन्ध में।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : दल का प्रश्न नहीं है। नियमों में जो प्रावधान है उसके अनुसार ही मैं निवेदन कर रहा हूँ कि इसके लिये बोलने की इजाजत दीजिये।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान अत्यावश्यक सेवायें अनुरक्षण (संशोधन) विधेयक, 1973 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(ध्वनि मतदान के पश्चात)

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : ना पक्ष जीता।

श्री सभापति : आज्ञा प्रदान की गई।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : No, we want division, Sir.

श्री गिरधारीलाल भार्गव : क्यों यह संशोधन बिल लाया गया ......

श्री सभापति : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य ! आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। बिल पुरःस्थापित करेंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : We want division, Sir, ना पक्ष जीता।

श्री सभापति : क्या आप डिविजन कराना चाहते हैं ?

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : जी हा।

श्री खेतसिंह : क्यों कराते हो यार ?

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : क्यो छः महीने के बाद सेशन बुलाते हो और दो दिन में खिसकाते हो ?

(मत विभाजन सूचक घंटी)

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान अत्यावश्यक सेवायें अनुरक्षण

(श्री सभापति)
(संशोधन) विधेयक, 1973 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जीता तो ना पक्ष। आगे आपकी मर्जी है।

श्रीमती कमला बेनीवाल : सभापति महोदय, मैं राजस्थान अत्यावश्यक सेवायें अनुरक्षण (संशोधन) विधेयक, 1973 को पुरःस्थापित करती हूं।

(विराम)

सभापति महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 63 के अन्तर्गत राजस्थान अत्यावश्यक सेवायें अनुरक्षण (संशोधन) अध्यादेश (अध्यादेश संख्या 7, 1973) को जारी करने के कारणों के विवरण को भी सदन की मेज पर पर रखती हूं।

राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1973

श्री सभापति : राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1973।

श्री चन्दन मल बैद !

श्री हरिदेव जोशी (पंचायत मंत्री) : सभापति महोदय, मैं इसको पुरःस्थापित नहीं कर रहा हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : एक आदमी को तो इस बहस से शर्म आयी।

राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1973

श्री सभापति : राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1973।

श्री चन्दनमल बैद (शिक्षा मंत्री) : सभापति महोदय, मैं राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1973 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रार्थना करता हूं।

श्री सभापति : क्या राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1973 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री चन्दनमल बैद : मैं राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1973 को पुरःस्थापित करता हूं।

(विराम)

सभापति महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 63 के अन्तर्गत राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1973 (अध्यादेश सं. 9, सन् 1973) को जारी करने के कारणों के विवरण को भी सदन की मेज पर रखता हूं।

राजस्थान भूमि एवं भवन कर (संशोधन) विधेयक, 1973

श्री सभापति : राजस्थान भूमि एवं भवन कर (संशोधन) विधेयक, 1973।

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मंत्री) : सभापति महोदय....

श्री गिरधारीलाल भार्गव : इसको पास कहां कराया ?

श्री सभापति : अनुमति की जरूरत नहीं है।

श्री चन्दनमल बैद : सभापति महोदय, मैं राजस्थान भूमि एवं भवन कर (संशोधन) विधेयक, 1973 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रार्थना करता हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : बहुत ही गम्भीर मामला है, सभापति महोदय।

सभापति महोदय, जो बिल पेश किया था पिछले सदन में, जिसके जरिये टैक्स लगाने का किया था, चुपके से इस अमेन्डमेन्ट के जरिये से माननीय मन्त्री जी अपने वर्ग के लोगों को छूट देना चाहते हैं। सीधे शब्दों में जो बड़े बड़े पूंजीपति, बड़ी बड़ी जायदादों के मालिक हैं, उन मालिकों को एक ही कलम से छूट दे दी है। क्या सभापति महोदय, इस कानून के जरिये आप यह अधिकार लेना चाहते हैं कि किसी आदमी के पास कितनी ही प्रोपर्टी हो लेकिन कोई टैक्स नहीं ? पहले जो कानून था उसमें यह था कि ऐसे व्यक्ति की तमाम प्रोपर्टीज की वैल्यू असेस की जाय और यदि वह तमाम प्रोपर्टीज 50 हजार से अधिक है तो टैक्सेबल थी। लेकिन अब इस अमेन्डमेन्ट के जरिये से मन्त्री जी यह चाहते हैं कि चाहे किसी व्यक्ति के पास दस प्रोपर्टीज थीं तो अब उनको अलग अलग असेस किया जाय। पहले एक साथ सबका असेसमेन्ट होता था और पचास हजार से अधिक होने पर टैक्सेबल थी। लेकिन अब यदि कोई प्रोपर्टी एक प्रोपर्टी 40 हजार की है तो वह असेस हो कर भी, चूंकि पचास हजार के ऊपर नहीं है, इसलिए टैक्स से बरी हो जायगी ! यानि दस ही प्रोपर्टीज का अलग अलग प्रोपर्टी के वैल्युएशन से पचास हजार से नीचे की वेल्यू अलग-अलग प्रोपर्टी की होने पर वह टैक्सेबल नहीं होगी। इस प्रकार का अमेन्डमेन्ट मन्त्री जी करना चाहते हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : सभापति महोदय, पांच बज रहे हैं।

श्री सभापति : जब समय हो जायगा तो मैं कह दूंगा। अभी एक मिनिट बाकी है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : घड़ी की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। आप समय बढ़ा दीजिये चाहें तो।

श्री सभापति : सदन की कार्यवाही 8 अक्टूबर, 1973 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदन्तर सदन की कार्यवाही सायं 5 बजे सोमवार, दिनांक 8 अक्टूबर, 1973 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई)।

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न संख्या 1 की सूची)

सूची उन टांकों की जिनकी स्वीकृति वर्ष 68-69 एवं 69-70 में अकाल के समय जोधपुर तहसील में अकाल राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत दी गई।

क्रम संख्या	नाम ग्राम	खर्च की गई राशि
1.	आसन्दा	123.54
2.	राणों की ढाणी (सालवां कलां)	41973.00
3.	अखतली	11533.00
4.	जाजियावास	12070.00
5.	सुरजासनी	20021.00
6.	कोकुन्दा	14939.13
7.	कंकराला	20350.00
8.	दांतीवाड़ा	771.00
9.	डिगाड़ी (सांवरों की ढाणी)	15568.72
10.	जानादेसर	इन पर कोई कार्य नहीं कराया गया।
11.	रावड़िया	"
12.	गुजरावास	"
13.	सिंघासनी	"
14.	ढूंढाण	43356.00
15.	गोदावास की ढाणी	21820.00

परिशिष्ट 3

(समयाभाव के कारण सदन में न लिये गये तारांकित प्रश्नोत्तर)

औद्योगिक क्षेत्र के लिये सर्वे

12. श्री हनुमानसहाय व्यास (बैराठ): क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सरकार जयपुर जिले के कस्बा शाहपुरा, कोटपूतली, मनोहरपुर, चौमूं एवं दूदू को औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) क्या यह सही है कि सरकार के पास विगत वर्षों से प्रार्थना-पत्र पेण्डिग हैं ?

(3) क्या उक्त क्षेत्र का सर्वे कराया जा चुका है ? यदि हां, तो सर्वे रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जिन स्थानों से उद्योग लगाने वाले व्यक्तियों की निश्चित सूचना प्राप्त होगी वहां औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने की कार्यवाही की जावेगी। इससे पूर्व क्षेत्र का टैक्नो-इकोनोमिक सर्वेक्षण कराया जायगा।

(2) उद्योग लगाने के इच्छुक व्यक्तियों के कोई प्रार्थना-पत्र पेंडिग नहीं हैं।

(3) जी हां, लघु उद्योग सेवा संस्थान द्वारा किया गया टैक्नो-इकोनोमिक सर्वेक्षण का प्रतिवेदन अभी प्रकाशित नहीं हुआ है।

विवेकानन्द गृह निर्माण सहकारी, समिति, जयपुर

13. श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा (फागी): क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर में घाट गेट बाहर, गिरजाघर के पीछे कचरे पर स्थित कच्ची बस्ती विवेकानन्द गृह निर्माण सहकारी समिति के नाम से पंजीकृत हुई है ?

(2) उक्त बस्ती में ऐसे मकान कितने हैं जिनका सर्वे हो चुका है, तथा ऐसे मकान कितने हैं जिनका सर्वे अभी तक नहीं हुआ है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त बस्ती में जिन मकानों का सर्वे हो चुका है उनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के कितने परिवार हैं तथा जिन मकानों का सर्वे अभी तक नहीं हुआ है उनमें कितने परिवार अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या सरकार उक्त बस्ती में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के परिवारों की संख्या को ध्यान में रखते हुए जिन मकानों का सर्वे नहीं हुआ है, उनका सर्वे कराने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक सर्वे हो जावेगा।

(5) क्या यह भी सही है कि उक्त बस्ती में बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है ?

(श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा)

और लोगों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां तो बिजली की व्यवस्था कब तक हो जायेगी।

(6) क्या यह भी सही है कि उक्त बस्ती में जो एक नल की सुविधा दे रखी है उससे सारी बस्ती के लोगों को सुव्यवस्थित ढंग से पानी नहीं मिलता है ? यदि हां तो सरकार और नलों को कब तक लगा देगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जयपुर जिलाधीश द्वारा सन् 1971 में कराये गये सर्वे के अनुसार 263 कच्चे एवं 6 पक्के कुल 269 मकान थे। तत्पश्चात् सर्वे नहीं किया गया है।

(3) किये गये सर्वे के अनुसार उस समय कुल 102 अनुसूचित जाति/जन जाति के परिवार वहां रहते थे। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) प्रश्न नहीं उठता।

(5) जी नहीं।

(6) जी नहीं। वस्ती की जनसंख्या के दृष्टिकोण से जल की व्यवस्था पर्याप्त है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

सर पर रख कर मैला ले जाने की कुप्रथा

14. **श्री रामप्रसाद बोहरा** (झालरापाटन) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

क्या यह सही है कि कुछ नगर परिषदों व नगरपालिकाओं को छोड़ कर राजस्थान के देहातों (ग्राम पंचायतों) में अभी भी हरिजन मैला सर पर रख कर ले जाते हैं ? यदि हां, तो क्यों ? तथा इस कुप्रथा को रोकने के लिए विभाग क्या कार्यवाही कर रहा है ?

उत्तर

देहातों (ग्राम पंचायतों) के बारे में समाज कल्याण विभाग में सूचना उपलब्ध नहीं है क्योंकि विभाग द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर कोई योजना नहीं चलाई गई है। सिर पर मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने के लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा भंगी कष्ट मुक्ति योजना, वर्ष 69-70 से चलाई गई है जिसके अन्तर्गत केवल नगरपालिका व नगरपरिषदों को यांत्रिक उपकरण क्रय करने, निजी व सार्वजनिक शौचालयों को फ्लश में बदलने के लिए अनुदान स्वीकृत किया गया है।

नगरपालिका पाली को ऑडिट रिपोर्ट

15. **श्री शंकरलाल** (पाली) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) क्या यह सही है कि पाली नगरपालिका के सम्बन्ध में ऑडिट रिपोर्ट सन् 71-72 में तत्कालीन अध्यक्ष के विरुद्ध कई अनियमिततायें और गबन के आरोप सही मानते हुए अध्यक्ष से व्यक्तिगत रूप से कई वसूलियां करने की सिफारिश की गई थी ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई और रकम की वसूली अभी तक हो पाई या नहीं। यदि नहीं, तो क्यों ?

Page No 120

(श्री शंकरलाल)

(2) उक्त वसूली अब कब तक कर ली जायेगी ?

उत्तर

(1) ऑडिट रिपोर्ट सन् 1971-72 में तत्कालीन अध्यक्ष के विरुद्ध कुछ अनियमितताओं के आरोप हैं। गबन सम्बन्धी आक्षेप नहीं हैं और न वसूली किये जाने का आदेश है। जिलाधीश, पाली ने नगरपालिका को अनुपालना प्रतिवेदन भेजने हेतु निर्देश दिये हैं।

(2) जिलाधीश को अनुपालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर उनके द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

औद्योगिक क्षेत्र जयपुर में दिये गये प्लॉट

16. श्री सुरेशचन्द्र (कोटपूतली) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर में औद्योगिक क्षेत्र में उद्योग लगाने के लिये प्लॉट सरकार द्वारा दिये जाते हैं ? यदि हां, तो किन शर्तों और किस आधार पर दिये जाते हैं ?

(2) राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक क्षेत्र जयपुर में 1967 से अब तक किन किन व्यक्तियों को किस किस उद्योग के लिये प्लॉट दिये गये हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि बहुत से व्यक्तियों ने जिन शर्तों पर उन्हें यह प्लॉट दिये गये हैं उनका उल्लघंन किया है ? यदि हां, तो वे कौन कौन व्यक्ति हैं ?

(स्थगित किया गया)

Page No 121

परिशिष्ट 4

(अतारांकित प्रश्न संख्या 9 की सूची)

संवर्ग	अधिकारियों की संख्या	अनुसूचित जाति अधिकारियों की संख्या	अनुसूचित जन जाति अधिकारियों की संख्या
आई. ए. एस.	135	4	5
आई. पी. एस.	87	3	2
आर. एच. जे. एस.	50	Nil	Nil
आर. जे. एस.	178	7	8
आर. ए. एस.	345	11	3
आर. पी. एस.	158	9	3

परिशिष्ट 5

(अतारांकित प्रश्न संख्या 11 की सूची)

नलकूपों का विवरण

जिला	स्थान	क्षमता (लीटर प्रति घण्टा)
जैसलमेर (जेठा कृषि फार्म)		
	जेठा नल कूप	1,45,000
	जेठा नल कूप	1968 में पंचर हो गया अतः इसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है ?
	जेठा नल कूप	1972 में पंचर हो गया अतः इसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है ।
	जेठा नलकूप नया	1,24,600

जेठा कृषि फ़ार्म (जिला जैसलमेर) पर सन् 1972 में नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि पर हुई पैदावार व चारा का विवरण।

फसल	सिंचित रकबा	पैदावार	चारा
गेहूं	120 एकड़	526.80 क्वि.	526 क्वि.
राया	9 एकड़	47.70 क्वि.	—

खरीफ 1972 में करीबन 75 एकड़ में ग्वार बोयी गयी थी पर वर्षा न होने की वजह से तथा अधिक आंधी की वजह से फसल पर मिट्टी बहुत अधिक चढ़ गयी थी जिसके फलस्वरूप फसल नष्ट हो गयी व कोई पैदावार नहीं हुई।

शुद्धि-पत्र

बुधवार, दिनांक 3 अक्टूबर, 1973

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
4	अंतिम से 12	क्लेक्टर	कलेक्टर
12	ऊपर से 3	दों	हाँ
15	ऊपर से 4	कढनीकरण	कठिनीकरण
24	अन्तिम से 11	—	लिये
29	ऊपर से 6	जिमेंमें	जिसमें
63	ऊपर से 7	वे	—
78	अन्तिम से 1	कि	—
115	ऊपर से 5 व 8	एटीट्यूट	एटीट्यूड
135	ऊपर से 15	की	को
141	ऊपर से 7 व 8	डिसकशन	डिस्कशन
141	ऊपर से 15	आंवजेक्शन	ऑब्जेक्शन
144	ऊपर से 3	विजीनेस	विजनेस
149	अन्तिम से 13	सहमती	सहमति
161	अन्तिम से 5	सामुदाविक	सामुदायिक
175	ऊपर से 1	उपाघ्याक्ष	उपाध्यक्ष
175	अन्तिम से 5	रजूयजत	इजाजत
184	अन्तिम से 13	आब्जेक्शन्स	ऑब्जेक्ट्स
185	अन्तिम से 14	आब्जेक्शन	ऑब्जेक्ट्स
186	ऊपर से 2	आब्जेक्शन्स	ऑब्जेक्ट्स
207	अन्तिम से 1	—	है
226	अन्तिम से 15	वैश्म	—